रोज़गार की गारंटी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी क़ानून -2005
रोजगार गारण्टी : तथ्य, क़ानून एंव स्पष्टीकरण
मार्गदर्शिका
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून तभी कारगर हो
सकता है, जब गाँव-गाँव पंचायतों द्वारा सूक्ष्म कार्य नियोजन
बनाकर आजीविका के स्थायी आधार विकसित किये जायें।

# रोज़गार की गारंटी

हर हाथ को काम दो,
काम का पूरा दाम दो।

पहरुआ पहल एवं पैक्स कार्यक्रम का संयुक्त प्रकाशन
प्रकाशन वर्ष : सितम्बर 2006

संकलन एवं सम्पादन
भागवत प्रसाद

कलापक्ष
अर्चन

शब्दांकन
कुमार अरविन्द, इन्दल

रंगी चित्र अलामम कार्यक्रम
टिकरिया, चित्रकूट (उ०प्र०)

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी कानून -२००५
- रोजगार गारण्टी : तथ्य, कानून एवं स्पष्टीकरण
- मार्गदर्शिका
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान
भारत जननी परिसर, रानीपुरभट्ट, सीतापुर
चित्रकूट (उ०प्र०) 210204
दूरभाष : 05198-224332

## अनुक्रम

**अध्याय १ प्रारंभिक**
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
२. परिभाषाएं ।
**अध्याय २ ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी**
३. निर्धन गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी।
**अध्याय ३ नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता**
४. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारंटी स्कीमें।
५. गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें।
६. मजदूरी दर।
७. बेकारी भत्ते का संदाय।
८. कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ते का संवितरण न करना।
९. कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ता प्राप्त करने के हक से वंचित रहना।
**अध्याय ४ कार्यान्वित और मानीटर प्राधिकारी**
१०. केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद्।
११. केन्द्रीय परिशद् के कृत्य और कर्तव्य।
१२. राज्य नियोजन गारंटी परिषद।
१३. जिला स्तर पर स्थायी समिति।
१४. जिला कार्यक्रम समन्वयक।
१५. कार्यक्रम अधिकारी ।
१६. ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व।
१७. ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक संपरीक्षा।
१८. स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व।
१९. शिकायत दूर करने हेतु तंत्र।
**अध्याय ५ राष्ट्रीय और राज्य नियोजन गारंटी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा।**
२०. राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि।
२१. राज्य नियोजन गारण्टी निधि।
२२. वित्तपोषण पैटर्न।
२३. पारदर्शिता और दायित्व।
२४. लेखाओं की संपरीक्षा।
अध्याय ६ **प्रकीर्ण**
२५. अनुपालन के लिए शास्ति।
२६. प्रत्यायोजित करने की शक्ति।
२७. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।
२८. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
२९. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।
३०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
३१. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
३२. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
३३. नियमों और स्कीमों का रखा जाना।
३४. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
**अनुसूची।**

# अपनी बात

ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के इच्छुक परिवारों के वयस्क सदस्यों को रोज़गार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम १०० दिन के श्रमपरक रोज़गार की गारण्टी प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ५ सितम्बर २००५ का राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी एक्ट पारित किया। इस योजना को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।

ग्रामीण भारत में वंचित, भूमिहीन, कृषक मजदूरों के साथ-साथ हाशिये में स्थित लोगों यथा-विकलांग एवं महिला आदि के सशक्तिकरण की दिशा में रोज़गार गारण्टी क़ानून एक प्रभावी पहल है। इस क़ानून को पारित करवाने में श्रमिक संगठनों, मीडिया एवं स्वैच्छिक प्रयासों की अहम् भूमिका रही है। परन्तु क़ानून का पारित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। इस क़ानून के ज़मीनी धरातल पर समुचित, पारदर्शिता एवं ईमानदार ढंग से क्रियान्वयन हेतु उतने ही परिश्रम किये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण भारत सूचनाओं के संज्ञान से कोसों दूर है। समुचित, सार्थक सूचनाओं का ग्रामीण स्तर पर घनघोर संकट है। बिचौलियों, दलालों की भरमार है। सामन्तवादी ताकते हावी है। फलस्वरूप आम ग्रामीणजन अपने आप को असहाय पाता है। रोजगारी गारण्टी कानून नया है, अपने आप में अनूठा है। ऐसे में इस पुस्तिका का प्रकाशन लोकहित में जन जन तक पहुँचाने की दृष्टि से किया जा रहा है। विश्वास है कि उपयोगी होगा।

इस पुस्तिका को तैयार करने में विभिन्न संदर्भ सामग्री का उपयोग किया गया है। पूर्व अनुमति का अभाव रहा है। लोकहित में क्षमा करेगें।

साभार सहित,

**भागवत प्रसाद**
निदेशक
अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान,
चित्रकूट, उ०प्र०

## साभार

- रोजगार गारण्टी कानून, 2005 एक प्रवेशिका (जनवरी, 2006) भूख से मुक्ति अधिकार अभियान, नई दिल्ली
- मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान
- समर्थन, भोपाल
- काम का अधिकार और समुदाय एक्शन एड प्रकाशन
- उपवन, लखनऊ

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून-2005**
- **रोजगार गारण्टी तथ्य एवं स्पष्टीकरण**

उठा के टीना काहे चल दियो सूरत बम्बई कमानो?
अब गाँव मों ही काम मिलेगा चलो पंजीयन करानो

# रोजगार गारण्टी कानून : तथ्य, एवं स्पष्टीकरण

**प्रस्तावना** : यह प्रवेशिका राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून २००५ का परिचय देती है। इसकी भाषा सरल रखने की कोशिश की गई है ताकि यह तमाम लोगों तक पहुँच सके : मजदूर, सक्रियकर्मी, पत्रकार शोधकर्ता और जागरूक नागरिक।

राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून, २००५ ऐसा कानून है जिसके तहत उन सभी व्यक्तियों को आवेदन के बाद पंद्रह दिन की अवधि में सार्वजनिक कार्यों पर रोज़गार पाने की हकदारी दी गई है, जो सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल श्रम करने को तैयार हों। अगर उन्हें रोज़गार नहीं दिया जाता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता चुकाया जाएगा। फिलहाल इस कानून में रोज़गार की गारंटी "१०० दिन प्रति परिवार, प्रति वर्ष" तक सीमित रखी गई है।

पिछले कई वर्षों से मजदूर संगठन एक ऐसे राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून की माँग करते आ रहे हैं, जिसमें रोजगार गारंटी के साथ काम के अधिकार को सुरक्षित करने के दूसरे कानूनी उपाय भी हों। भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कानून, २००५ को एक लंबे संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रों के कड़े विरोध के बाद पारित किया है। (विरोध करने वालों में कॉरपोरेट क्षेत्र, व्यापार, मीडिया तथा वित्त मंत्रालय भी शामिल थे)। यह कानून कोई आदर्श कानून नहीं है। सच तो यह है कि अगस्त २००४ में सरोकार रखने वाले नागरिकों ने जो प्रारूप बनाया था, उसको ही एक फीकी सी शक्ल दे कर यह कानून बना लिया गया है। फिर भी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून, २००५ कम से कम एक ऐसा संभावित हथियार तो है जिसका उपयोग ग्रामीण मजदूर सशक्तीकरण के लिए कर सकते हैं : गारंटीशुदा रोज़गार उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचा सकता है, मोलभाव करने की उनकी ताकत में इजाफा कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के वास्ते संगठित होने में उनकी मदद कर सकता है। पर ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक यह कानून सिर्फ कागजों पर रहे या उसका आधा- अधूरा क्रियान्वयन हो। प्रत्येक सामाजिक कानून का इतिहास यही रहा है कि कानून बनने के बाद भी लोगों को अपनी हकदारी पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून, २००५ को सफल बनाने के लिए जनता को उत्प्रेरित करने की व्यापक प्रक्रिया अपनानी होगी। गारंटीशुदा रोज़गार की संगठित माँग जितनी मजबूत होगी, उतनी ही सफलता से यह कानून लागू हो सकेगा। सो पहला काम है इस कानून को ठीक से समझना, खासतौर से यह जान लेना कि इस कानून के तहत क्या-क्या अधिकार हैं। यह प्रवेशिका मुख्य रूप से सीखने की इसी प्रक्रिया में मदद करने के मकसद से

(लोकसभा द्वारा २३ अगस्त, २००५ को पारित रूप में) २००४ का विधेयक संख्यांक १०६-सी
(दि नेशनल रूरल इम्प्लाएमेंट गारंटी बिल, २००४ का हिंदी अनुवाद)

## राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2005

**देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके अवयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय १

**प्रारंभिक**

(संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ)

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, २००५ है।

(२) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(३) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबन्ध में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परन्तु यह अधिनियम उस संपूर्ण राज्य क्षेत्र को जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा।

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''वयस्क'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है,

(ख) ''आवेदक'' से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उससे अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई अभिप्रेत है, जिसने स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है,

(ग) ''ब्लाक'' से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है,

(घ) ''केन्द्रीय परिषद'' से धारा १० की उपधारा (१) के अधीन गठित केन्द्रीय नियोजन गारंटी परिषद अभिप्रेत है,

(ड.) ''जिला कार्यक्रम समन्वयक''से किसी जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए धारा १४ की उपधारा (१) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सरकार या कोई अधिकारी अभिप्रेत है,

(च) ''गृहस्थी'' से किसी कुटुम्ब के सदस्य अभिप्रेत है, जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित है और सामान्यतः एक साथ निवास करते हैं तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं,

(छ) ''कार्यान्वयन अभिकरण'' में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला परिषद मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर सरकारी संगठन, जिसे किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सम्मिलित है,

(ज) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में ''न्यूनतम मजदूरी'' से कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी अभिप्रेत है, जो १९४८ का ११ उस क्षेत्र में लागू है,

(झ) ''राष्ट्रीय निधि'' से धारा २० की उपधारा (१) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि अभिप्रेत है,

(ञ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाषित अधिसूचना अभिप्रेत है,

(ट) '' अधिमानित कार्य'' से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे किसी स्कीम के अधीन

तैयार की गई है।

## भाग - १

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून, २००५

यह भाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून, २००५ या संक्षेप में कहें तो ''रोज़गार गारंटी कानून'' के बुनियादी आयामों की चर्चा करता है। कानून की संबंधित धाराएं चौकोर खानों में उल्लिखित हैं।

**क. सामान्य सवाल**

**१. रोज़गार गारंटी कानून का बुनियादी विचार क्या है?**

इस कानून के पीछे जो बुनियादी सोच है, वह यह है कि जो कोई भी व्यक्ति मान्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अनियमित मजदूरी करने को तैयार हो, उसे रोज़गार की कानूनी गारंटी दी जाए। इस कानून के तहत जो भी वयस्क काम पाने का आवेदन दे उसे पंद्रह दिन की अवधि में सार्वजनिक कार्यों पर काम पाने की हकदारी है। इस प्रकार रोज़गार गारंटी कानून बुनियादी रोज़गार का सार्वजनिक व कानून द्वारा लागू किया जा सकने वाला अधिकार देता है। सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकार को कानून द्वारा लागू करने की दिशा में यह एक कदम है।

**२. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी कानून २००५, इन उद्देश्यों को किस हद तक हासिल करता है?**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून, २००५ आधे मन से बनाया गया रोज़गार गारंटी कानून है। इसके तहत कोई भी वयस्क जो काम का आवेदन करें, उसे आवेदन के बाद १५ दिन की अवधि में किसी सार्वजनिक कार्य पर काम पाने की हकदारी प्राप्त हुई है। परन्तु यह हकदारी सीमित है। उदाहरण के लिए काम की यह गारंटी केवल ग्रामीण इलाकों के लिए है और वहाँ भी ''१०० दिवस प्रति परिवार, प्रतिवर्ष'' तक सीमित की गई है। साथ ही २००५ में पारित कानून सजग नागरिकों द्वारा अगस्त २००४ में बनाए गए प्रारूप की तुलना में कई अर्थों में ''कमजोर'' है। आगे चलने पर आप यह भी समझ सकेंगे कि इसे कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे कमजोर बनाया गया है।

पर कहने का मतलब यह भी नहीं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून बेकार है - ऐसा कतई नहीं है। यह कानून पहली बार ग्रामीण मजदूरों को उनके अधिकार के रूप में, रोज़गार के अवसर देता है। साथ ही यह कानून अब तक देश में सम्पन्न वर्ग का हित साधने वाली जो आर्थिक नीतियाँ रहीं हैं उनसे हटकर है। अतः यह दूसरे प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बढ़ने के लिए एक संभावित सीढ़ी भी है। इस व तमाम दूसरे अर्थों में यह कानून एक नई

राह दिखाता है।

**३. रोजगार गारंटी ''योजना'' की जगह, रोजगार गारंटी ''कानून'' का होना ही क्यों जरूरी है?**

एक अधिनियम रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। इससे राज्य पर अदालत द्वारा लागू किए जा सकने वाला दायित्व डाला गया है और मजदूरों को मोलतोल कर पाने की ताकत भी मिली है। दरअसल एक कानून राज्य को जवाबदेह बनाता है। इसके विपरीत योजना में कोई कानूनी हकदारी नहीं मिलती और मजदूर सरकारी अफसरों की दया पर निर्भर रह जाते हैं। इसके पूर्व भी रोज़गार संबंधी तमाम योजनाएँ बनी थीं-आश्वासित रोजगार योजना (इएएस), राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाय), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाय), ऐसी ही योजनाओं में से कुछ हैं। ये सभी योजनाएँ लोगों के जीवन में सुरक्षा की भावना पैदा करने में असफल रहीं। अक्सर लोगों को इन योजनाओं की कोई जानकारी तक नहीं होती है। एक योजना और एक कानून में एक और महत्वपूर्ण अन्तर भी होता है। योजनाएँ तो आती-जाती रहती हैं, पर कानून ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अफसर योजनाओं को काट-छाँट कर सकते हैं, चाहें तो उसे निरस्त भी कर सकते हैं, पर कानून बदलना हो तो संसद में संशोधन प्रस्ताव लाना पड़ता है। अतः जाहिर है कि रोज़गार गारण्टी कानून से मजदूरों को एक टिकाऊ कानूनी हकदारी मिलेगी। संभव है कि समय के साथ वे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होंगे और अपना हक पाने के लिए दावा करना भी सीखेंगे।

**४. रोजगार गारंटी कानून के संभावित लाभ क्या है?**

इसके कई लाभ हैं। अव्वल तो यही कि एक प्रभावी रोजगार गारंटी कानून (ईजीए) ग्रामीण परिवारों को गरीबी और भूख से बचाने में मददगार होगा। सच्चाई तो यह है कि अगर हमारे देश में एक ''सम्पूर्ण'' रोजगार गांरटी कानून हो (जिसमें प्रत्येक ब्यक्ति को वह जितने दिन चाहे उतना काम मिल सके और जो ''१०० दिवस, प्रति परिवार प्रति वर्ष'' तक सीमित न हो) तो वह ग्रामीण भारत के अधिकाँश गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। दूसरे, इससे गाँवों से शहरों की ओर पलायन में नाटकीय कमी आएगी, क्योंकि तब काफी परिवारा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागने के बदले गाँवों में ही बने रहेंगे। तीसरे, गांरटीशुदा रोजगार महिला सशक्तीकरण का भी प्रमुख स्रोत बन सकेगा। पिछले अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानून के तहत रोज़गार पाने वालों में औरतों की संख्या ही अधिक होगी और गारंटीशुदा रोज़गार उन्हें आर्थिक आज़ादी देगा। चौथे, रोज़गार गांरटी कानून ग्रामीण इलाकों में उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण का मौका देगा। पाँचवें, गांरटीशुदा रोज़गार

पूर्विकता के अधार पर कार्यान्वयन के लिए किया जाता है,

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ड) ''कार्यक्रम अधिकारी'' से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है,

(ढ) ''परियोजना'' से आवेदकों को नियोजन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी स्कीम के अधीन किया जाने वाला कोई कार्य अभिप्रेत है,

(ण) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,

(त) '' स्कीम'' से धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है,

(थ) ''राज्य परिषद'' से धारा १२ की उपधारा (१) के अधीन गठित राज्य नियोजन गारंटी परिषद अभिप्रेत है,

(द) ''अकुशल शारीरिक कार्य'' से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ है,

(ध) ''मजदूरी दर'' से धारा ६ में निर्दिष्ट मजदूरी दर अभिप्रेत है।

अध्याय २

## ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी

(निर्धन गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारण्टी)

३. (१) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार राज्य में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के अन्यून के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्कीम के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(३) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में उस तारीख के पश्चात्‌जिसको ऐसा कार्य किया गया था पन्द्रह दिन के अपश्चात्‌ किया जाएगा।

(४) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थी के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए उपधारा (१) के अधीन गारंटीकृत अवधि के परे किसी अवधि के लिए, जो समीचीन हो, कार्य सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेगी।

अध्याय ३

## नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता

(ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारण्टी स्कीमें)

४. (१) धारा ३ के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, स्कीम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन और स्कीम में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए और अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बनाएगी,

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे स्कीम को अधिसूचित किए जाने तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के लिए वार्षिक कार्यवाई योजना व भावी योजना या राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम, जो ऐसी अधिसूचना से ठीक पूर्व संबंधित क्षेत्र में प्रवृत्त है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्कीम हेतु कार्यवाई योजना समझा जाएगा।

(२) राज्य सरकार , कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, जिनमें से एक ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिसको ऐसी स्कीम लागू होगी, परिचालित जन भाषा में होगा, उसके द्वारा बनाई गई स्कीम का सार प्रकाशित करेगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन बनाई गई स्कीम अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट न्यूनतम बातों के लिए उपबंध करेगी।

## (गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें)

५. (१) राज्य सरकार, अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

ग्रामीण समाज में सत्ता संतुलन को बदल सकेगा और एक अधिक समतामूलक समाज को पनपाएगा।

अंतिम पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रोज़गार गारंटी कानून असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मोलतोल करने की ताकत को भी बढ़ाएगा। तब वे अपनी तमाम दूसरी हकदारियों के लिए, जैसे न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए, संघर्ष कर सकेंगे। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोगों को लामबद्ध करने की प्रक्रिया भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यह कानून संगठित होने का एक अनूठा मौका उपलब्ध करवाता है। इससे भारत के ज्यादातर हिस्सों में श्रमिक आंदोलन को नया जीवन मिल सकेगा।

**५. रोजगार गारंटी कानून के तहत काम पाने का हक किसे है?**

गारंटी शब्द सभी वयस्कों को रोजगार पाने का हक देता है, अर्थात्‌ यह सार्वजनिक है, सब पर लागू होता है। यह कानून आत्म-चयन के सिद्धान्त पर आधारित है : जो कोई न्यूनतम मजदूरी की दर पर अकुशल श्रम करने को तैयार हो, उसके लिए यह मान लिया जाएगा कि उसे दरअसल सार्वभौमिक सहयोग की जरूरत है, और उसे माँगने पर रोज़गार दिलवाया जाएगा। अगर कोई आपको यह कहे कि रोज़गार गारंटी सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों, अर्थात बी.पी.एल. कार्डधारी परिवारों के लिए है तो उसका विश्वास मत कीजिएगा।

**६. क्या इस प्रस्तावित रोजगार गारंटी कानून का पूर्व में कोई उदाहरण है?**

महाराष्ट्र सरकार ने १६७६ मे एक रोजगार गारंटी कानून बनाया था। यह कानून आज तक लागू है। और कुछ अर्थों में वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५ से अधिक मजबूत कानून भी है। खासतौर से इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र का रोज़गार गारंटी कानून व्यक्ति को असीमित रोजगार की गारंटी देता है : कोई भी वयस्क, कभी भी, कितने भी दिनों के लिए, काम माँगने का आवेदन कर सकता है-इसमें ''१०० दिवस, प्रति परिवार, प्रति वर्ष'' जैसी कोई सीमा नहीं है। यद्यपि महाराष्ट्र के अलावा किसी भी दूसरी राज्य सरकार ने ऐसा रोजगार गारंटी कानून नहीं बनाया, अन्य राज्यों में भी कानून बनाने के अभियान चलाए गये थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून पारित करने की दिशा में भी कुछ पहल हुई, परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी बिल २००४ के पहले वे प्रस्ताव संसद तक नहीं पहुँचे। उपरोक्त बिल २१ दिसम्बर २००४ को संसद में रखा गया। २००५ में जो राष्ट्रीय रोज़गार गांरटी कानून पारित किया गया वह इसी बिल का संशोधित (परिवर्तित) रूप है।

**७. किसी एक वर्ष के दौरान व्यक्ति को कितने दिनों का गारंटीशुदा काम मिलेगा क्या इसकी कोई सीमा है?**

जी हाँ ! जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है रोज़गार की गारंटी "१०० दिवस प्रति परिवार प्रति वर्ष" तक सीमित है। ध्यान दें कि यहां वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष, जो १ अप्रेल से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो १ अप्रेल से हर एक परिवार का १०० दिनों का नया "कोटा" शुरू होता है, जो आगामी १२ महीनों के लिए है। ध्यान दें कि १०० दिन के इस कोटे को परिवार के सभी सदस्यों के बीच बाँटा जा सकता है : मतलब अलग-अलग लोग, अलग-अलग दिन, या एक साथ भी काम पर जा सकते हैं, बशर्ते कुल रोजगार एक वित्तीय वर्ष में १०० दिनों से अधिक न हो।

**८. क्या रोजगार गारंटी कानून कुछ ही राज्यों या जिलों तक सीमित किया गया है?**

यह कानून शुरूआत में २०० जिलों में लागू होगा। तब इसे अगले पाँच वर्षों में क्रमशः समूचे ग्रामीण भारत में (जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर) लागू किया जाएगा, अर्थात् २०१० के मध्य तक। जिलों की संख्या क्रमशः बढ़ाने का मतलब होगा कि केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना (नोटीफिकेशन) जारी कर अतिरिक्त जिलों के नाम जोड़ेगी।

**९. शहरी इलाकों का क्या होगा?**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५, केवल ग्रामीण इलाकों के लिए बना है। शहरी इलाकों में रोज़गार गारंटी कानून लाने के पहले काफी विचार करने की आवश्यकता होगी। इस संभावना पर भी विचार करना चाहिए कि अगला कदम एक "शहरी रोजगार गारंटी कानून" बनाने का हो। इस दिशा में कुछ काम प्रारंभ भी कर दिया गया है। तब तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून भी शहरी मजदूरों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है; क्योंकि (१) शायद कुछ शहरी मजदूर शहरों में पलायन करने के बदले अपने गाँवों में रोजगार पाना पसन्द करें, और (२) अगर गाँवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आती है तो शहरी इलाकों में बसने वालों को अधिक मजदूरी भी मिल सकती है।

**ख. रोजगार गारंटी योजना**

**१०. रोजगार गारंटी कानून और "रोजगार गारंटी योजना" के बीच क्या रिश्ता है?**

रोजगार गारंटी कानून सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि वे आगामी छह माह के अन्दर एक "रोजगार गारंटी योजना" बनाएँ ताकि गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। यों यह अधिनियम ही वह कानूनी आधारशिला उपलब्ध करवाता है जिस पर रोजगार की गारंटी टिकी है, और योजना वह माध्यम है जिसके जरिए यह गारंटी प्रभाव में आती है। ध्यान रखें कि कानून एक राष्ट्रीय कानून है जबकि योजनाएँ विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी होंगी। यद्यपि प्रत्येक राज्य को अपनी रोजगार गारंटी योजना बनाने की आजादी है, फिर भी कुछ

इस अधिनियम के अधीन गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए स्कीम में शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जो अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं से कम नहीं है।

## (मजदूरी दर)

६. (१) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी,

परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपये प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होगी।

(२) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जाएगी।

## (बेकारी भत्ते का संदाय)

७. (१) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पंद्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह उस धारा के अनुसार एक दैनिक बेकारी भत्ते का हकदार होगा।

(२) पात्रता के ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा इस अधिनियम और स्कीमों और राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन संदेय बेकारी भत्ता किसी गृहस्थी के आवेदकों को गृहस्थी की हकदारी के अधीन रहते हुए ऐसी दर से जो राज्य परिषद के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के एक

बटा दो से अन्यून नहीं होगी।

(३) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही-

(क) आवेदक को, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा या तो स्वयं कार्य के लिए रिपोर्ट करने या उसकी गृहस्थी के कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करने के लिए निदेशित किया जाता है, या

(ख) वह अवधि जिसके लिए नियोजन चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है, या

(ग) आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यों ने उस वित्तीय वर्ष के भीतर कुल कम से कम सौ दिन का कार्य प्राप्त कर लिया है,

(घ) आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है।

(४) गृहस्थी के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेकारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी जिसके अंतर्गत जिला मध्यवर्ती या ग्राम स्तर का पंचायत है द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, मंजूर और संवितरित किया जाएगा।

(५) उपधारा (१) के अधीन बेकारी भत्ते का प्रत्येक संदाय, उस तारीख से जिसको वह संदाय के लिए शोध्य हो जाता है, पंद्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा।

(६) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

## (कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ते का संवितरण करना)

८. (१) यदि कार्यक्रम अधिकारी, अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेकारी भत्ते का समय पर या बिल्कुल संवितरण करने की स्थिति में नहीं है, तो वह जिला कार्यक्रम समन्वयक को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना पट्ट पर और ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर तथा ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे, संप्रदर्शित की जाने वाली किसी सूचना में ऐसे कारणों की घोषणा करेगा।

(२) बेकारी भत्ते का संदाय न करने या विलंब से संदाय के प्रत्येक मामले की जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में, ऐसे संदाय न करने

''बुनियादी विशेषताएँ'' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५ की अनुसूची १ में बताई गई है। उदाहरण के लिए अनुसूची १ यह स्पष्ट करती है कि रोजगार गारंटी योजना में किस प्रकार के काम चलाए जा सकेंगे और कार्यस्थल पर कौन-कौन सी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी।

**११. रोजगार गारंटी योजना में किस प्रकार के काम चलाए जा सकते हैं?**

अनुसूची १ में काम की आठ श्रेणियाँ शामिल की गई हैं जिन पर रोजगार गारंटी योजना में ''ध्यान देना होगा।'' संक्षेप में ये श्रेणियां हैं- (१) ''जल संरक्षण व जल संग्रहण'' (२) ''अकाल से बचाव'' (मय वनरोपण के); (३) ''सिंचाई नहरें, मय सूक्ष्म व लघु सिंचाई कार्यों के'' (४) भूमि सुधार या इंदिरा आवास योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी परिवारों को ''सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले कार्य''; (५) ''परंपरागत जल स्त्रोतों का नवीनीकरण'' मय तालाबों की मिट्टी हटाने के; (६) ''भूमि विकास''; (७) ''बाढ़ नियंत्रण व बचाव के कार्य जिसमें पानी जमा होने वाले इलाकों से पानी निकास की व्यवस्था भी शामिल है; (८) ''ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण''। इसके अलावा एक नवीं श्रेणी भी है जिसमें ''कोई भी अन्य काम जिसकी अधिसूचना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद जारी करे, शामिल है।''

यह सूची काफी सीमित है और इस दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५, पूर्व में नागरिकों द्वारा बनाए गए प्रारूप के विपरीत है। नागरिकों के प्रारूप में मान्य या स्वीकृत कार्यों की व्यापक परिभाषा करते हुए कहा गया था कि वे तमाम कार्य मान्य होंगे जो (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) ''उत्पादन बढ़ाने में, स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण में, पर्यावरण के संरक्षण में या जीवन की गुणवत्ता सुधारने में'' योगदान देते हों। अगर अनुसूची १ को संशोधित न करना हो, तो इस कानून के तहत मान्य कार्यों की सूची को बढ़ाने का एक ही उपाय बचता है कि अंतिम नवीं श्रेणी में दूसरे प्रकार के कार्य भी जोड़े जाएँ।

कानून यह भी कहता है कि प्राथमिकता पर किए जाने वाले ''वरीयता कार्यों'' की सूची राज्य गारंटी परिषद द्वारा बनाई जाएगी। वरीयता सूची के कामों की पहचान इस आधार पर की जाएगी कि उनमें 'स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण की कितनी क्षमता है''। जाहिर है कि यह सूची विभिन्न इलाकों के लिए अलग-अलग होगी।

**१२. क्या रोजगार गारंटी योजना संबंधी कार्य शहरी इलाकों में भी किए जाएंगे?**

सिद्धान्ततः नहीं। कानून के अनुसार ''इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्य ग्रामीण इलाकों में'' होंगे। {अनुसूची १, अनुच्छेद३}

**१३. रोजगार गारंटी योजना के कार्यों पर क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी है?**
''नए कार्य'' केवल तब प्रारंभ हो सकेंगे, जब (१) कम से कम पचास मजदूर ऐसे काम के लिए उपलब्ध हों, और (२) इन मजदूरों को अन्य चल रहे कामों में नहीं खपाया जा सकता हो। फिर भी राज्य सरकार इस प्रतिबंध को ''पहाड़ी इलाकों में तथा वनीकरण के प्रयासों'' से संबंधित मामलों में हटा सकती है।

**१४. रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होगी?**
रोजगार गारंटी योजना, केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए वित्त से, राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। कानून के भाग १३ के अनुसार योजना के नियोजन तथा क्रियान्वयन की ''मुख्य सत्ता'' जिला, मध्यस्तरीय तथा ग्राम स्तर की पंचायतें होंगी। परन्तु विभिन्न सत्ताओं के बीच जिम्मेदारी का विभाजन काफी पेचीदा है, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे।

क्रियान्वयन की मूल इकाई है ब्लॉक (खण्ड)। प्रत्येक खण्ड में एक ''कार्यक्रम अधिकारी'' योजना का प्रभारी होगा। इस कार्यक्रम अधिकारी का पद किसी खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) से कम नहीं होगा, उसका वेतन केंद्र सरकार देगी और रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उसकी अकेले की होगी। कार्यक्रम अधिकारी ''मध्य स्तर की पंचायत'' तथा जिला समन्वयक के प्रति जवाबदेह होगा। हम इस मुद्दे पर प्रवेशिका के भाग 'च' में, रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों के हकों की चर्चा करने के बाद फिर से लौटेंगे।

**ग. मजदूरों की हकदारियाँ**

**१५. रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर काम का आवेदन किस प्रकार करेंगे?**
यह मूलतः दो चरणों की प्रक्रिया है। पहला चरण है ग्राम पंचायत में अपना ''पंजीकरण करवाना। दूसरा चरण है काम का आवेदन देना। पंजीकरण पाँच वर्षों में एक बार ही करवाना होगा परन्तु काम का आवेदन जितनी बार काम की ज़रूरत पड़े, हर बार करना होगा।

पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य है कामों का नियोजन आसान बनाना। अगर कोई परिवार पंजीकरण का आवेदन करता है तो यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वह उसका पंजीकरण कर उसे एक ''जॉब कार्ड'' दे। जॉब कार्ड यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूरों के पास भी इस बात का लिखित रिकॉर्ड हो कि उन्होंने कितने दिन काम किया, उन्हें कितना भुगतान किया गया, बेरोजगारी भत्ता कब और कितना मिला, आदि। इससे उन्हें इस सूचना के लिए किसी सरकारी अधिकारी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जॉब कार्ड भी कम से कम पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा। काम के लिए आवेदन किसी भी समय, ग्राम पंचायत के द्वारा या सीधे कार्यक्रम अधिकारी को

या विलंब से संदाय के कारणों सहित, रिपोर्ट की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन रिपोर्ट किए गये बेकारी भत्ते का संबंधित गृहस्थी को यथासंम्भव शीघ्रता से संदाय करने के सभी उपाय करेगी।

## (कतिपय परिस्थितियों में बेकारी भत्ता प्राप्त करने के हक से वंचित रहना)

९. कोई आवेदक जो ---

(क) किसी स्कीम के अधीन अपनी गृहस्थी को उपलब्ध नियोजन स्वीकार नहीं करता है, या

(ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के प्रंदह दिन के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, या

(ग) संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई अनुज्ञा प्राप्त किए बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी मास में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है,

तो वह तीन मास की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय बेकारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा किन्तु किसी भी समय स्कीम के अधीन नियोजन चाहने का हकदार होगा।

अध्याय ४

## कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी

(केन्द्रीय नियोजन गारंटी परिषद्)

१०. (१) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय रोज़गार गारण्टी परिषद के नाम से एक परिषद् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए गठित की जाएगी।

(२) केन्द्रीय परिषद् का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

(३) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा

नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष,

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों के, जिनके अंतर्गत योजना आयोग भी है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति के उतनी संख्या से अनधिक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए प्रतिनिधि,

(ग) राज्य सरकारो के उतनी संख्या से अनधिक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि,

(घ) पंचायती राज्य संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंद्रह से अनधिक गैर सरकारी सदस्य,

परन्तु यह कि ऐसे सरकारी सदस्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष सम्मिलित होंगे :

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन नामनिर्देशित एक तिहाई से अन्यून गैर सरकारी सदस्य महिलाएं होंगी :

परन्तु यह भी कि गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे,

(ड.) राज्यों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा अवधारित करें,

(च) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति का एक सदस्य सचिव ।

(४) वे निबंधन और शर्ते जिनके अधीन रहते हुए, केन्द्रीय परिषद का अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा केन्द्रीय परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

## (केन्द्रीय परिषद् के कृत्य और कर्तव्य)

११. (१) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित और कर्त्तव्यों का पालन और निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय मूल्याँकन और मानीटरी प्रणाली स्थापित करना,

(ख) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर केन्द्रीय सरकार

दिया जा सकता है। दोनों का ही यह फर्ज है कि वे वैध आवेदनों को स्वीकारें और तारीख के साथ उसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को दें। {अनुसूची ॥, अनुच्छेद १०} आवेदन कम से कम चौदह दिनों के लगातार काम के लिए होना चाहिए। {अनुसूची ॥, अनुच्छेद ७}। कानून में सामूहिक आवेदनों, अग्रिम आवेदनों, समय-समय पर एक से अधिक आवेदनों, का भी प्रावधान है। {अनुसूची ॥, अनुच्छेद १०, १८ तथा १६}। कानून के अनुसार उन्हें कब और कहाँ काम के लिए हाजिर होना है यह सूचना आवेदकों को पत्र द्वारा और साथ ही ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों के सूचनापट्ट पर सार्वजनिक नोटिस लगा कर दी जाएगी। {अनुसूची ॥, अनुच्छेद ११ तथा २२} ध्यान रहे कि पंजीकरण की इकाई ''परिवार'' है, जबकि काम के आवेदन व्यक्ति के नाम से दिए जाएंगे।

**१६. कानून में ''परिवार'' को किस तरह परिभाषित किया गया है?**

कानून के अनुसार ''परिवार वह इकाई है जिसके सदस्य एक दूसरे के खून के रिश्ते से, विवाह के रिश्ते से या गोद लेने के रिश्ते से, एक दूसरे से संबंधित हैं और सामान्य रूप से एक साथ रहते, साथ-साथ खाते हों या जिनका ''राशन कार्ड'' एक हो'' {भाग २ (एफ)} । इस परिभाषा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि ''संयुक्त परिवार'' के सभी सदस्य जो साथ रहते हों और जिनका राशन कार्ड साझा हो, उनकी संख्या काफी अधिक भी हो सकती है। फिर भी उन्हें एक ही परिवार माना जाएगा। यह बड़े परिवारों के प्रति अन्याय है क्योंकि उन्हें भी केवल १०० ही दिनों के काम का हक होगा, जो किसी छोटे परिवार को भी है, फिर चाहे उनकी ज़रुरतें कहीं ज्यादा ही क्यों न हों। आदर्श स्थिति तो वह हो जहाँ प्रत्येक एकल परिवार (पति, पत्नी और उनके बच्चे) को एक अलग परिवार माना जाए।

**१७. रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को कितना भुगतान किया जायेगा?**

मजदूरों को उनके राज्य में कृषि मजदूरों के लिए मान्य न्यूनतम मजदूरी का हक है, जब तक कि केन्द्र सरकार इसे निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर कोई भिन्न मजदूरी दर की घोषणा न करे। अगर केन्द्र सरकार कोई मजदूरी दर की घोषणा करती है तो यह दर रु. ६० प्रति दिन से कम नहीं होगी {भाग ६}।

**१८. भुगतान का तरीका क्या होगा-दैनिक मजदूरी या पीस रेट, मतलब निश्चित काम के हिसाब से?**

कानून दोनों की अनुमति देता है। दोनों ही तरह के भुगतानों में भाग ६ में परिभाषित न्यूनतम मजदूरी लागू होगी। अगर मजदूरी पीस रेट के हिसाब से दी जाती है, तो दर ऐसी होनी होगी कि सात घंटे काम करने पर व्यक्ति को सामान्यतः न्यूनतम मजदूरी मिल सके {अनुसूची ।,

अनुच्छेद ६ से ८}

**१९. मजदूरी में पैसे मिलेंगे या वस्तु?**

मजदूरी का भुगतान रुपयों या वस्तु दोनों ही तरह से किया जा सकेगा। काम के बदले अगर वस्तु दी जाती है तो इसका आमतौर से मतलब होगा कि कुछ भुगतान अनाज के रूप में दिया जाए। पूरी मजदूरी का कम से कम २५ प्रतिशत हिस्सा रुपयों के रूप में देय होगा। {अनुसची II, अनुच्छेद ३१}

**२०. भुगतान की नियमितता क्या होगी?**

किए गए काम का भुगतान हर सप्ताह या किसी भी हाल में "काम करने की तारीख से एक पखवाड़े के अंदर" करना होगा {भाग ३ (३) }। साथ ही राज्य सरकार चाहे तो यह निर्देश भी दे सकती है कि मजदूरी में नकद दी जाने वाली राशि का दैनिक भुगतान किया जाए {अनुसूची II, अनुच्छेद ३२}

**२१. अगर मजदूरी समय पर न दी गई तो?**

ऐसी सूरत में मजदूरों को वेतन भुगतान कानून १९३६ के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा पाने का हक होगा {अनुसूची II, अनुच्छेद ३०}

**२२. क्या स्त्रियों और पुरुषों को अलग-अलग दर से भुगतान किया जा सकता है?**

बिल्कुल नहीं। सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन का हक है। सच तो यह है कि किसी भी तरह का लिंग आधारित भेदभाव करने की यह कानून मनाही करता है। {अनुसूची II, अनुच्छेद ३२}

**२३. क्या मजदूरों को कार्यस्थल पर कुछ विशिष्ट सुविधाओं का हक है?**

जी हाँ। कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुविधाएँ मुहैय्या करवाई जानी चाहिए : "सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया, आराम करने का समय, छोटी-मोटी दुर्घटनाओं और काम से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के लिए सामग्री समेत प्राथमिक उपचार का डब्बा (फर्स्ट एड बॉक्स)" {अनुसूची II, अनुच्छेद २७}। वैसे तो यह भी नाकाफी है पर अक्सर कार्यस्थलों पर इतनी भी सुविधा नहीं मिल पाती अतः यह जरूरी है कि कम से कम इतने की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाए।

**२४. छोटे बच्चों की देखभाल की सुविधा के बारे में क्या किया जाएगा?**

कानून कहता है कि "अगर किसी कार्यस्थल पर पाँच या उससे अधिक संख्या में ऐसी औरतें काम करती हों, जिनके छह साल से कम उम्र के बच्चे उनके साथ आएँ, तो उनमें से किसी एक महिला मजदूर को छोटे बच्चों की देखभाल का काम सौंपा जाएगा" {अनुसूची II, अनुच्छेद २८}। साथ ही जिस महिला को बच्चों की देखभाल का काम सौंपा जायेगा उसे भी शेष मजदूरों के समान

को सलाह देना,

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना,

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों की बावत जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का संवर्धन करना,

(ड.) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना,

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना,

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेषित किए जाएं।

(२) केन्द्रीय परिषद् को इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विभिन्न स्कीमों का मूल्याँकन करने की शक्ति होगी और उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित आँकड़े संगृहीत करेगी या संगृहीत कराएगी।

## (राज्य नियोजन गारंटी परिषद्)

१२. (१) राज्य स्तर पर, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मानीटर और पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार.... (राज्य का नाम) राज्य नियोजन गारंटी परिषद् के नाम से एक राज्य परिषद् का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में गैर सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों से नामनिर्दिष्ट पंद्रह से अनधिक गैर सरकारी सदस्य होंगे :

परन्तु इस खण्ड के अधीन नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएँ होंगी :

परन्तु यह और कि गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्याँकों के होंगे ।

(२) वे निबंधन और शर्ते जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा राज्य परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(३) राज्य परिषद् के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(क) स्कीम और राज्य में उसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य

सरकार को सलाह देना,

(ख) अधिमानित कार्यों का अवधारण करना,

(ग) समय-समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना,

(घ) इस अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का समर्थन करना,

(ड.) राज्य में इस अधिनियम और स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा ऐसे कार्यान्वयन का केन्द्रीय परिषद् के साथ समन्वय करना,

(च) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना,

(छ) कोई अन्य कर्त्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद् और राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाए।

(४) राज्य परिषद् को, राज्य में प्रचालित स्कीमों का मूल्याँकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित आँकड़े संगृहीत करने या संगृहीत करवाने की शक्ति होगी ।

## (स्कीमों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकारी)

१३. (१) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतों, प्रधान प्राधिकारी होंगी ।

(२) जिला स्तर पर पंचायतों के निम्नलिखित कृत्य होंगे -

(क) स्कीम के अधीन किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्लाक अनुसार शेल्फ को अंतिम रूप देना और उसका अनुमोदन करना ।

(ख) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं।

(३) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के निम्नलिखित कृत्य होंगे -

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए

न्यूनतम मजदूरी पाने का हक होगा {अनुसूची ॥, अनुच्छेद २८}

**२५. काम कहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा?**

'जहाँ तक संभव हो' आवेदक के निवास स्थान से अधिकतम ५ कि.मी. की दूरी पर ही काम उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर काम इस परिधि के बाहर उपलब्ध करवाया जाता है तो, वह उसी खण्ड में करवाया जाएगा और ऐसी स्थिति में मजदूरों को यातायात व गुजारे भत्ते के रूप में दैनिक भुगतान दर की १० प्रतिशत राशि भी देय होगी {अनुसूची ॥, अनुच्छेद १२ व १४}।

**२६. क्या कानून में विकलांगों के रोजगार के लिए भी कोई प्रावधान किया गया है?**

नहीं। नागरिकों द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में इस विषय में विशेष प्रावधान रखा गया था, पर कानून के अंतिम रूप में से उसे हटा दिया गया। फिर भी यह संभव है कि विकलांगों के लिए वेशेष प्रावधानों को रोजगार गारंटी योजना के ''नियमों'' में फिर से बहाल कर लिया जाए। ये नियम राज्य सरकारों को बनाने हैं। इन प्रावधानों में जिन्हें शामिल किया जा सकता है वे हैं : (१) पंजीकरण के समय विकलांग व्यक्तियों के लिए काम के विशेष अवसरों का प्रावधान; (२) विकलांग व्यक्तियों के लिए काम के विशेष अवसरों का प्रावधान; (३) जिन परिवारों में विकलांगता या संबंधित कारणों के चलते (जैसे विकलांग व्यक्ति की देखभाल के कारण) कोई भी सदस्य सामान्य रोजगार के अवसरों का लाभ न उठा सके, उनके लिए विशेष रोजगार के अवसरों का प्रावधान करना अनिवार्य हो, और (४) रोजगार गारंटी योजना की कुल राशि का ३ प्रतिशत विकलांगों को रोजगार देने के लिए आरक्षित किया जाए। ध्यान दें कि अंतिम सुझाव विकलांग व्यक्ति कानून, १९९५ पर आधारित है, जो कहता है कि ''समुचित सरकारें और स्थानीय निकाय सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में कम से कम तीन प्रतिशत राशि विकलांगों के लाभ के लिए आरक्षित करेंगी।''

**२७. अगर रोजगार गारंटी योजना के कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा?**

अगर कोई मजदूर गारंटी योजना के ''काम से उपजी या काम के दौरान दुर्घटना से'' घायल होता/होती है तो उसे ''योजना के तहत स्वीकृत निःशुल्क चिकित्सा-उपचार का हक होगा''। अगर उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है तो उसे अस्पताल में रहने, उपचार, दवाओं का खर्च और दैनिक भत्ता पाने का हक होगा। यह दैनिक भत्ता उसकी ''मजदूरी दर से कम से कम आधा होगा।'' ऐसे ही प्रावधान उन बच्चों के लिए भी है जो उनके साथ कार्य स्थल पर आते हैं। दुर्घटनावश मृत्यु या स्थाई विकलांगता की सूरत में उसके परिवार को या उसे रु. २५,००० का (''या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित राशि'') देय होगी {अनुसूची ॥, अनुच्छेद २४, २५, २६,

और ३३}।

**२८. क्या मजदूरों को अपनी मर्जी का काम चुनने की छूट होगी?**

नहीं। उन्हें वही काम करना होगा जो उन्हें ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकार सौंपती/सौंपता है। {अनुसूची ।, अनुच्छेद १०}। वे अधिक से अधिक ग्राम सभा या अन्य माध्यमों से काम की योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगे। (देखें भाग च)

**२९. अगर कोई काम के लिए आवेदन करे पर काम मिलने पर हाजिर न हो, तो क्या होगा?**

अगर किसी आवेदक को काम की सूचना दी जाती है, पर वह सूचना पाने के बाद १५ दिन की अवधि में काम के लिए हाजिर नहीं होता है तो उसे अगले तीन माह तक के लिए काम से वंचित किया जायेगा।

**घ : बेरोजगारी भत्ता**

**३०. रोजगार गारंटी कानून के तहत बेरोजगारी भत्ता किसे मिल सकता है?**

जो व्यक्ति काम का आवेदन करे पर उसे आवेदन की १५ दिन की अवधि में (या उस तिथि से १५ दिन की अवधि में जब से उसने अपने अग्रिम आवेदन" द्वारा काम चाहा था) काम उपलब्ध नहीं करवाया जा सके, उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। {भाग ७ (।)}।

**३१. क्या इन परिस्थितियों में राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा?**

कानून की मंशा तो यही है। "नागरिकों के प्रारूप" में बेरोजगारी भत्ता चुकाना अनिवार्य बनाया गया था। परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५, इस विषय में कुछ अस्पष्ट है। कानून का भाग ७ (१) सुझाता है कि जिन मजदूरों को काम उपलब्ध नहीं करावाया जा सका उन्हें बेरोजगारी भत्ता पाने का "बिना शर्त" अधिकार है। परन्तु भाग ७ (२) सुझाता है कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान "योग्यता की उन शर्तों व प्रतिबंधों पर आधारित होगा जो राज्य सरकार तय करती है तथा वह इस कानून व योजनाओं के प्रावधानों और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा"। अतः अब यह माँग करना भी जरूरी हो गया है कि जिन मजदूरों को चाहने पर भी काम उपलब्ध नहीं करवाया जा सका, उन सभी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

**३२. बेरोजगारी भत्ते की क्या भूमिका है?**

बेरोजगारी भत्ता कई तरह की भूमिकाएँ निभाता है। पहली बात तो यह है कि इससे उन लोगों को कुछ बेरोजगारी सहायता मिल जाती है, जो काम का इन्तजार कर रहे हैं। दूसरे, इससे स्पष्ट

ब्लाक योजना का अनुमोदन करना,

(ख) ग्राम पंचायत स्तर और ब्लाक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(४) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन करने में पंचायत की सहायता करेगा ।

## (जिला कार्यक्रम अधिकारी समन्वयक)

१४. (१) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या जिले के कलक्टर या समुचित पंक्ति के किसी अन्य जिला स्तर के अधिकारी को, जिसका राज्य सरकार विनिश्चय करे, जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

(२) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(३) जिला कार्यक्रम समन्वयक के निम्नलिखित कृत्य होंगे -

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में जिला पंचायत की सहायता करना,

(ख) ब्लाक द्वारा तैयार की गई योजनाओं और जिला स्तर पर पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के शैल्फ में सम्मिलित करने के लिए अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का समेकन करना,

(ग) आवश्यक मंजूरी और प्रशासनिक अनापत्ति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, प्रदान करना,

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को इस अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार नियोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, अपनी अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समन्वय करना,

(ड.) कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन, मानीटर और पर्यवेक्षण करना,

(च) चल रहे कार्य का नियतकालिक परीक्षण करना, और

(छ) आवेदकों की शिकायतों को दूर करना ।

(४) राज्य सरकार, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का जिला कार्यक्रम समन्वय को प्रत्यायोजन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हों ।

(५) धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी और जिले के भीतर कृत्य कर रहे राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा निकायों के सभी अन्य अधिकारी, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाई गई स्कीमों के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(६) जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर मास में तैयार करेगा जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित माँग और स्कीम के अंतर्गत आने वाले कार्यों में श्रमिकों को लगाने की योजना के ब्यौरे होंगे और इसे जिला पंचायत की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगा ।

## (कार्यक्रम अधिकारी)

१५. (१) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो ब्लाक विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसी अर्हताओं और अनुभव के साथ जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएँ, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी ।

(२) कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उसके कृत्यों का निर्वहन करन११ में सहायता करेगा ।

(३) कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से अद्भूत नियोजन अवसरों के साथ नियोजन की माँग का मेल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(४) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गये परियोजना प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लाक के लिए एक योजना तैयार करेगा ।

(५) कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(क) ब्लाक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का मानीटर करना,

संकेत यह भी मिलता है कि जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे आवेदकों को काम दिलवाने में असफल रहे हैं। तीसरे यह राज्य सरकार को उसकी असफलता के लिए दण्डित भी करता है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

ऐसी सजा दरअसल राज्य सरकार को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी करती है कि वह काम उपलब्ध करवाए। यह इसलिए है क्योंकि रोजगार देने पर मजदूरी भुगतान का अधिकांश खर्च तो केन्द्र सरकार को ही देना है, परन्तु बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। अतः अगर राज्य सरकार काम मुहैय्या करवाती है तो दरअसल वह ''बचत'' कर रही होगी। परन्तु अगर इस तरह के प्रोत्साहन को प्रभावी बनाना है तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बेरोजगारी भत्ता एक कागजी सुझाव न रह जाए, बल्कि एक वास्तविकता बने। महाराष्ट्र में ठीक यही हुआ वहां बेरोजगारी भत्ता कभी दिया ही नहीं गया। यही कारण है कि बेरोजगारी भत्ते का भुगतान बेहद महत्वपूर्ण है।

**३३. बेरोजगारी भत्ते का स्तर क्या होगा?**

बेरोजगारी भत्ते की राशि राज्य सरकार को तय करनी है परन्तु यह किसी हालत में पहले तीस दिनों तक ''देहाड़ी मजदूरी दर की एक चौथाई से कम नहीं'', तथा उसके बाद ''देहाड़ी मजदूरी दर के आधे से कम नहीं'' हो सकती। {भाग ७(२)}

**३४. बेरोजगारी भत्ते के अदायगी की समय सीमा क्या है?**

''जिस दिन यह बेरोजगारी भत्ता देय हो उससे १५ दिन से अधिक विलम्ब'' बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में नहीं किया जा सकता {भाग ७(५)}।

**३५. अगर किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो उसे पाने की योग्यता कब शेष हो जाएगी ?**

निम्नलिखित स्थितियों में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान बंद किया जा सकता है : (१) अगर भत्ता पाने वाले को ग्राम पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी काम पर पहुँचने की इत्तला दे दे; (२) वह अवधि ही खत्म हो जाए जिसके लिए उसने रोजगार की माँग की थी; (३) अगर भत्ता पाने वाले परिवार का किसी एक वित्तीय वर्ष में ''१०० दिवस के काम का कोटा'' समाप्त हो जाए; (४) अगर उस परिवार को किसी एक वित्तीय वर्ष में रोजगार का भुगतान और बेरोजगारी भत्ता मिलाकर, उतनी राशि मिल जाए जितनी सौ दिन के काम से मिलनी थी। {भाग ७(३)}।

**च. क्रियान्वयन तथा निगहबानी करने वाली सत्ताएँ**

नोट : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००६ का कथानक काफी पेचीदा है, और उसमें

कई लोगों की भूमिकाएँ हैं। इसके मुख्य अदाकार हैं : राज्य परिषद्, जिला समन्वयक कार्यक्रम अधिकारी, मध्य श्रेणी की पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वे ''क्रियान्वयन संस्थाएं'' जो विभिन्न संस्थाओं के अलावा हों। इन विभिन्न सत्ताधारियों के बीच जिम्मेदारियों का विस्तृत विभाजन किया गया है, और उसकी बारीकियाँ कानून में हमेशा पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं होती। नीचे यह कोशिश की गई है कि उन तमाम तथ्यों को सरल तरीके से सामने रखा जाए।

**३६. रोजगार गारंटी योजना में ''कार्यक्रम अधिकारी'' की जिम्मेदारी क्या-क्या हैं?**

कार्यक्रम अधिकारी मोटे तौर पर खण्ड स्तर पर रोजगार गारंटी योजना के ''समन्वयक'' के रूप में काम करेगा। ध्यान रहे कि इस कानून में क्रियान्वयन की मूल इकाई खण्ड ही है। खण्ड स्तर पर दो अलग-अलग प्रक्रियाएं एक साथ चलेंगी। एक ओर तो लोग ग्राम पंचायतों के मार्फत् या सीधे कार्यक्रम अधिकारी को काम के लिए आवेदन करेंगे-दोनों ही स्थितियों में सभी आवेदन अंततः कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में ही पहुंचेंगे। दूसरी ओर क्रियान्वयन संस्थाएँ रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जाने वाले कामों के प्रस्ताव (संक्षेप में ''परियोजनाएं'') तैयार करेंगी: ये संस्थाएँ मध्य स्तर की पंचायत संस्था, ग्राम पंचायतें, विभिन्न सरकारी विभाग, गैर-सरकारी संस्थाएँ आदि, हो सकती हैं। कार्यक्रम अधिकारी इन दोनों प्रक्रियाओं के बीचों बीच खड़ा है : उसके पास काम के आवेदन भी आएंगे और साथ ही परियोजना प्रस्ताव भी और उसे इन दोनों का सही मेल करना है। इसका मतलब होगा कि उसे परियोजनाओं को कुछ इस प्रकार स्वीकृत करना होगा कि काम का आवेदन करने वाले लोगों को १५ दिन की अवधि में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।

नियोजन करने की इस भूमिका के अलावा कार्यक्रम अधिकारी की दूसरी भूमिका ''निगहबानी'' करने की भी है। उसे स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन का प्रबोधन करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि समय पर मजदूरी का भुगतान हो, इस संबंध में की गई शिकायतों का भी उसे निपटारा करना है, पारदर्शिता के सभी प्रावधानों को लागू करना है, आदि-आदि। कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारियों की सूची काफी लंबी-चौड़ी है और उन्हें संक्षेप में सामने रखना कठिन है। कार्यक्रम अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारियों की सूची बॉक्स १ में दी जा रही है।

अंततः कार्यक्रम अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि जो कोई रोजगार के लिए आवेदन दे उसे १५ दिन की अवधि में काम उपलब्ध करवाया जाए। अर्थात् यह कानून मजदूरों को जो हक देता है उसकी सुरक्षा करना ही कार्यक्रम अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा करना संभव नहीं होता तो कार्यक्रम अधिकारी को बेरोजगारी भत्ते को भुगतान करना होगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण भी देना होगा कि काम क्यों

(ख) पात्र गृहस्थियों को बेकारी भत्ता मंजूर करना उसका संदाय सुनिश्चित करना,

(ग) ब्लाक के भीतर स्कीम के किसी कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी का तुरन्त और उचित संदाय सुनिश्चित करना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा की जा रही है और यह कि सामाजिक संपरीक्षा में उठाए गये आपेक्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है,

(ड.) सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाना जो ब्लाक से भीतर स्कीम से कार्यान्वयन के संबन्ध में उत्पन्न हों, और

(च) कोई अन्य कार्य करना जो जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए।

(६) कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कृत्य करेगा।

(७) राज्य सरकार के आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी कार्यक्रम अधिकार के सभी या किन्ही कृत्यों का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जायेगा।

## (ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व)

१६. (१) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए परियोजनाएँ उत्तरदायी होंगी ।

(२) कोई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी परियोजना को जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, ले सकेगी।

(३) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब कभी कार्य की माँग उत्पन्न होती है, किए जाने वाले सम्भव कार्यों का एक शैल्फ रखेगी ।

(४) ग्राम पंचायत, परियोजनाओं के विकास के लिए जिसके अंतर्गत उस वर्ष के प्रारंभ से जिसमें इसे निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, की संवीक्षा और प्रारम्भिक पूर्वानुमोदन के लिए कार्यक्रम अधिकारी को विभिन्न कार्यों के बीच अग्रता का क्रम सम्मिलित है, अपने प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी।

(५) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य को आवंटित करेगा।

(६) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित का प्रदाय करेगा -

(क) उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मस्टर रोल, और

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध नियोजन के अवसरों की एक सूची।

(७) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच नियोजन के अवसरों का आवंटन करेगी तथा कार्य के लिए उनसे रिपोर्ट करने के लिए कहेगी ।

(८) किसी स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किया गया कार्य अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापमानों को पूरा करेगा ।

## (ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक संपरीक्षा)

१७. (१) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मानीटर करेगी ।

(२) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी ।

(३) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियाँ और अन्य संबंधित लेखा बहियाँ और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी।

## (स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व)

१८. राज्य सरकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को ऐसा अनिवार्य कर्मचारिवृन्द और तकनीकी सहायता जो स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराएगी।

## (शिकायत दूर करने हेतु तंत्र)

१९. राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन की बावत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निपटान के लिए, नियमों द्वारा ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत दूर करने हेतु समुचित तंत्र अवधारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेगी ।

नहीं दिलवाया जा सका। कार्यक्रम अधिकारी मध्य स्तर की पंचायत तथा जिला समन्वयक के प्रति जवाबदेह होगा।

### *खण्ड स्तर के विभिन्न पात्रों की मुख्य जिम्मेदारियाँ*

### *का. खण्ड विकास अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) की जिम्मेदारियाँ*

*१. यह सुनिश्चित करना कि हरेक आवेदक को योजना के प्रावधानों के अनुरूप पंद्रह दिनों की अवधि में अकुशल मजदूरी का काम मिले।*

*२. ग्राम पंचायतों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा तैयार किए गये परियोजना प्रस्तावों को समेकित करते हुए खण्ड के लिए योजना बनाना।*

*३. रोज़गार की माँग का, खण्ड में तैयार किए गये परियोजना प्रस्तावों से उभरे रोज़गार के अवसरों से मेल बैठाना।*

*४. काम के आवेदन लेना और उनकी तारीख पड़ी हुई प्राप्ति रसीद आवेदकों को देना । (यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को भी दी गई है।)*

*५. आवेदकों को कामों पर हाज़िर होने की सूचना देना । (यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को भी बाँटी गई है)*

*६. रोज़गार गारण्टी योजना के तहत लगाए गए सभी मजदूरों को समय पर और उचित भुगतान करना।*

*७. बेरोजगारी भत्ते को स्वीकृत करना और उसका भुगतान करना।*

*८. ग्राम पंचायतों की परियोजनाओं को स्वीकृत करना।*

*९. खण्ड में ग्राम पंचायतों तथा अन्य क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रही परियोजनाओं की निगहबानी करना।*

*१०. मस्टर रोल की प्रतियों की कॉपी उन लोगों के लिए तैयार रखना जिनकी उन्हें देखने में रुचि हो।*

*११. यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा में सभी किए जा रहे कामों का नियमित सामाजिक अंकेक्षक किया जाए।*

*१२. शीघ्रता से (सात दिन के अन्दर) योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी शिकायतों का निपटारा करना।*

*१३. खण्ड में रोज़गार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।*

*१४. "मध्य स्तर की पंचायत संस्था" को इस क़ानून के तहत जो कार्य सौंपे गये हैं उन्हें निष्पादित करने में सहायता करना।*

*१५. जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार अगर कोई अन्य कार्य सौंपती है तो उसे करना।*

***नोट : कार्यक्रम अधिकारी को सौंपे गये ''सभी या कोई भी'' कार्य राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को सौंपे जा सकते हैं (आगे देखें)***

**ख. मध्य स्तर की पंचायत की जिम्मेदारियाँ :-**

१. रोज़गार गारण्टी योजना के तहत कामों के ''प्रस्ताव'' कार्यक्रम अधिकारी को भेजना।
२. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
३. खण्ड स्तर की योजना का अनुमोदन कर उसे अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर की पंचायत को भेजना।
४. ग्राम पंचायत तथा खण्ड स्तर पर जो परियोजनाएँ चलाई जाएँ उनका निरीक्षण तथा निगहबानी करना।
५. राज्य परिषद् इसके अतिरिक्त जो भी जिम्मेदारी सौंपे उनको निभाना।

**ग. ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियाँ:-**

१. योजना के तहत ग्राम सभा की अनुशंषाओं का ध्यान रखते हुए पंचायत की विकास योजना बनाना और संभावित कार्यों की सूची तैयार रखना।
२. रोज़गार गारण्टी योजना के तहत जो लोग काम करना चाहते हैं उनका पंजीकरण करना तथा उन्हें जॉब कार्ड देना।
३. काम के आवेदनों को प्राप्त करना तथा उन्हें ऐसी प्राप्ति रसीदें देना जिन पर तारीख लिखी गई हो।
४. आवेदकों के बीच रोज़गार के अवसर आवंटित करना तथा उन्हें काम के लिए हाजिर होने की सूचना देना।
५. जिन लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया है, उनके नामों की सूची सूचना-पट्ट पर लगाना।
६. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन करना।
७. सामाजिक अंकेक्षक के लिए ग्राम सभा को सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध करवाना।
८. पंचायत कार्यालय में मस्टर रोलों की एक प्रति जनता द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार रखना।
९ योजना के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट बनाना।

**घ. ग्राम सभा की जिम्मेदारयाँ :-**

१. ग्राम पंचायत को परियोजनाओं की अनुशंसा करना और ग्राम पंचायत को ''विकास योजना'' तथा ''संभावित कार्यों की सूची'' के विषय में अपने सुझाव देना।
२. ग्राम पंचायत के दायरे में हुए कार्यों के क्रियान्वयन पर नज़र रखना।

अध्याय ५

## राष्ट्रीय और राज्य नियोजन गारण्टी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा

(राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि)

२०. (१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि के नाम ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी।

(२) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशि, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि के लिए आवश्यक समझे, जमा कर सकेगी ।

(३) राष्ट्रीय निधि के खाते जमा रकम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उपयोग किया जाएगा।

## (राज्य नियोजन गारंटी निधि)

२१. (१) राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राज्य नियोजन गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी ।

(२) राज्य निधि के खाते में जमा रकम, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएँ और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए, व्यय की जाएगी ।

(३) राज्य निधि, राज्य सरकार की ओर से ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, धारित और प्रशासित की जाएगी।

## (वित्तपोषण पैटर्न)

२२. (१) ऐसे नियमों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएँ, अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात् :-

(क) स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी से संदाय के लिए आपेक्षित रकम,

(ख) स्कीम की सामग्री लागत के तीन चौथाई तक रकम, जिसके अंतर्गत अनुसूची २ के उपबंधों के अधीन हुए कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों को मजदूरी का संदाय भी है,

(ग) स्कीम की कुल लागत का ऐसा प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों के प्रति अवधारित किया जाए, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते, केन्द्रीय परिषद् के प्रशासनिक खर्च, अनुसूची २ के अधीन दी जाने वाली सुविधाएँ और ऐसे अन्य मद भी है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएँ।

(२) राज्य सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात :-

(क) स्कीम के अंतर्गत संदेय बेकारी भत्ते की लागत,

(ख) स्कीम की सामग्री लागत का एक चौथाई, जिसके अंतर्गत अनुसूची २ के अधीन रहते हुए कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी का संदाय भी है,

(ग) राज्य परिषद् के प्रशासनिक खर्च।

## (पारदर्शिता और दायित्व)

२३. (१) जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला के सभी कार्यान्वयन अभिकरण, किसी स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए उनके व्ययन पर रखी गई निधि के उचित उपयोग और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(२) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के नियोजन और उपगत व्यय की समुचित बहियाँ और लेखा रखने की रीति विहित कर सकेगी ।

(३) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, स्कीमों और स्कीमों के अधीन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिए और स्कीमों के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, की जाने वाली व्यवस्थाओं को अवधारित कर सकेगी ।

(४) नकद रूप में मजदूरी और बेकारी भत्ते के सभी संदाय, सीधे संबद्ध व्यक्ति को और पूर्व घोषित तारीखों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जायेंगे ।

(५) यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई विवाद या शिकायत उत्पन्न होती है तो वह मामला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा।

(६) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत की उसके द्वारा रखे शिकायत रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और विवादों तथा शिकायतों को उसकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटायेगा और यदि वे ऐसे मामले से संबंधित है जिसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुलझाया जाना है तो

३. ग्राम पंचायत में लागू की गई सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षक आयोजित करना।

**३७. ''क्रियान्वयन संस्थाओं'' से क्या तात्पर्य है, क्या यह साफ किया जा सकता है?**

क्रियान्वयन संस्थाअनों में वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें रोजगार गारंटी येाजना के तहत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार किस कार्य को क्रियान्वियत करने के लिए अधिकृत करें {भाग २ (जी)}। क्रियान्वयन की मुख्य संस्थाएँ ग्राम पंचायतें होंगी : कम से कम ५० प्रतिशत कार्य (रोजगार गांरटी योजना के लिए उपलब्ध करवाई गई कुल राशि के अर्थ में) ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे {भाग १६ (५)}। अन्य संस्थाओं में मध्य स्तर की पंचायत संस्थाएँ, जिला स्तर की पंचायत संस्थाएँ तथा वे ''सरकारी विभाग'' शामिल होंगे जिन्हें क्रियान्वियन की जिम्मेदारी सौंपी जाए। जैसे सार्वजनिक निर्माण व वन विभाग, सिंचाई विभाग आदि। रोजगार गारंटी कानून में गैर-सरकारी संस्थाओं को भी क्रियान्वयन संस्थाओं के रूप में काम करने की इजाजत है।

**३८. क्या निजी ठेकेदार भी क्रियान्वयन संस्थाओं के रूप में काम कर सकेंगे?**

नहीं। इस बारे में कानून साफ कहता है किः ''योजना (रोजगार गारंटी योजना) में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निजी ठेकेदारों को काम सौंपने की अनुमति नहीं है'' {अनुसूची १, अनुच्छेद ११}। संक्षेप में निजी ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध हैं।

**३९. रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका है?**

सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों को पंजीकरण के आवेदनों की छँटनी कर उन्हें ''पंजीकृत'' करना है। इसका मतलब है संभावित मजदूरों का पंजीकरण करना, उन्हें जॉब कार्ड जारी करना, रोजगार के लिए दिए गए आवेदनों को प्राप्त करना उन्हें कार्यक्रम अधिकारी को भेजना, और काम उपलब्ध हो तो आवेदकों को उसकी सूचना देना। पंजीकरण और रोजगार पाने के आवेदन सीधे कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रेषित किए जा सकते हैं, पर उम्मीद सामान्य रूप से यही है कि वे ग्राम पंचायत के स्तर पर ही जमा किए जाएंगे।

यह भी हम पहले देख ही चुके हैं कि ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन संस्था भी होगी। उम्मीद यह रखी गई है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की अनुशंसाओं के आधार पर अपने ग्राम के लिए एक ''विकास योजना'' बनाएगी और रोजगार गारंटी योजना के तहत ''संभावित कार्यों'' की सूची तैयार करेगी। इसके बाद जब कार्यक्रम अधिकारी परियोजनाओं को स्वीकृति देगा तो पंचायत उन्हें क्रियान्वित भी करेगी। इन परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज, मय मस्टर रोल के, ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित करवाए गए सभी कार्यों की निगहबानी की जिम्मेदारी ग्राम सभा तथा

कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

**४०. रोजगार गारंटी योजना में ग्राम सभा की क्या भूमिका है?**

ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के कामों की निगहबानी करनी है और नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी भी करनी है। ग्राम सभा की खास जिम्मेदारी यह है कि योजना के तहत करवाए जाने वाले कामों की चर्चा करे, उनकी प्राथमिकता तय करें, पंचायत द्वारा करवाए गए कामों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण कर यह पुष्टि करे कि सभी मानकों की पालना की गई है या नहीं। रोजगार गारंटी योजना के तहत की जाने वाली नियोजन प्रक्रिया में ग्राम सभा के निर्णयों को ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी प्राथमिकता देंगे।

**४१. खण्ड स्तर से ऊपर अर्थात् जिला स्तर या राज्य पर क्या होगा?**

जिला स्तर पर रोजगार गारंटी योजना के निरीक्षण की जिम्मेदारी ''जिला समन्वयक'' की होगी। जिला समन्वयक को सभी कार्यक्रम अधिकारियों के काम का समन्वयन करना है। उदाहरण के लिए उनके द्वारा भेजी गई ''योजनाओं'' को समेकित कर जिला स्तरीय परियोजनाओं की सूची बनाना {भाग १४ (३) (बी)} । जिला समन्वयक से अपेक्षा यह भी है कि वह हर वर्ष दिसम्बर माह तक अगले वर्ष ''वित्तीय वर्ष'' के लिए जिले का ''श्रमिक बजट'' तैयार करें। जिला समन्वयक की अन्य जिम्मेदारियों में जिलों में चल रहे सभी कार्यों का निरीक्षण, उन परियोजनाओं को स्वीकृत करना जो कार्यक्रम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, जिला स्तर की पंचायत संस्थाओं की सहायता करना और राज्य परिषद के लिए वार्षिक रिपोर्ट बनाना भी शामिल हैं। राज्य स्तर पर रोजगार गारंटी योजना की निगहबानी का कार्य राज्य स्तर पर गठित रोजगार गारंटी परिषद (या ''राज्य परिषद'') की होगी। राज्य परिषद मूलतः राज्य सरकार को सलाह देने का काम करेगी। उदाहरण के लिए राज्य परिषद से यह उम्मीद रहेगी कि वह राज्य सरकार को ''दरों की अनुसूची'' (पीस रेट पर भुगतान दर क्या होनी चाहिए) के विषय में और निगहबानी की व्यवस्थाओं के संबंध में सलाह देगी। राज्य परिषद की दूसरी जिम्मेदारियों में प्राथमिकता पर प्रारंभ किए जाने वाले ''कार्यों की वरीयता सूची'' बनाना; रोजगार गारंटी योजना का मूल्यॉंकन करना और राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट बनाना शामिल हैं।

अंततः कानून यह भी कहता है कि एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद (या संक्षेप में ''राष्ट्रीय परिषद'') का भी गठन किया जाए। राष्ट्रीय परिषद के कार्य राष्ट्र स्तर पर कुछ वैसे ही होंगे जैसे राज्य परिषद के राज्य स्तर पर बताए गए हैं। राष्ट्रीय परिषद देशभर में कानून के क्रियान्वयन की निगहबानी करेगी, केन्द्र सरकार को सलाह देगी और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक

वह उसे शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए ऐसे प्राधिकारी को अग्रेशित करेगा ।

## (लेखाओं की संपरीक्षा)

२४. (१) केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, स्कीमों के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएँ विहित कर सकेगी।

(२) स्कीम के लेखा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए रखे जाएंगे।

अध्याय ६

**प्रकीर्ण**

(अनुपालन के लिए शास्ति)

२५. जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी (देय) होगा।

## (प्रत्यायोजित करने की शक्ति)

२६. (१) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें, भी प्रयोक्तव्य होगी।

(२) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें, भी प्रयोक्तव्य होगी ।

## (केन्द्रीय सरकार की निर्देश देने की शक्ति)

२७. (१) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(२) उपधारा (१) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति कर, यदि प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत

का अन्वेशण करा सकेगी, और यदि आवश्यक हो तो स्कीम की निधियों के निर्मोचन को रोकने का आदेश कर सकेगी और उचित कालावधि के भीतर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारी उपाय कर सकेगी।

## (अधिनियम का अध्यरोही प्रभाव होना)

२८. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहाँ कोई ऐसी राज्य अधिनियमित विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ग्रामीण गृहस्थी में अर्द्धकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियम की जाती है, जिसके अधीन गृहस्थी की हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्तें उससे न्यूनतर नहीं है, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारण्टी की गई है, वहाँ राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा:

परन्तु यह और ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेश वित्तीय सहायता, जो संबद्ध राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी, उससे अधिक न होगी, जिसे वह इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने की तब हकदार होती जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती है ।

## (अनुसूचियों की संशोधित करने की शक्ति)

२९. (१) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची १ या अनुसूची २ का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, या स्थिति, अनुसूची २ तदनुसार संशोधत की गई समझी जाएगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

## (सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण)

३०. जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अन्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य

रिपोर्ट तैयार करेगी।

### च. पारदर्शिता व जवाबदेही

**४२. क्या रोजगार गारंटी कानून में भ्रष्टाचार को रोकने के भी उपाय किए गए हैं?**

हाँ। इस कानून में पारदर्शिता और जवाबदेही के कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए सभी मजदूरों को जॉब कार्ड जारी किए जाने है; सभी भुगतान ''सीधे-सीधे संबंधित मजदूर को समुदाय के स्वतंत्र लोगों के सामने, पहले से घोषित तिथियों पर'' किए जाने हैं; मस्टर रोल व अन्य संबंधित दस्तावेजों को जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना है; रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है; आदि। साथ ही रोजगार गारंटी कानून, सूचना का अधिकार कानून (जिसे भी २००५ के मध्य में पारित किया गया था) के साथ-साथ चलता है। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार से लड़ने का एक महत्वपूर्ण हथियार है और रोजगार गारंटी योजना की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

इसके बावजूद यह भी कहना होगा कि नागरिकों द्वारा बनाए गए प्रारूप में पारदर्शिता के लिए जो प्रावधान सुझाव गए थे, उनकी तुलना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५ के प्रावधान कहीं कमजोर हैं। साथ ही रोजगार गारंटी कानून २००५ में (अंतिम क्षणों में) एक ''भ्रष्टाचार निरोध धारा'' जोड़ दी गई है, जो खतरनाक साबित हो सकती है।

**४३. यह ''भ्रष्टाचार विरोधी धारा'' क्या है?**

इस धारा में मोटी बात यह कही गई है कि अगर केन्द्र सरकार को ''अनुदान के दुरुपयोग'' की शिकायत मिलती है, जिसे जाँचने पर केन्द्र सरकार इस बात से ''प्रत्यक्षतः संतुष्ट'' होती है कि मामला वास्तव में घटा था, तो यह ''योजना के लिए वित्तीय अनुदान को रोकने का आदेश दे सकती है {भाग २७ (२)}। यों सरसरी तौर पर देखने से यह धारा नाजायज नहीं लगती और भ्रष्टाचार को लेकर चिंचित होना भी स्वाभाविक ही लगता है। परन्तु वास्तव में देखें तो यह धारा अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण, उल्टा असर करने वाली और दुरुपयोग की संभावनाओं से भरी है। इसमें मूल समस्या यह है कि यह धारा भ्रष्टाचार करने वालों के बदले भ्रष्टाचार पीड़ितों पर वार करती है। भ्रष्टाचार की रोकथाम की सबसे बड़ी ताकत तो दरअसल जनता की जागरूकता ही हो सकती है; परन्तु यह धारा लोगों के प्रोत्साहन (खासकर मजदूर वर्ग के उत्साह) पर ही रोक लगाती है, उन्हें भ्रष्टाचार की वारदातों को उजागर करने से हतोत्साहित करती है। क्योंकि अगर जनता द्वारा सचेत करने की घटना काम को ही बंद करवा देगी तो उसका असर भी आम गरीब जनता को ही झेलना होगा, वे ही उत्पीड़ित होंगे।

इसके अलावा यह धारा केन्द्र सरकार को इतनी व्यापक शक्तियाँ देती है कि वह अपनी मर्जी से, भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत के बिना ही अनुदान बंद कर दें। ऐसे में यह संभावना भी रहेगी कि भ्रष्टाचार के हल्के से शक या राजनैतिक मंशा से प्रेरित शिकायत के आधार पर समूची "योजनाओं" को ही वित्त देना बन्द कर दिया जाए। केन्द्र और राज्य के बीच अगर कभी ठन गई तो केन्द्र सरकार कुछ क्षेत्र विशेषों में चल रही योजनाओं को लक्षित कर उन्हें पूरी तरह ठप भी कर सकती है।

इस त्रुटिपूर्ण धारा के बदले, जिस चीज की दरअसल जरूरत है वह है पारदर्शिता के उपयों को और मजबूत बनाना और लोगों को इतना सक्षम बनाना कि वे स्वयं ही चल रहे कार्यों की निगहबानी कर सकें। इसके अलावा करना यह भी चाहिए कि जो लोग भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाएँ उनके विरुद्ध तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए।

**४४. रोजगार गारंटी योजना के हिसाब-किताब और रिकार्डों को जनता को उपलब्ध करवाने के बारे में कानून क्या कहता है?**

इस संबंध में तीन मूल प्रावधान हैं। अव्वल तो कानून साफ-साफ यह कहता है कि "योजना से संबंधित सभी हिसाब-किताब और रिकॉर्ड सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाए जायंगे" और हरेक व्यक्ति को इन दस्तावेजों की प्रति पाने का हक होगा, बशर्ते यह "योजना में उल्लिखित शुल्क" को चुका दे। {अनुसूची १, अनुच्छेद १६}। दूसरे, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों में "योजना में उल्लिखित शुल्क" देकर मस्टर रोल की प्रतियाँ निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। {अनुसूची १, अनुच्छेद १७}। तीसरे ग्राम पंचायत सभी संबंधित दस्तावेज (मय "मस्टर रोल, बिल वाउचर, नाम-जोख का खाता, स्वीकृति आदेशों की प्रतियाँ व अन्य संबंधित हिसाब-किताब और दस्तावेज") ग्राम सभा को उपलब्ध करवाएगी ताकि वह इनका सामाजिक अंकेक्षण कर सके {भाग १७ (३)}।

इन धाराओं में जो समस्या है वह यह है कि इसमें संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध करवाने के शुल्क पर कोई सीमा नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय में अपनी ओर से मस्टर रोल उपलब्ध करवाने की बात कही गई है यह भी अनियार्व नहीं लगती। यह एक बड़ी भारी कमी है क्योंकि सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रमों में जो घोटाले होते हैं उनमें मस्टररोल में ही सबसे अधिक फर्जीवाड़ा होता है। नागरिकों के प्रारूप में पारदर्शिता और जवाबदेही के इससे अधिक मजबूत प्रावधान थे, पर उन्हें नजरअंदाज कर कानून को कमजोर बनाने का यह एक और उदाहरण है।

इसके बावजूद इन सभी दस्तावेजों को पाने का एक दूसरा रास्ता है सूचना का अधिकार कानून

विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**(केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति)**

३१. (१) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नयम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा १० की उपधारा (३) के खण्ड (ड.) के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या,

(ख) धारा १० की उपधारा (४) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया,

(ग) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएँ जिनके अधीन रहते हुए धारा २० की उपधारा (३) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा।

(घ) धारा २२ की उपधारा (१) के अधीन कतिपय मदों की लागत को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न से संबंधित नियम,

(ड.) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बावत, केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है।

**(राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति)**

३२. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) वे निबंधन और शर्तें जिन पर धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन बेकारी भत्ता के लिए पात्रता अवधारित की जा सकेगी,

(ख) धारा ७ की उपधारा (६) के अधीन बेकारी भत्ता के संदाय के लिए प्रक्रिया,

(ग) धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते

हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और राज्य परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया,

(घ) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर परिवार निवारण तंत्र और धारा १६ के अधीन ऐसे मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ड.) यह रीति जिसमें तथा वे शर्ते और परिसीमाएँ जिनके अधीन रहते हुए धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा।

(च) वह प्राधिकारी जो धारा २१ की उपधारा (३) के अधीन राज्य निधि को प्रसारित कर सकेगा और वह रीति जिसमें वह राज्य निधि को धारित करेगा,

(छ) धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन श्रमिकों के नियोजन के बहीखाते और व्यय रखे जाने की रीति,

(ज) धारा २३ की उपधारा (३) के अधीन स्कीमों के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रबंध,

(झ) वह प्रारूप और रीति जिसमें स्कीम के लेखा धारा २४ की उपधारा (२) के अधीन रखें जाएंगे,

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

## (नियमों और स्कीमों का रखा जाना)

३३. (१) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रो में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई

२००५। इस कानून के प्रावधान काफी मजबूत हैं और कई अर्थों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५ के पारदर्शिता प्रावधानों से अधिक दूर जाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें सार्वजनिक दस्तावेजों की फोटो कॉपियाँ उपलब्ध करवाने के शुल्क पर सीमा लगाई गई है। सूचना के अधिकार कानून २००५ में सार्वजनिक दस्तावेजों को ''अनिवार्य रूप से जाहिर'' करने के विस्तृत प्रावधान भी हैं। (अर्थात् इन दस्तावेजों को जनता द्वारा निरीक्षण के लिए सुविधाजनक रूप में किसी के माँगने का इंतजार किए बिना ही, उपलब्ध करवाना)। अंतिम पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना का अधिकार कानून उप अधिकारियों के लए ''सख्त दण्ड'' का प्रावधान भी करता है जो कानून सूचना द्वारा बताई गई सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाते हैं। अतः सूचना का अधिकार कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५ के पारदर्शिता प्रावधानों का एक सशक्त पूरक है। रोजगार गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल ज़रूरी होगा।

### ज. अन्य प्रश्न

### ४५. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च का बँटवारा कैसे किया जाएगा?

केन्द्र सरकार को रोजगार गारंटी योजना में लगाए गए सभी मजदूरों का पूरा भुगतान और सामग्री पर आने वाले खर्च का तीन चौथाई भाग देना है। राज्य सरकार को सामग्री के खर्च की एक चौथाई राशि और बेरोजगारी भत्ते के लिए वित्त देना है। अगर ''मजदूरी-सामग्री का अनुपात ६०:४० है (जो कानून के तहत न्यूनतम अनुपात है), तो इसका मतलब होगा कि राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने पर आने वाले कुल खर्च का मात्र १० प्रतिशत और बेरोजगारी भत्ता चुकाएगी।

ध्यान दें कि खर्चे के बँटवारे के इस सूत्र में जो मजदूरी का हिस्सा है वह केवल ''अकुशल श्रम'' के संबंध में है। कुशल मजदूरों को लगाने पर आने वाला खर्चा ''सामग्री व्यय'' में गिना जाता है। जहाँ तक प्रशासकीय व अन्य बँधे हुए खर्चों (जैसे क्रियान्वयन अधिकारियों का वेतन आदि) का सवाल है कानून में कोई बँधा-बँधाया सूत्र नहीं दिया गया है और इसका विस्तृत ब्यौरा भी तब साफ होगा जब ''नियम'' बन जाएंगे।

### ४६. अधिकांश राज्य सरकारें दिवालिया हैं। वे रोजगार गारंटी योजना कैसे चला सकेंगी?

इस योजना के खर्च में राज्य सरकारों को जो खर्च करना है वह बहुत कम है- केवल करीब १० प्रतिशत। आज की स्थिति में राज्य सरकारें तमाम केन्द्र अनुदानित रोजगार कार्यक्रमों पर

आने वाले खर्च का एक अच्छा-खासा हिस्सा देती हैं (उदाहरण के लिए संपूर्ण रोजगार योजना में २५ प्रतिशत)। उम्मीद यह है कि ये तमाम कार्यक्रम भी रोजगार गारंटी योजना में समाहित कर लिए जाएंगे। मतलब रोजगार गारंटी योजना के नाम पर राज्य सरकार को अगर कोई अतिरिक्त खर्च करना भी पड़ेगा तो संभावना है कि वह काफी कम हो। सच तो यह है कि इस "खर्च" को एक अच्छे निवेश के रूप में ही देखना चाहिए क्योंकि रोजगार गारंटी योजना के व्यापक आर्थिक व सामाजिक लाभ होंगे।

**४७. क्या यह उचित नहीं होगा कि रोजागार गारंटी योजना को केवल ग्राम पंचायतें चलाएँ?**

आज यह केवल कुछ ही राज्यों में संभव है पर समय के साथ योजना को ग्राम पंचायतों को सौंपने का विचार अधिक व्यापक भी होता जाएगा। परन्तु कई राज्यों में स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि ग्राम पंचायतें ऐसे चुनौती भरी योजना को प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। इस कारण भी कानून में क्रियान्वयन की मूल इकाई ग्राम पंचायत के बदले खण्ड ही रखी गई है। दूसरा कारण यह भी है कि ग्राम स्तर पर काम की मांग और काम के मौकों के बीच मेल बैठाना भी कठिन होगा: कुछ गाँवों में रोजगार के अवसर कम होंगे और काम की मांग अधिक, तो कुछ दूसरे गांवों में स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। अतः संभावना यही है कि इस तरह का तालमेल बैठाना खण्ड स्तर पर ही अधिक आसान हो।

इसके बावजूद कानून यह छूट भी देता है कि कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारियाँ ग्राम पंचायत को सौपी जा सकती हैं; : राज्य सरकार चाहे तो, आदेश जारी कर, यह निर्देश दे सकती है कि कार्यक्रम अधिकारी के सभी या कोई भी कार्य, ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय सत्ता द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।" {भाग १५ (७)}। अतः यों देखें तो कानून ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन की अनुमति भी उस स्थिति में देता है जब ऐसा करना संभव या वांछनीय हो।

**४८. रोजगार गारंटी योजना के तहत क्या औरतों को रोजगार में उचित हिस्सा मिलेगा?**

यह कानून कहता है कि काम के आवंटन के समय औरतों को "इस प्रकार से प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएँ हो" {अनुसूची २, अनुच्छेद ६}। जो बात साफ नहीं होती वह यह है कि अगर काम का आवेदन करने वालों में औरतों की संख्या एक तिहाई से कम हो तो यह "कोटा" किस तरह लागू किया जाएगा। बेहतर तो यही होगा कि महिलाओं को आवेदन भेजने को प्रोत्साहित किया जाए, और उनके आवेदनों में मदद की जाए ताकि ऐसी स्थिति पैदा ही न हो। जिन इलाकों में औरतों की घर के बाहर काम करने की परंपरा

गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के, जहाँ दो सदन हैं, प्रत्येक के समक्ष और जहाँ राज्य विधानमण्डल का एक ही सदन है, वहाँ उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

## (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति)

३४. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हैं,

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची १

(धारा ४ (३) देखिए)

**ग्रामीण नियोजन की न्यूनतम विशेषताएँ**

१. स्कीम का केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित संक्रमों पर उनकी पूर्विकता के क्रम में होगा :

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय,

(ii) सूखारोधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण है),

(iii) सिंचाई नहरे जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है,

(iv) अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुवधिा का उपबन्ध।

(v) पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी हैं,

(vi) भूमि विकास,

(vii) बाढ नियंत्रण संरक्षण संक्रर्म, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है,

(viii) सभी मौसमों में पहुँच का उपबन्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, और

(ix) कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

२. टिकाऊ आस्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा ।

३. स्कीम के अधीन आरंभ किए गये संकर्म ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे ।

४. राज्य परिषद् विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनकी टिकाऊ आस्तियां सृजित करने की योग्यता के आधार पर अधिमानी संकर्मो की एक सूची तैयार करेगी।

५. स्कीम, स्कीम के अधीन सृजित सार्वजनिक आस्तियों के समुचित सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों के अधीन उसके द्वारा यथा अधिकथित समुचित व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए होगी।

६. किसी भी परिस्थिति के अधीन श्रमिकों को मजदूरी दर संदाय नहीं किया जाएगा।

७. जब मजदूरी का कार्य की मात्रा से सीधा संबंध हो तब मजदूरी, राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी।

८. अकुशल श्रमिकों के लिए, मजदूरी की दर अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि सात घंटे तक कार्य करने वाला व्यक्ति, आम तौर पर मजदूरी दर के बराबर मजदूरी अर्जित करेगा।

९. कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत अधिक नहीं होगी ।

१०. कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है वह निर्देश देने के लिए स्वतंत्र होगा/होगी कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे।

११. स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

१२. यथाव्यवहार्य स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं।

१३. प्रत्येक स्कीम में, कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और लेखादेयता सुनिश्चित करने

रही है वहां तो संभावना यह भी हो सकती है कि आवेदकों में एक तिहाई से भी अधिक स्त्रियां ही हों। पर दूसरे इलाकों में रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के वास्ते आगे बढ़कर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं।

**४९. अगर जिम्मेदार अधिकारी (जैसे कार्यक्रम अधिकारी) कानून के तहत सौंपी गई जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो क्या होगा?**

आदर्श स्थिति में तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के लिए प्रत्यक्ष दण्ड होने चाहिए जो कानून के तहत सौंपे गए अपने फर्ज को न निभाएं। साथ ही कानून के स्पष्ट उल्लंघन पर-जैसे किसी के काम के आवेदन का पंजीकरण न करना या बेरोजगारी भत्तों का भुगतान न करना आदि सख्त सजा दी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कानून इस पक्ष में काफी कमजोर है। इसमें केवल इतना भर कहा गया है कि ''जो कोई भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे दोष सिद्ध होने पर वित्त दण्ड देना होगा, जो रु. एक हजार तक का भी हो सकता है। ''यह संभव है जब राज्य सरकारें कानून से संबंधित नियम बनाएं तो यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक कठोर दण्ड शामिल हों।

**५०. क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५ राज्यों द्वारा अपने विशिष्ट रोजगार गारंटी कानून बनाने की गुंजाइश छोड़ता है?**

हाँ, अगर राज्य सरकार चाहे तो वह अपना रोजगार गारंटी कानून बना सकती है, बशर्ते (१) वह कानून राष्ट्रीय रोजगार कानून के अनुरूप हो, और (२) वह मजदूरों की हकदारियों को कम न करता हो (''परिवारों को जो हक दिए गए है, उनमें कोई कमी न आए और रोजगार की स्थितियों के बारे में इस कानून में जो गारंटीशुदा शर्तें हैं उनसे घटिया स्थितियां न हों'')। {भाग २८}

ध्यान रहे कि ऐसी सूरत में केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता ''केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी'' और वह उस राशि से अधिक नहीं होगी ''जिसका हक राज्य सरकार को इस कानून के तहत तब मिलता जब वह राष्ट्रीय कानून के तहत योजना बनाकर उसें लागू करती'' {भाग २८}। पर कानून यह स्पष्ट नहीं करता कि अधिकतम राशि की सीमा का हिसाब कैसे लगाया जाएगा।

**५१. इस प्रवेशिका में कई बार अनुसूची १, और अनुसूची २ का जिक्र किया गया है, ये अनुसूचियां क्या हैं?**

अनुसूची १ में ''रोजगार गांरटी योजना की न्यूनतम विशेषताएं'' और अनुसूची २ में ''मजदूरों की हकदारियां'' दी गई हैं। कानून के मुख्य पाठ और इन अनुसूचियों ने जो मुख्य अंतर है वह

यह है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा इन अनुसूचियों में संशोधन कर सकती है, जबकि कानून में अगर कोई संशोधन करना हो तो वह संसद द्वारा ही किया जा सकता है। 'नोटिफिकेशन' की प्रक्रिया ''संशोधन'' की प्रक्रिया से अधिक सरल है (यद्यपि दोनों में ही संसद की सहमति की जरूरत पड़ती है), और ठीक इसी अर्थ में अनुसूची में दी गई हकदारियां भी मुख्यपाठ में परिभाषित हकों से अधिक कमजोर भी हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। इसी बात में एक संभावित ''खामी भी है जिसका ध्यान उस समय रखना होगा जब इस कानून का निहित अर्थ निकाला जाए। दूसरी और अनुसूचियों के इस लचीलेपन को जनता के दबाव द्वारा कानून में सुधार लाने के एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है।

## भाग - २

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून : सार संक्षेप

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत सभी वयस्क जो मान्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अस्थाई शारीरिक मजदूरी करने को तैयार हों, उन्हें आवेदन देने के १५ दिन की अवधि के अन्दर काम पाने का हक होगा। इस कानून की मुख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं। अगर १५ दिनों की अवधि में काम उपलब्ध न करवाया जाए तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का हक होगा।

**गारंटी का ब्यौरा**

**१. योग्यता :** कोई भी व्यक्ति जो १८ वर्ष से अधिक आयु का हो और ग्रामीण इलाके में रहता हो उसे इस कानून के तहत काम का आवेदन करने का हक होगा।

**२. हकदारी :** किसी भी आवेदक को आवेदन के १५ दिन की अवधि में जितने दिन वह चाहे उतने दिन का काम पाने का हक होगा, बशर्ते यह १०० दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा से अधिक न हो।

**३. दूरी :** जहां तक संभव हो आवेदक को उसके आवास से ५ किमी. के दायरे के अंदर ही काम उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर काम इससे अधिक दूरी पर हो तो यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

**४. मजदूरी दर :** सभी श्रमिकों को राज्य में कृषि मजदूरों के लिए मान्य न्यूनतम मजदूरी पाने का हक होगा। जब तक केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी कर देहाड़ी मजदूरी की दर न बदले। अगर केन्द्र सरकार इस बाबत अधिसूचना जारी करती है तो देहाड़ी मजदूरी की राशि रु. ६० प्रतिदिन से कम न होगी।

**५. समय पर भुगतान :** जिस सप्ताह काम किया जाए उसके सात दिनों की अवधि में या

के लिए पर्याप्त उपबंध अंतर्विष्ट होंगे।

१४. किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के पूरा किए जाने के लिए संदत्त मजदूरी, किए गये कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उपबंध किए जाएंगे।

१५. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों तथा उपलब्धियों सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति, को मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

१६. स्कीम से संबंधित सभी लेखा और अभिलेख जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और उसकी एक प्रति या सुसंगत उद्धरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाले व्यक्ति को, मांग पर और ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात् जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी प्रतियां या उद्धरण दिए जा सकेंगे ।

१७. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात्, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षण के लिए उपलबध कराई जाएगी।

अनुसूची २

(धारा ५ देखिए)

**किसी स्कीम के अधीन गारण्टीकृत ग्रामीण नियोजन के लिए शर्ते और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां**

१. प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य, जो -

(i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और

(ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं,

उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कहा गया है) को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, कार्य कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

२. ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और एक कार्य कार्ड, गृहस्थी के प्रौढ़ सदस्यों के ऐसे ब्यौरे, जो स्कीम में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अंतर्विष्ट करते हुए और उनके फोटोग्राफ चिपकाकर, एक कार्य कार्ड जारी करें ।

३. पैरा २ के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए जो स्कीम में अधिकथित की जाए किन्तु किसी भी मामले मे पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किया जाएगा और इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा ।

४. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक प्रौढ़ सदस्य, जिसका नाम कार्य कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

५. किसी गृहस्थी के सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों की अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार, उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए प्रत्येक आवेदक अनुरोध करें, किसी वित्तीय वर्ष में प्रति गृहस्थी अधिकतम एक सौ दिनों के अधीन रहते हुए, नियोजन के हकदार होंगे ।

६. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पैरा ५ में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक को, स्कीम के उपबन्धों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में, कार्य चाहता है, इनमें से जो भी पश्चातवृती हो, अकुशल शारीरिक कर्म दिया जाएगा।

परन्तु स्त्रियों को पूर्विकता इस प्रकार दी जायेगी कि हिताधिकारियों में से कम से कम एक तिहाई ऐसी स्त्रियां होंगी जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्टर कराया है और अनुरोध किया है।

७. गृहस्थी की संपूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, या उसको वस्तुतः दिए गये नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

८. गृहस्थी की सम्पूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, या उसको वस्तुतः दिए गये नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

९. कार्य के लिए आवेदन, लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को, स्कीम जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे।

१०. यथास्थिति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी वैध आवेदन स्वीकार करने और आवेदक

अधिकतम एक पखवाड़े में भुगतान हो जाना चाहिए। मजदूरी का भुगतान समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों के सामने पूर्व घोषित तिथि पर किया जाएगा।

**६. बेरोजगारी भत्ता :** अगर आवेदन के १५ दिन की अवधि में आवेदक को रोजगार उपलब्ध नहीं करावाया जाता तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का हक होगा। यह भत्ता पहले ३० दिनों के लिए मान्य न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई और आधा देय होगा।

**७. कार्यस्थल पर सुविधाएँ :** कानून के तहत रोजगार पाने वाले मजदूरों को कई सुविधाएँ मुहैया करवायी जायेगी जैसे पीने का साफ पानी, आराम करने के लिए छाया, आपातकालीन स्वास्थ देखभाल और बच्चों की देखभाल।

**रोजगार गारंटी योजना**

**१. रोजगार गारंटी योजना :** इस कानून के तहत प्रत्येक राज्य कानून लागू होने के बाद छह माह के अन्दर एक रोजगार गांरटी योजना तैयार करेगा।

**२. अनुमत कार्य :** कानून की अनुसूची १ में उन कार्यों की सूची दी गई है, जिन्हें करवाने की अनुमति है। ये मुख्यतः जल संरक्षण, लघु सिंचाई, भूमि विकास, ग्रामीण सड़कों आदि के कार्य हैं। फिर भी अनुसूची ''कोई भी अन्य कार्य जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार से परामर्श के बाद केन्द्र सरकार जारी करे।'' की अनुमति भी देती है।

**३. कार्यक्रम अधिकारी :** रोजगार गारंटी योजना का खण्ड स्तरीय समन्वयन एवं क्रियान्वयन ''कार्यक्रम अधिकारी'' करेगा। फिर भी कानून में यह अनुमति भी दी गई है कि उसकी कुछ जिम्मेदारियां ग्राम पंचायतों को सौंपी जा सकती हैं।

**४. क्रियान्वयन संस्थाएं :** रोजगार गारंटी योजना के कार्य ''क्रियान्वयन संस्थाओं'' द्वारा करवाए जाएंगे। इनमें सबसे पहले हैं ग्राम पंचायते (जिन्हें रोजगार गारंटी योजना के आधे काम करवाने हैं), परन्तु अन्य पंचायती राज संस्थाए, सार्वजनिक निर्माण व वन विभाग जैसे सरकारी विभाग तथा गैर सरकारी संस्थाएं भी क्रियान्वयन संस्थाओं के रूप में काम कर सकेंगी।

**५. ठेकेदार :** निजी ठेकेदारों पर प्रतिबन्ध है।

**६. विकेंद्रित नियोजन :** क्रियान्वयन संस्थाओं के प्रस्तावों के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी संभावित परियोजनाओं की सूची तैयार करेंगे। अपेक्षा यह भी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत भी ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर संभावित कार्यों की सूची बनाएगी।

**७. पारदर्शिता और जवाबदेही :** कानून में पारदर्शिता व जवाबदेही के कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे- ग्राम सभाओं द्वारा नियमित सामाजिक अंकेक्षण, अनिवार्य रूप से मस्टर रोल दिखाना, रोजगार गारंटी योजना के सभी दस्तावेजों तक जनता की पहुँच, जॉब कार्डों को नियमित

रूप से भरना, आदि।

**अन्य प्रावधान**

**१. महिलाओं की भागीदारी :** काम के आवंटन में महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी ताकि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएँ हों।

**२. दण्ड :** कानून के अनुसार जो कोई इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे दोषी पाने पर वित्तीय जुर्माना भरना होगा जो रु. एक हजार तक हो सकता है।

**३. राज्य परिषद :** राज्य रोजगार गारंटी परिषद इस कानून के क्रियान्वयन की निगहबानी करेगी।

**४. खर्च का बंटवारा :** केन्द्र सरकार को मजदूरी का खर्च तथा सामग्री का ७५ प्रतिशत खर्च वहन करना होगा। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तथा सामग्री का २५ प्रतिशत व्यय वहन करेगी।

**५. समय अवधि :** यह कानून प्रारम्भ में २०० जिलों में लागू किया जाएगा, तथा आगामी पांच वर्षों में क्रमशः समूचे ग्रामीण भारत में लागू होगा।

## भाग - ३
## हम क्या कर सकते हैं

अपने अभियान को पूर्ण रोजगार गारंटी कानून के लिए तेज करते हुए " हम क्या कर सकते हैं" से जुड़े कुछ सुझावों को यहाँ रखते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनमें से कुछ पहले से ही प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनका कुछ जगहों पर अच्छा असर भी दिखा है। हम आशा करते हैं कि यह उदाहरण और सुझाव आपको आपके क्षेत्र में ऐसी ही समान गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

- सबसे महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (२००५) के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस उद्देश्य के लिए यह किताब एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ सम्भावनाएँ निम्नलिखित हैं :
  - प्रवेशिका को पढ़ना और मुद्दे से सम्बंधित चर्चाएं और वर्कशॉप आयोजित करना।
  - प्रवेशिका का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद और प्रचार-प्रसार।
  - प्रवेशिका के सार को पोस्टर के रूप में छपवाना और सार्वजनिक स्थानों पर लगाना।
- सांस्कृतिक उपकरणों और गतिविधियों जैसे : गाने और नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा भी अपनी बात का प्रसार किया जा सकता है।

को तारीख सहित रसीद जारी करने के लिए आबद्ध होंगे। समूह आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

११. ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, कार्य कार्ड में दिए गये उनके पते पर उनको पत्र भेजकर और जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

१२. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह, आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा ।

१३. स्कीम के अधीन कोई नया कार्य केवल तभी प्रारंभ किया जाएगा जब, -
    (क) ऐसे कार्य के लिए कम से कम पचास श्रमिक उपलब्ध हों, और
    (ख) श्रमिकों को अविरत संकर्मों में नियोजित न किया जा सकता हो
    परन्तु यह शर्त उन नए संकर्म के लिए लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में और वनरोपण के संबंध में अवधारित किए गए हों।

१४. यदि नियोजन ऐसी त्रिज्या के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लाक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर से दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा।

१५. नियोजन की अवधि साधारणतः लगातार कम से कम चौदह दिन की और एक सप्ताह में छः दिन से अधिक की होगी।

१६. उन सभी मामलों में जहां बेकारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना शोध्य है वहां कार्यक्रम अधिकारी, लिखित रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक को वे कारण सूचित करेगा कि उसके लिए आवेदकों को नियोजन प्रदान करना या नियोजन प्रदान कराना क्यों संभव नहीं था।

१७. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण देगा कि उन मामलों में जहां बेकारी भत्ता का संदाय अन्तर्वलित है, नियोजन क्यों नहीं प्रदान किया जा सकता था।

१८. स्कीम में अग्रिम आवेदन के लिए, अर्थात् ऐसे आवेदनों के लिए जो उस तारीख से जिससे नियोजन चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे उपबंध किया जाएगा।

१९. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में उपबंध किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं

होती।

२०. ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवायेगी, जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत कार्य कार्डो और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे।

२१. ग्राम पंचायत ऐसी सूची या उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके वयस्क सदस्यों के नाम और पते की सूचियां, तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर ऐसे प्रारूप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी।

२२. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी, और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

२३. यदि ग्राम पंचायत का किसी समय समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके उसके पास रजिस्टर कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्टर से उसका नाम काटने का निर्देश दे सकेगी और आवेदक को कार्य कार्ड लौटाने का निर्देश दे सकेगी।

परन्तु इस पैरा के अधीन ऐसी कार्यवाही तब तक निदेशित नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया।

२४. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो वह निःशुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार का, जो स्कीम के अधीन अनुगेय है, हकदार होगा।

२५. जहां क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार उसके अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जिसके अंतर्गत आवास, उपचार क्षति चिकित्सा भी है, व्यवस्था करेगी तथा यदि कार्य में लगे होने के दौरान होती है तो कृषि श्रमिकों को संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित मजदूरी दर के आधे से अन्यून दैनिक भत्ते का संदाय करेगी।

२६. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन से अद्भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रुपये की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा

➲ पदयात्रा, साईकिल यात्रा और यहाँ तक की बस यात्रा आयोजित करके जागरूकता फैलाना, सूचना एकत्र कर और सीधे पारदर्शिता के उपयों (जैसे : ''सूचना पट्ट'') के लिए आंदोलन भी किये जा सकते हैं।

➲ साथ ही लोगों को इस प्रक्रिया को समझाने और अभ्यास की जरूरत है, ताकि एक बार कानून लागू होने के बाद उसका अनुसरण किया जा सके। जैसा कि आपको पता है यह कानून मांग द्वारा संचालित होगा। कानून के अन्दर जनता द्वारा काम की मांग के आधार पर ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए जाएंगे। इस प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ सम्भावनाएं निम्नलिखित हैं :

- ■ ग्राम पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित करना।
- ■ ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठकों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून २००५ से सम्बन्धित मुद्दों पर बातचीत करना।
- ■ अपने क्षेत्र में मजदूरों को संगठित करके।
- ■ औरतों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और उन्हें मदद करके।
- ■ कार्य के प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें ग्राम सभा में पेश करना।

➲ नवम्बर २००४ में, सरकार ने देश के १५० अति गरीब जिलों में ''काम के बदले अनाज योजना'' लागू की। यह कार्यक्रम, इस कानून का प्रस्तावना स्वरूप है। यदि आप इन जिलों में से किसी एक में रहते अथवा काम करते हैं तो आप इन कार्यक्रमों के आस-पास कई गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं।

■ जिला ''परस्पेक्टिव प्लैन'' की कापियाँ लेकर और उन पर जन सुनवाई आयोजित करना। इस ''परस्पेक्टिव प्लैन'' में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यो की सूची होगी। यह सूची, विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर सबकी भागीदारी से तैयार होती है। परन्तु व्यवहारिक तौर पर अक्सर ऐसा नहीं होता। यह प्लैन की प्रक्रिया को समझने और उसमें शामिल होने का एक मौका है।

■ काम के बदले अनाज योजना के कार्य स्थलों पर सर्वे आयोजित करना और देखना कि मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य चल रहा है या नहीं।

■ कार्यों का निरीक्षण और कानून में निहित पारदर्शिता के प्रावधानों का प्रयोग और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग। उदाहरण के लिए : आप सामाजिक अंकेक्षण (ऑडिट) या मस्टर रोल की वरीयता की प्रक्रिया कार्यक्रम के कार्य स्थल पर कर सकते हैं।

- निम्नलिखित मुद्दों पर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की जरूरत है :
  - एक प्रभावपूर्ण रोजगार गारंटी योजना का खाका तैयार करने पर।
  - रोजगार गारंटी योजना के नियमों की रचना में भाग लेने पर।
  - और "जॉब कार्ड" का खाका बनाने पर।
- एक बार रोजगार गारंटी योजना आपके राज्य में आ जाए, तो उसके नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें । शायद आप उस योजना और नियमों के आधार पर ऐसी ही एक "प्रवेशिका" तैयार कर सकें।
- एक बार यह कानून आपके क्षेत्र में लागू हो जाए, तो आपकी गतिविधियों का दायरा मजदूरों को उनके हक दिलवाने में मदद करेगा, जिसमें संविधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, कार्य स्थल पर मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता, भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई की मांग, चालू गतिविधियों के अतिरिक्त, इस उद्देश्य के लिए इस कानून के तहत काम करने वाले मजदूरों को संगठित करना और यूनियन भी कारगर हो सकती है।

❄❄❄❄❄

अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या निशःक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी।

२७. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड्, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

२८. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किन्ही एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी।

२६. पैरा २७ के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर पर संदाय किया जाएगा।

३०. यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम, १६३६ (१६३६ का ४) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकार कर संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

३१. स्कीम के अधीन मजदूरी का या तो पूर्णतः नकद रूप में या नकद और किस्म के रूप में संदाय किया जा सकेगा, परन्तु कम से कम एक चौथाई मजदूरी का संदाय नकद ही किया जाएगा।

३२. राज्य सरकार विहित कर सकेगी कि नियोजन की अवधि के दौरान, दैनिक आधार पर श्रमिकों को मजदूरी के एक भाग का संदाय नकद रूप में दिया जाएगा।

३३. यदि किसी ऐसे व्यक्ति के, जो स्कीम के अधीन नियोजित है, साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो ऐसा व्यक्ति बालक के लिए निःशुल्क ऐसा चिकित्सीय उपचार, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसकी मृत्यु या निःशक्तता की दशा में पारिश्रमिक अधिनियम, १६७६ (१६७६ का २५) के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

३४. स्कीम के अधीन प्रत्येक नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, १६७६ (१६७६ का २५) के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

❄❄❄❄❄

- मार्गदर्शिका
- रोजगार गारण्टी कानून : कुछ तथ्य, कानून एवं स्पष्टीकरण

काम ले लो काम

रोज़गार : जो मागेगा वह पाएगा

# रोज़गार गारण्टी योजना, २००५
# कुछ तथ्य एवं स्पष्टीकरण-क्रमशः

**योजना का उद्देश्य :-**

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे परिवारों को 'जो विभिन्न श्रमपरक कार्यों में कार्य करने के इच्छुक हों' कम से कम १०० दिन का रोजगार प्रदान करने का गारण्टी देना है। योजना के अन्तर्गत रोजगार के इच्छुक पंजीकृत श्रमिकों द्वारा रोजगार मांगे जाने पर १५ दिन के अन्दर रोज़गार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है। रोजगार न दे पाने की दशा में श्रमिकों को एक निश्चित नियम के तहत बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

**कार्य-योजना का निर्माण :-**

सर्वप्रथम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत इस योजना के तहत अनुमन्य कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना बनाकर, ग्राम पंचायत से अनुमोदित कराकर विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त प्रोग्राम आफीसर (कार्यक्रम अधिकारी) को प्रेषित करेगी। प्रोग्राम आफीसर उसका परीक्षण कर उसका प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान करेगा। क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्य योजना का निर्माण कर उसे क्षेत्र पंचायत से अनुमोदित कराते हुए पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजनाओं को डी.पी.सी. को प्रेषित करेगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (डिस्ट्रिक प्रोग्राम कोआडिनेटर) दिसम्बर माह में श्रमिक बजट के आधार पर सम्पूर्ण जनपद में श्रमपरक कार्यों की कार्ययोजना बनाकर उसे जिला पंचायत को प्रेषित करेंगे। वार्षिक कार्य योजना निर्माण करने हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाने की सूचना पूर्व में ही प्रसारित की जाएगी ताकि अधिकाधिक लोग उसमें भाग ले सकें।

विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त पी.ओ. द्वारा उपयोगिता परक एवं तकनीकी परीक्षण करने पर यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित कार्य इस योजना के तहत अनुमन्य नहीं है तो उसे टिप्पणी सहित ग्राम पंचायत को संशोधित करने हेतु वापस कर सकता है। परन्तु कार्य योजना के कार्यों को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित कार्यों की वरीयता को नहीं बदल सकती, परन्तु ऐसे कार्य जो एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सीमाओं में क्रियान्वित होनी है उसे सम्मिलित कर सकती है।

ग्राम पंचायतों की कार्य योजनाओं एवं दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को अच्छादित करने वाले कार्यों को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र पंचायत से अनुमोदित कार्य योजना को जिसे जनपद

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना नियमावली

**संदर्भ :**

भारत सरकार द्वारा गत् दिवस सितम्बर माह में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम को पारित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार जो मजदूरी के इच्छुक होंगे, को १०० दिनाक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा चिन्हित जिलों में योजना लागू की जायेगी, जो कि पाँच वर्षों के अंदर समस्त भारतवर्ष के जिलों को आच्छादित करेगी। अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका में वृद्धि करना, काम के जरिये उत्पादक परिसम्पत्ति सृजित करना, कराये जाने वाले काम मुख्यतः सूखा निवारण, वक्षारोपण तथा मिट्टी का कटाव रोकने हेतु परिसम्पत्ति तैयार करना है।

अधिनियम भारत के सभी राज्यों का आह्वान करता है कि वह अपने-अपने राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करेंगे। अधिनियम के खण्ड ४ में सभी राज्य सरकारों के लिए निर्देश है कि वे अधिनियम के लागू होने के ६ मास के अन्दर एक योजना बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले इच्छुक परिवारों के लिए १०० दिन का रोजगार सुनिश्च करें। उक्त बनाई गई योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को अधिनियम के तहत कार्य दिया जायेगा।

अधिनियम के खण्ड-४ में उल्लेख है कि जब तक राज्य सरकारें अपने राज्य में इस योजना को लागू नहीं करती, तब तक SGRY तथा NFFWP के अंतर्गत PP को इस योजना का प्लॉन माना जायेगा।

## अधिनियम का पर्याय तथा
## राज्य रोजगार गारण्टी योजना की रचना

**अधिनियम का उद्देश्य :**

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता के साथ-साथ उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण तथा प्रत्येक इच्छुक परिवारों को १०० दिनाक का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना।

**क्रियान्वयन :**

- क्रियान्वयन केन्द्र सरकार समय-समय पर क्षेत्रों को चिन्हित करेगी जहां पर अधिनियम लागू होता है। राज्य सरकार भी स्वयं विभिन्न तिथियों में क्षेत्रों का चयन तथा क्रियान्वयन कर सकती है।

## राज्य सरकारों द्वारा रोजगार गारण्टी योजना का नियोजन व क्रियान्वयन

- प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम के खण्ड-४ के अंतर्गत इंगित रोजगार गारण्टी योजना की रचना करेगी। अधिनियम की अनुसूची-I प्रत्येक राज्य सरकार को बाध्य करती है कि वह अधिनियम के अंतर्गत इंगित प्राविधानों को ध्यान में रखकर योजना बनाये। अनुसूची-II के अंतर्गत भुगतान के प्राविधानों का ध्यान रखेगी। ऐसी रोजगार गारण्टी योजना को राज्य के नाम से जोड़कर कहा जायेगा अर्थात् ''अमुक राज्य ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना।''
- सभी योजनाओं में राज्य सरकारें वह भी प्राविधान इंगित करेगी जो उनके लिये इंगित है।

**राज्य रोजगार गारण्टी योजना की वस्तुस्थिति :**

योजना केन्द्र/राज्य वित्त पोषित होगी। ऐसे में राज्य एवं केन्द्र के बीच वित्त का बंटवारा अधिनियम क अंतर्गत होगा।

**क्रियान्वयन :**

केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम में अंतर्गत निर्धारित योजना का क्रियान्वयन निम्न तरीके से होगा :

अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि इन योजना को क्रियान्वित करने में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों, ग्राम पंचायतों तथा जनसामान्य भी अहम भूमिका होगी। योजना मुख्यतः गांव के स्तर पर क्रियान्वित होगी जिसका अनुश्रवण खण्ड तथा जिला स्तर पर होगा। इससे स्पष्ट होता है कि सभी कार्यदायी लोगों की इसमें अहम भूमिहा होगी।

**सामुदायिक सहभागिता :**

सामुदायिक सहभागिता के लिए निचले स्तर पर ग्राम सभा को सशक्त माध्यम माना गया है। इसके अलावा अन्य माध्यम-जैसे स्वयं सहायता समूह, अन्य कार्यदल, महिला मण्उल इत्यादि का उपयोग करते हुए योजना में हो रहे कार्य को पारदर्शी रूप में लागू किया जा सकेगा।

**पंचायतों की भूमिका :**

''मुख्य कार्यदायी संस्था तथा नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण'' में पंचायतों को हर स्तर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। जहां पर संविधान का पैरा ६ लागू होता है, वहाँ स्थानीय परिषद/संस्था उत्तरदायी होगी।

योजना को पूर्ण रूप से अधिनियम के अंतर्गत लागू करने हेतु जिला स्तर पर जिला समन्वयक तथा खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकार जिम्मेदार होगा।

स्तर पर जिला प्रोग्राम कोआडिनेटर (डी.पी.सी.) को प्रेषित की जाएगी।

डी.पी.सी. उसकी तकनीकी एवं वित्तीय उपयोगिता का परीक्षण कर समस्त जनपद के लिए कार्य-योजना का निर्माण करेंगे तथा उसे अनुमोदनार्थ जिला पंचायत को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त डी.पी.सी. द्वारा ०५ वर्षों के लिए प्रासपेक्टिव प्लान जिसमें वर्षवार कराये जाने वाले कार्यो का विवरण रहेगा, तैयार किया जाएगा।

कार्ययोजना में कार्यदायी संस्था एवं कार्य करने की समय सीमा का उल्लेख भी किया जाएगा। परन्तु न्यूनतम ५० प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से आवंटित किया जाएगा। जिला पंचायत जनपद की कार्ययोजना का परीक्षण एवं अनुमोदन करेगी।

जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना को डी.पी.सी. विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पी.ओ. को प्रेषित करेंगे। पी.ओ. उसे ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को प्रेषित करेंगे। वित्तीय वर्ष ०५-०६ के शेष दो माह हेतु एस.जी.आर.वाई. की वार्षिक कार्य-योजना से ही कार्य लिये जायेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना कि यह योजना पूर्णतया माँग आधारित योजना है तथा कार्ययोजना की इकाई ग्राम होगी।

**कार्यदायी संस्थाएँ :-**

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, राज्य सरकार की अन्य लाइन डिपार्टमेन्ट, केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम, सहकारी समितियाँ जिसमें केन्द्र अथवा राज्य सरकार की अधिकाधिक सहभागिता है। उपलब्ध प्रतिष्ठत गैर सरकारी संस्थाए (ए.जी.ओ.) तथा स्वयं सहायता समूह इस योजना के तहत कार्यदायी संस्था हो सकती है, परन्तु कम से कम ५० प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा अनिवार्य रूप से कराये जायेंगे। कार्यदायी संस्थाओं का चयन तकनीकी अनुश्रवण संसाधन एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

ग्राम पंचायत सहित यदि कोई कार्यदायी संस्था १५ दिन के अन्दर कार्य कराने में असमर्थ होती है तो उसे पी.ओ. को सूचित किया जाना चाहिए।

पी.ओ. स्वीकृत कार्यदायी संस्थाओं को उनका कार्य आवंटित कर सकता है। यदि ग्राम पंचायतें १५ दिनों के अन्दर कार्य नहीं करा पाती है तो पी.ओ. श्रमिकों को दूसरी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों पर लगा सकता है।

इस योजना के तहत किसी भी स्तर पर ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया जाना प्रतिबंधित है।

ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतें इस योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मुख्य संस्थायें होंगी।

**मजदूरों का पंजीकरण एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाना :-**

इस योजना के तहत कार्य करने हेतु मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य है।

**पात्रता :-**

१. ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
२. उम्र कम से कम १८ वर्ष हो।
३. कार्य करने का इच्छुक हो
४. कार्य करने हेतु उपयुक्त हो।
५. ग्राम पंचायत का निवासी हो।

इसमें अप्रवासी व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त योग्यता रखने वाले परिवार अपनी ग्राम पंचायत अथवा विकास खण्ड स्तर पर प्रोग्राम आफिसर के यहाँ आवेदन कर सकता है। एक परिवार से एक से अधिक व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है।

**पंजीकरण हेतु आवेदन का तरीका :-**

यह योजना के तहत श्रमपरक कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/परिवार एक सादे कागज पर अपनी ग्राम पंचायत में अथवा विकास खण्ड स्तर पर पी.ओ. को आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र में समस्त वयस्क लोगों के नाम, उम्र, लिंग, अनु०जाति/जनजाति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस हेतु मुद्रित आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा उसका पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण हेतु घर-घर जाकर सर्वे भी कराया जा सकता है। जिसमें कार्य करने के इच्छुक लोगों की पहचान हो सके। यह सर्वे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, अनु०जाति/जनजाति एवं महिलाएं तथा ग्राम स्तरीय सरकारी सेवक कर सकते हैं।

आवेदन पत्रों का परीक्षण आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि से १५ दिनों के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर उनका पंजीकरण, पंजीकरण रजिस्टर पर किया जाएगा, तथा प्रत्येक पंजीकृत परिवारों को एक पंजीकरण नम्बर प्रदान किया जाएगा तथा पंजीकरण तिथि का भी उल्लेख किया जाएगा।

**मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाना :-**

पंजीकरण आवेदन पत्र परीक्षणोपरान्त तथा उनके पंजीकरण के उपरान्त पंजीकृत परिवारों को १५ दिन के अन्दर रोजगार कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य मुद्रित रूप में होगा। जिस पर परिवार के वयस्क सदस्यों के प्रमाणित फोटो भी लगेंगे। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के पास भी उपलब्ध रहेगी। जॉब कार्ड की वैधता पांच वर्ष तक होगी।

कार्ड में से सदस्यों का नाम जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। जॉब कार्ड के खाने पर

**तालमेल :**

पंचायतें विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से काम करेंगी, ताकि अधिनियम के अंतर्गत निहित कार्य किये जा सकें। राज्य सरकारों को योजनाओं का नियोजन इस रूप में करना होगा जिसमें सभी कार्यदायी संस्थाओं का आपसी तालमेल बन सके तथा निहित कार्यों की पूर्ति भी हो।

केन्द्र तथा राज्य सरकारें समय-समय पर यथाशक्ति परिसम्पत्तियों की उपलब्धता के आधार पर योजना को क्रियान्वित करेंगी।

## क्रियान्वयन संगठन :

मुख्य क्रियान्वयन संगठन निम्न रूप में होंगे :

**ग्रामीण स्तर पर :**

**ग्राम सभा** : अधिनियम ग्राम सभाओं को यह अधिकार देता है कि वह कार्य का नियोजन, अनुश्रवण तथा सामाजिक अंकेक्षण करता रहेगा। यह भी इंगित किया गया है कि ग्राम सभा का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया जायेगा, ताकि दूरस्थ गांव भी अपने आपको योजना का हिस्सा मान सकें तथा योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके।

**ग्राम पंचायत :** योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। यह जरूरी है कि ग्राम पंचायतें इसमें नियोजन, पंजीकरण, जॉब कार्ड बनाने, रोजगार की उपलब्धता करने तथा ५० प्रतिशत कार्यो का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगी। अधिनियम के भाग १५ (७) में यह लिखा है कि राज्य सरकारें परियोजना अधिकारी की भूमिका पंचायत अथवा स्थानीय संगठनों को दे सकती हैं।

**खण्ड स्तर पर :**

क्षेत्र पंचायत या उसके बराबर संगठन की जिम्मेदारी होगी कि वह खण्ड स्तर पर कार्य का नियोजन/क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करेंगी। क्षेत्र पंचायतों को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वह ग्राम पंचायत से छूटे हुये ५० प्रतिशत कार्य का निष्पादन कर सकेगी।

**कार्यक्रम अधिकारी :** विकास खण्ड स्तर पर एक परियोजना अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। उसके साथ अन्य स्टॉफ भी होगा। परियोजना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी के स्तर का होगा जो योजना में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में कार्य करेगा। कार्यक्रम अधिकारी मुख्य तथा ग्रामीण योजना का मूल्यांकन करेगा, ताकि उसके दिशा-निर्देश में अधिनियम के अंतर्गत निहित कार्य का निष्पादन, १०० दिनों के कार्यों की उपलब्धता, परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा अन्य आवश्यक मुद्दों पर कार्य होता रहे।

**जिला स्तर पर :**

**जिला पंचायत :** प्रत्येक जिला पंचायत को यह जरूरी है कि वह जिला योजना का अनुश्रवण कर उसको मूर्त रूप दे तथा पंचायत से ५० प्रतिशत बचे कार्य पूरे हो सकें।

**जिला कार्यक्रम समन्वयक :** राज्य सरकार एक जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित करेगी। यह जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी अथवा उसके समकक्ष अधिकारी हो सकता है। जिला समन्वयक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह जिलास्तरीय सभी क्रियान्वयन की देख-रेख करे।

पंचायतों के अलावा अन्य स्वयंसेवी संस्थायें, विभाग, राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा नामित स्वयं सहायता समूहों की भी मदद ली जा सकती है।

राज्य सरकारें क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार समय-समय पर जिला कार्यक्रम को दे सकती हैं।

## राज्यस्तरीय

**राजकीय रोजगार गारण्टी परिषद :**

अधिनियम की धारा (१२) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार एक राजकीय रोजगार गारण्टी परिषद का गठन करेगी। यह परिषद समय-समय पर योजना से जुड़ी समस्याओं का निदान आदि बताती रहेगी। वह यह भी तय करेगी कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा कार्य उपयुक्त होगा। यही परिषद कार्यों के निष्पादन व संबंधित मुद्दे सरकार को अधिनियम के अनुसूची- I, खण्ड (IX) के तहत, जानकारी देगी तथा वार्षिक रिपोर्ट द्वारा राज्य की विधान सभा को राज्य की स्थिति से अवगत कराती रहेगी।

प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम में दिये दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर एक राज्य ग्रामीण गारण्टी योजना बनायेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित परिषद राज्य रोजगार गारण्टी निधि की स्थापना भी कर सकती है, ताकि वित्तीय संसाधनों का अभाव न रहे। राज्य इस योजना में निहित बजट जल्द से जल्द जारी करेगा। साथ ही, सभी प्रचार-प्रसार माध्यमों का उपयोग करते हुए सभी संबंधित सूचना को व्यापक बनायेगा। राज्य सरकारें यह भी सुनिश्चित करेंगी की कार्यदायी संस्थाआं के प्रत्येक कर्मचारी को ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी क्षमतावृद्धि की जाय। ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को समाहित तरीकों से योजना को ठीक ढंग से चलाने में मदद मिल सके। राज्य यह भी कोशिश करेगा कि योजना के सभी खर्च तथा परिसम्पत्तियों के बारे में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हो।

डुप्लीकेट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा सकता है। जॉब कार्ड जारी करने से सम्बन्धित किसी भी शिकायत का आवेदन विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पी.ओ. को दे सकता है।

**रोजगार हेतु आवेदन :-**

पंजीकरण के पश्चात् जॉब कार्ड प्राप्त होने पर पंजीकृत श्रमिकों में से कार्य करने हेतु इच्छुक श्रमिक द्वारा रोजगार हेतु आवदेन ग्राम पंचायत अथवा विकास खण्ड स्तर पर पी.ओ. को किया जा सकता है। यह आवेदन संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। आवेदन में लगातार अथवा कुछ अन्तराल के बाद कार्य करने के दिवसों का उल्लेख किया जाना चाहिए। प्राप्त आवेदन की प्राप्ति रसीद प्राप्ति की तिथि सहित आवेदक को दी जाएगी। इसका अंकन निर्धारित रजिस्टर पर भी किया जाएगा।

**श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना:-**

पंजीकृत श्रमिकों द्वारा रोज़गार हेतु आवेदन दिए जाने पर, ग्राम पंचायत तथा पी.ओ. द्वारा उन्हें कार्य प्रदान किया जाएगा। दोनों द्वारा कार्य दिये जाने का विवरण स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक रख जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। आवेदित मजदूरों को किसी कार्य पर श्रमपरक कार्य करने हेतु भेजा जा सकता है। परन्तु ०५ किमी. के दायरे में ही कार्य दिया जाना चाहिए।

महिलाओं एवं वृद्धजनों को नजदीकी कार्य देने के प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत की सीमा में कार्य देने में समर्थ हो तो इसे पी.ओ. को सूचित किया जाना चाहिए। पी.ओ. उन्हें ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर परन्तु विकास खण्ड की सीमा के अन्दर भी कार्य दान कर सकते हैं, ०५ किमी. से बाहर कार्य देने पर मजदूरों की १० प्रतिशत अधिक मजदूरी देना होगा। कम से कम १/३ भाग रोजगार पंजीकृत महिलाओं को प्रदान करना होगा। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को उनकी क्षमता के आधार पर कार्य प्रदान करना होगा।

**कार्य देने की समय सीमा :-**

आवेदन करने की तिथि से १५ दिन के अन्दर मजदूरों को ग्राम पंचायत द्वारा कार्य देना अनिवार्य होगा। यदि १५ दिन के अन्दर ग्राम पंचायतें कार्य देने में समर्थ नहीं होती तो पी. ओ. उन्हें कार्य प्रदान करेगा। अथवा अन्य कार्यदायी संस्थाओं को उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करेगा।

**बेरोजगारी भत्ता :-**

यदि १५ दिनों के अन्दर आवेदित श्रमिकों को रोजगार नहीं प्रदान किया जाता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना होगा। बेरोजगारी भत्ता प्रथम ३० दिन के लिए दैनिक मजदूरी का २५ प्रतिशत होगा तथा वित्तीय वर्ष के शेष माह के लिए दैनिक मजदूरी का ५० प्रतिशत देना

होगा। यह भत्ता राज्य सरकार वहन करेगी।

**निम्न परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा :-**

(क) यदि परिवार के एक सदस्य को बीच में रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए।

(ख) यदि कार्य करने हेतु आवेदक उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो।

(ग) यदि परिवार के वयस्क सदस्यों को १०० दिन का रोजगार उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) यदि मजदूरी एवं भत्ता मिलाकर प्राप्त धनराशि १०० दिन की मजदूरी के बराबर हो जाए।

(ड.) यदि मजदूरी दिए जाने वाले कार्य को करने में असमर्थता जाहिर करें।

(च) पी.ओ.द्वारा कार्य प्रदान की सूचना दिए जाने के १५ दिन के अन्दर श्रमिक कार्य पर नहीं आता है।

(छ) बिना अनुमति के एक सप्ताह या उससे अधिक अनुपस्थिति रहता है।

बेरोजगार भत्ता दिए जाने के पूर्व रोजगार न देने के कारणों को उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

**मजदूरी का भुगतान :-**

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाएगा। मजदूरी की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परन्तु यह दर ५८ रुपया प्रतिदिन से कम नहीं होगा। मजदूरी का भुगतान पूर्णतया नगद या नगद/खाद्यान्न के रूप में किया जा सकता है, परन्तु कम से कम २५ प्रतिशत नगद अवश्य होना चाहिए। पुरुष एवं महिलाओं को बराबर मजदूरी देना होगा। सही एवं ससमय मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी पी.ओ. की होगी।

**अन्य सुविधाएँ :-**

इस योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को यदि कार्य के दौरान दुर्घटना होती है तो उसका मुफ्त इलाज कराया जाएगा जिसका समस्त व्यय-भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और दैनिक भत्ता भी देना होगा।

यदि कार्य के दौरान मृत्यु या स्थाई अपंगता होती है तो परिवार को कम से कम २५०००-०० (पच्चीस हजार रुपया) प्रदान किया जाएगा। इस योजना में स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, उत्तर जीविता बीमा, मातृत्व लाभ आदि का भी प्राविधान है।

कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल बच्चों के लिए शेड, आराम करने की जगह एवं प्राथमिक उपचार बाक्स भी उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि कार्य करने वाली महिला के साथ ५ वर्ष से कम उम्र के कम से कम ५ बच्चे हों तो बच्चों की देखभाल हेतु एक महिला की नियुक्ति का भी प्राविधान है।

प्रत्येक राज्य सरकार आयुक्त स्तर के अपने किसी अधिकारी को नामित कर एक राजकीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी आयुक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। उस आयुक्त की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम में इंगित सभी प्रावधानों का पूर्ण रूप में पालन हो तथा कार्य अपनी निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो सके। यह आयुक्त राज्यस्तरीय परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा उसके क्षेत्र में लम्बित मामलों का निस्तारण इसी आयुक्त द्वारा होगा।

**केन्द्रीय स्तर :**

**केन्द्रीय रोजगार गारण्टी परिषद :**

केन्द्रीय स्तर पर एक रोजगार गारण्टी परिषद का गठन किया जायेगा, जो कि केन्द्र सरकार को समय-समय पर एन.आर.ई.जी.ए. से जुड़े मुद्दों से अवगत करायेगा। परिषद कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी करेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर संसद के समक्ष रखेगा।

**मंत्रालय, ग्रामीण विकास :**

ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आर.ई.जी.ए. के क्रियान्वयन हेतु नोडल (प्रमुख कार्यदायी) संस्था होगी। इसके द्वारा केन्द्रीय परिषद का गठन किया जायेगा। यह मंत्रालय यथाशक्ति समय-समय पर राज्य तथा केन्द्र सरकार को संसाधन उपलब्ध करायेंगे। समय-समय पर इसी मंत्रालय द्वारा अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का कार्य होगा। साथ ही, यह कार्ययोजना के उचित क्रियान्वयन, हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

## प्रशिक्षण

सभी कार्यदायी संस्थाओं को समुचित प्रशिक्षण देकर उनको अधिनिमय की अवधारणा पूर्ण रूप से समझाई जायेगी। इन संस्थाओं में पंचायत प्रतिनिधि, जिला एवं राज्य स्तर के विभाग, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य क्षेत्रीय स्तर के संगठनों को शामिल किया जायेगा, जो इसके अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा सामाजिक अंकेक्षण में शामिल होंगे। राज्य सरकार अधिनियम में उल्लिखित मुख्य बिन्दुओं पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले स्तर के मुख्य कार्यकारी जैसे, डी.पी.सी.,पी.ओ., सी.डी.ओ. इत्यादि के लिये आयोजित करेगी जो कार्यकारियों को उनकी अहम भूमिका का ज्ञान करायेगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी की सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एन.आर.ई.जी.ए. तथा आर.टी.आई. के संबंधों की स्पष्ट व्यावहारिक व्याख्या हो।

**एन.आर.ई.जी.ए. तथा रोजगार गारण्टी योजना के संबंध में जागरूकता :**

जनसामान्य को योजना के अंतर्गत सभी अधिकार दिलाने हेतु सभी राज्य सरकारें प्रचलित भाषा में योजना तथा अधिनियम की जानकारी सभी तरह के संचार माध्यमों के द्वारा उपलब्ध करायेगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनियमित श्रमिक तथा काम की तलाश में पलायन कर रहे परिवारों तक इसकी सूचना ठीक ढंग से पहुंच सके। अधिनियम में निहित विशेष प्राविधान जैसे जॉब कार्ड, पंजीकरण, रोजगार उपलब्धता, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निस्तारण में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट करते हुए लोकसभा में इनका विशेष प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

**नियोजन :**

नियोजन पक्ष को रोजगार गारण्टी योजना का आधार बिन्दु माना गया है। इसके प्रत्येक आवेदक को १५ दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराते हुए एक उत्पादक परिसम्पत्ति का निर्माण किया जायेगा। अधिनियम का खण्ड (१६A) पंचायतों को यह अधिकार देता है कि वह विस्तृत कार्ययोजना बनाकर परियोजना अधिकारी को प्रषित करें। यह प्रक्रिया कार्य शुरू होने के पूर्व ही होनी चाहिए जिससे समक्ष अधिकारी अपने स्तर से कार्ययोजना का अवलोकन तथा निस्तारण कार्यक्रम अधिकारी विकास खण्ड १५(४) के तहत एक विकास खण्ड की योजना सभी ग्राम पंचायतों की योजनाओं को जोड़कर बनायेगा। खण्ड १३(३) के तहत क्षेत्रीय पंचायत उक्त योजना की समीक्षा जिला स्तर पर भेजेगी। खण्उ १४ (६) के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक उक्त प्रस्ताव को समझकर मजदूरी दिवसों का विश्लेषण करेगा तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों का नियोजन कर जिला योजना बनायेगा तथा उसे जिला पंचायत को भेजेगा। ततूपश्चात राज्यस्तरीय परिषद जिलास्तरीय नियोजन में अपना योगदान देगी जिससे अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

**वार्षिक नियोजन प्रक्रिया :**

इस प्रकार वार्षिक योजना ही कार्य योजना होगी जिसमें प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियाँ चिन्हित की जायेंगी। अगर कोई भी नई गतिविधि योजना में ली जाती है तो उसके उद्देश्य एवं उससे प्राप्त परिणामों का विवरण भी इंगित करना होगा।

हर साल प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक बुलायी जायेगी। अगले वर्ष ग्राम में होने वाले कार्य तथा रोजगार दिवस की उपलब्धता प्रत्येक ग्राम सभा की आवश्यकता के अनुसार तय की जायेगी। बैठक का समय इस तरह से तय किया जायेगा जिससे सभी वर्ग के लोग भाग ले सकें तथा योजना में कार्य करने वाले लोगों की भागीदारी विशेष रूप से सुनिश्चित कर सकें। बैठक के समय एवं तिथि की घोषणा पहले से की जायेगा। उसका प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण ग्राम सभा में व्यापक रूप से किया जायेगा। ग्राम सभा द्वारा बनाई गई योजना

**आवश्यक अभिलेख :-**

ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न अभिलेख रखे जायेंगे -

(क) **आवेदक रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर :** सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का अंकन किया जाएगा। जिसमें नाम, आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि उल्लेख किया जायेगा।

(ख) **जॉब कार्ड रजिस्टर :** इसमें जॉब कार्ड प्रदान करने का विवरण होगा तथा इसका विवरण कम्प्यूटरीकृत रूप में विकास खण्ड पर रखा जाएगा।

(ग) **रोजगार रजिस्टर (ग्राम पंचायत स्तर पर):** यह ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाएगा, इस रजिस्टर में मांगे जाने वाले एवं दिये जाने वाले रोजगार का विवरण निर्धारित प्रारुप पर रखा जाएगा।

(घ) **रोजगार रजिस्टर (विकास खण्ड स्तर पर):** विकास खण्ड स्तर पर प्रोग्राम आफिसर के पास रखा जायेगा जिसमें मांगे जाने वाले कार्य का विवरण होगा तथा कार्य हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र को ग्राम पंचायतों को प्रेषित करने का विवरण भी निर्धारित प्रारूप पर अंकित होगा।

(ड.) **मस्टर रोल :** विकास खण्ड स्तर पर तैनात प्रोग्राम आफिसर द्वारा ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को मस्टररोल प्रदान किया जायेगा। इन सभी मस्टररोलों पर एक विशिष्ट क्रमांक अंकित होगा। मस्टररोल पर कार्य का नाम श्रमिक का नाम, जॉब कार्ड नम्बर, कार्य दिवसों एवं भुगतान का विवरण होगा साथ ही इस पर कार्य का कोड भी अंकित होगा।

(च) **परिसम्पति पंजिका :** इस रजिस्टर में ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले कार्यों एवं सृजित परिसम्पत्तियों का विस्तृत विवरण अंकित किया जायगा। कार्यों का विवरण विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत रूप में रक्खा जाएगा जिसकी एक प्रति डी.पी.सी. को भेजा जायेगा।

(छ) **शिकायत पंजिका :** सभी ग्राम पंचायत स्तरों पर, विकास खण्ड स्तर पर तथा डी.पी. सी. आफिस पर निर्धारित प्रारूप पर शिकायत रजिस्टर में रखा जाएगा। जिसमें प्राप्त शिकायतों एवं उसके निस्तारण का विवरण अंकित होगा। पी.ओ. एवं डी.पी.सी. कार्यालय में एक शिकायत पेटिका भी रखी जाएगी। जिसे उपरोक्त अधिकारी स्वयं खोलेंगे।

**प्राक्कलन एवं मापी पुस्तिका :-**

प्रत्येक स्तर पर कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन तकनीकी अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का मापाँकन मापी पुस्तिका पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।

**वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति :-**

सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी। इसी प्रकार कार्यों की तकनीकि स्वीकृति भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

**आडिट :-**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वित्तीय समीक्षा अनिवार्य रूप से की जायेगी। आडिटर लोक फण्ड आडिटर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा तथा उसकी प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार द्वारा भी आडिट की जाएगी। इस योजना में सोशल आडिट एवं भौतिक आडिट भी अनिवार्य रूप से किया जाना है।

**प्रोग्राम आफिसर (पी.ओ.) :-**

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक प्रोग्राम अधिकारी नियुक्त होगा जो खण्ड विकास अधिकारी के नीचे के स्तर का नहीं होगा। यह अधिकारी इस योजना के समन्वयक एवं क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तथा उसकी उपयोगिता का परीक्षण करेगा। समय पर एवं सही रूप में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कराने हेतु उत्तरदायी होगा तथा ग्राम पंचायतों में शोसल आडिट भी सुनिश्चित करायेगा। क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्ययोजना के निर्माण कराने हेतु भी उत्तरदायी होगा। यह जनपद स्तर पर नियुक्त डी.पी.सी. के लिए उत्तरदायी होगा। बेरोजगारी भत्ता मजदूरों को उपलब्ध कराने के लिए भी पी.ओ. उत्तरदायी होगा। कार्यदायी संस्थाओं एवं कार्यों तथा मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी किया जायेगा। विभिन्न अभिलेखों के सही ढंग से रख-रखाव हेतु भी यह उत्तरदायी होगा। डी.सी.पी. अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य भी किया जायेगा। पी.ओ. जनपद स्तर पर नियुक्त डिस्ट्रिक प्रोग्राम कोआरडिनेटर के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेगा।

**डिस्ट्रिक प्रोग्राम कोआर्डिनेटर (डी.पी.ओ.) :-**

जनपद स्तर पर एक डी.पी.ओ. नियुक्त होगा जो जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिलाधिकारी हो सकते हैं। यह योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। यह जिला पंचायत को इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे तथा विकास खण्डों से प्राप्त कार्ययोजना अथवा अन्य कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कार्ययोजना के संकलन एवं जनपद की संकलित कार्ययोजना के निर्माण हेतु उत्तरदायी होंगे। आवश्यक स्वीकृतियां एवं प्रशासनिक आदेश हेतु भी सक्षम होंगे। पी.ओ. के कार्यों का परीक्षण, मूल्यांकन भी इनके द्वारा किया जायेगा तथा जनपद में इस योजना के सही ढंग से क्रियान्वयन एवं शिकायतों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी होंगे।

**केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन :-**

केन्द्र सरकार द्वारा निम्न प्रकार की धनराशियों का वहन किया जाएगा :-

ग्राम पंचायत को संस्तुति हेतु भेजी जायेगी जो इसका अध्ययन करने के पश्चात् परियोजना अधिकारी को भेज देगी। जमा किये गये सालाना नियोजन में रोजगार की मांग, मानवदिवसों का विवरण, पिछले साल का प्रतिवेदन तथा ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किये जाने वाले ५० प्रतिशत कार्यों का स्पष्ट ब्योरा होगा।

परियोजना अधिकारी वार्षिक योजना की तकनीकी अवधारणा को ध्यान में रखते हुये उसका मूल्यन करेगा। परियोजना अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त प्रतिवेदन में रोजगार की मांग, कार्यदिवस, संसाधन का निर्माण इत्यादि अधिनियम के अनुसार ही किया गया है। अगर परियोजना अधिकारी यह समझता है कि सूची में इंगित कार्य में संशोधन की जरूरत है तो वह संशोधित सूची की मांग कर सकता है। परियोजना अधिकारी किसी भी हालत में ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव को रद्द नहीं कर सकता।

यदि प्रस्ताव अधिनियम की परिधि में नहीं होगा, अथवा तकनीकी रूप में अव्यावहारिक प्रतीत होगा तो ऐसी दशा में कार्यक्रम अधिकारी अपनी लिखित टिप्पणी उक्त प्रस्ताव पर इंगित करेगा तथा सारे प्रस्तावों को समवेत रूप में बनाकर क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगा। यह वह प्रस्ताव अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देश के अनुसार है तो क्षेत्र पंचायत किसी भी स्थिति में उक्त प्रस्ताव को अमान्य नहीं करेगी, किन्तु अधिनियम के मानदण्डों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप न होने की दशा में क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत को इस आशय से उक्त परियोजना प्रस्ताव को वापस करेगा कि उसे नियमानुकूल बनाकर पुनः प्रेषित किया जाए। ऐसे में क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों के द्वारा इंगित प्राथमिकताओं के अनुसार ही कार्य सम्पादन करेगी। किन्ही अवस्था में एक से अधिक बार ग्राम पंचायत की संलग्नता होने पर (कार्य हेतु) क्षेत्र पंचायत उक्त कार्य को अपने प्रस्ताव में संलग्न करेगी। यह पुनः सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य की प्राथमिकता ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित योजना के अंतर्गत ही हुई है। विचार-विमर्श के आधार पर यह तय होगा कि सभी क्षेत्र पंचायतें अपने क्षेत्र की कार्ययोजना को पारित कर जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करेंगी।

जिला कार्यक्रम समन्वयक सभी क्षेत्र पंचायतों द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्तावों की समीक्षा उसकी तकनीकी व्यावहारिकता तथा वित्तीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए करेगा। समन्वयक को यह अध्किार है कि वह किसी अन्य संगठन से भी तद्विषयक प्रस्ताव मंगा कर ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय योजना को सम्मिलित कर सकता है।

जिला समन्वयक सभी योजना प्रस्तावों को संकलित कर जिला योजना प्रस्ताव बनायेगा। तत्पश्चात उसे जिला पंचायत को समीक्षा व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा। एक निश्चित समयसारिणी सभी योजना प्रस्तावों में इंगित को जिसका वार्षिक योजना में उल्लेख हो। जिला योजना विभिन क्षेत्र

योजनानुसार प्रस्तुत की जायेगी। क्षेत्रीय योजना को अलग-अलग ग्राम पंचायत के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी। क्षेत्रीय योजना को अलग-अलग ग्राम पंचायत के अनुसार किया जायेगा। किसी भी कार्यदायी संस्था का चयन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि सम्पूर्ण कार्य का कम से कम ५० प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित कराया गया हो। जिला पंचायत, जिला योजना की समीक्षा कर उसे पारित करेगी।

जिला समन्वयक, जिला योजना हेतु विस्तृत तकनीकों का आगणन तथा स्वीकृति हेतु अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। आगणन बनाने की प्रक्रिया में कार्यदक्षता वाली संस्था राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो। सभी कार्य योजनाओं में कार्य संबंधी तकनीकी विवरण, राज्य सरकार द्वारा पारित तकनीक एवं नियमावली के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा। इसमें यह भी इंगित होगा कि कितने मानव दिवसों का सृजन, वास्तविक धरोहर का निर्माण तथा उसे प्राप्त होने वाले परिणामों द्वारा सिंचाई क्षेत्र, सड़क से जुड़ाव आदि का समावेश है।

**कार्य एवं निष्पादन :**

अधिनियम में स्पष्ट रूप से कुछ कार्य इंगित किये गये हैं जो योजना के अंतर्गत किये जायेंगे तथा उनमें रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा :

निम्न कार्यों का अधिनियम में उल्लेख है :

- जल सरक्षण एवं जल संचयन;
- सूखा निवारण, वृक्षारोपण;
- नहर व उसमें छोटे-बड़े तथा सिंचाई तंत्र का निर्माण;
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा अधिगृहीत जमीनों पर सिंचाई; तथा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी का भी सुविधा मुहैया कराना;
- पुराने जल स्रोतों जैसे तालाब इत्यादि की मरम्मत तथा उसमें से गाद निकालना;
- भूमि के विकास में सहायक कार्यक्रम;
- बाढ़ नियंत्रक हेतु कार्य तथा जलागम क्षेत्रों में पानी की निकासी;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण जो वर्षपर्यन्त उपयोगी हों;
- राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्य।

अधिनियम के खण्ड (X) में इंगित है कि राज्य सरकारें क्षेत्र की जरूरत के अनुसार कार्ययोजना बनाकर राज्य रोजगार गारण्टी परिषद के पास विचार हेतु प्रेषित करेगी जिसे बाद में केन्द्र सरकार के पास उचित कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा। यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि भेजे गये प्रस्ताव निम्न एंव पिछड़े वर्ग के विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं।

१. श्रमपरक कार्य में लगे अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी।
२. सामग्री अंश का ७५ प्रतिशत धनराशि जिसमें अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी भी शामिल है।
३. योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनिक व्यय।

राज्य सरकार द्वारा निम्न धनराशियां का वहन किया जायेगा :-

१. योजना के अन्तर्गत देय बेरोजगारी भत्ता।
२. सामग्री अंश का २५ प्रतिशत जिसमें कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों की मजदूरी भी सम्मिलित है।

वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण रोजगार की तलाश में शहरों की ओर उनका पलायन हो रहा है। शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु तथा उनके जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार की गारण्टी देना अपने आप में एक पुनीत कार्य है। रोजगार की गारण्टी देने की इस योजना को एक्ट का रूप दिये जाने से इसे एक वैधानिक रूप प्राप्त हो गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को रोजगार देकर तथा विभिन्न परोपकारी एवं आधारभूत परिसम्पत्तियों का निर्माण करने से गाँव का विकास होगा तथा सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि से कृषि उन्नत होगी। जल संरक्षण से न केवल जल स्तर को गिराने से रोका जा सकता है अपितु संरक्षित जल का सदुपयोग किया जा सकता है। वनीकरण एवं पौधरोपण कार्य से पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है।

यह आवश्यक है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए ताकि वास्तविक श्रमिकों को ईमानदारी पूर्वक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके एवं सृजित परिसम्पत्तियों से गाँवों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

१. आवेदक का नाम..............................................................
पिता/पति का नाम..............................................................
आयु....................................लिंग..................................
२. ग्राम/मजरे का नाम.............................................................
३. ग्राम पंचायत का नाम...........................................................
४. न्याय पंचायत का नाम.........................................................
५. विकास खण्ड का नाम.........................................................
६. अनु०जाति/अनु०जनजाति/इन्दिरा आवास योजना/भूमि सुधार लाभार्थी यदि है तो विवरण-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

कार्य करने के इच्छुक अन्य वयस्क सदस्यों का विवरण :-

| | | |
|---|---|---|
| नाम.......................... | नाम........................... | नाम................... |
| पिता/पति का नाम........... | पिता/पति का नाम........... | पिता/पति का नाम...... |
| ............................... | .............................. | ....................... |
| आयु...........लिंग........... | आयु...........लिंग........... | आयु...........लिंग.... |
| हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा | हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा | हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा |

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

आवेदक के विवरण सत्यापित करने वाले अधिकारी की आख्या

सत्यापन अधिकारी का नाम -

पद -

(हस्ताक्षर मुहर सहित)

❄❄❄❄❄

एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत तैयार किये गये धरोहर/परिसम्पत्तियों की देखरेख उक्त योजना के अंतर्गत ही होगी।

किसी भी कार्य के निष्पादन में यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उसमे मज़दूरी तथा निर्माण कार्य हेतु सामग्रियों का अनुपात ६०:४० हो। यह अनुपात हर स्तर पर लागू करना अनिवार्य होगा। बड़ी योजनाओं में कम से कम स्तर पर यह अनुपात रखा जाना आवश्यक है। केन्द्र सरकार कार्य में हुये किसी भी तरह के बदलाव, जो अधिनियम के अंतर्गत नहीं हैं का खर्च वहन नहीं करेगी। इस तरह के सभी खर्चें राज्य सरकार को वहन करने होंगे। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सभी तरह के नियोजन में केवल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ही कार्य किये जायें।

किसी भी तरह की पुनरावृत्ति रोकने के लिये प्रत्येक कार्य को एक कोड़ के द्वारा चिन्हित किया जायेगा।

टिकाऊ परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु आवश्यक है कि साकल्यवादी सिद्धान्त के माध्यम से योजना का निर्माण किया जाये जिसे खण्ड स्तर को ध्यान में रखकर बनाया जायेगा।

आदर्श मानकों को ध्यान में रखकर सभी योजनाओं को दस्तावेज के रूप में जिला स्तर पर रखा जायेगा तथा पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा जिसे स्थानीय कार्यदायी संस्थायें उपयोग कर सकती हैं।

निम्न मजदूरी दर वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जायेगा तथा उन क्षेत्रों में कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

**कार्यों का सम्पादन :**

न्यूनतम ५०प्रतिशत कार्य (वित्तीय परिभाषा के अनुरूप ) ग्राम पंचायतों का पूरा करने के लिए अवश्य दिया जाये। यह संवैधानिक अधिकार है तथा परियोजना अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम समन्वयक उचित समझने पर और अधिक कार्य पंचायतों को दे सकते हैं।

अन्य कार्यदायी संस्था जैसे क्षेत्र तथा जिला पंचायत, सरकारी विभाग, राज्य अथवा केन्द्र सरकार का उद्यम, सहकारी समितियों जिसमें मुख्य शेयर सकरार के हों का योजना के क्रियान्वयन में उपयोगी किया जा सकता है।

कार्यदायी संगठन का चयन का आधार होगा उसकी तकनीकी दक्षता, उसके संसाधन, उसकी योजना पर समझ, समय पर पूरा करने की इच्छाशक्ति तथा लाभार्थी के हितों का ध्यान कार्यदायी संगठन का नाम वार्षिक योजना मे इंगित रहेगा। अन्य कार्यदायी संगठनों का नाम भी उनकी दक्षता के क्रमानुसार इंगित किया जायेगा जिसमें एक संगठन के कार्य न कर पाने की स्थिति

में अन्य किसी संगठन द्वारा कार्य को सम्पादित किया जा सके तथा लाभार्थी के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जा सके।

अगर किसी कारणवश कोई भी कार्यदायी संगठन जिसमें पंचायतें भी शामिल हैं १५ दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाती हैं ऐसी दशा में उसकी सूचना तुरन्त परियोजना अधिकारी को देंगी जिसको यह अधिकार होगा कि वह कार्यदायी संगठनों की सूची में वर्णित क्रमानुसार अगले संगठनों को कार्य पूरा करने का आदेश प्रदान करें। प्रत्येक कार्य हेतु समयसारिणी निर्धारित नितांत आवश्यक होगा जिसे मज़दूरों के हितों की रक्षा हो सके।

ठेकेदारों को किसी भी अवस्था में योजना के क्रियान्वयन में शामिल नहीं किया जायेगा।

**काम में माप का निर्धारण :**

प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा कार्यमाप निर्धारण :

- प्रत्येक योजनान्तर्गत कार्य का उल्लेख ठीक ढंग से हों तथा कोई भी तथ्य छुपा हुआ न रहे जिससे मज़दूरी देते वक्त परेशानी आये।
- प्रत्येक कार्य की उचित रूपरेखा बनाना नितांत आवश्यक है तथा यथासम्भव हर कार्य हेतु मज़दूरी दर का पारदर्शी रूप में विवरण हो।
- प्रत्येक क्षेत्र की मिट्टी, भौगोलिक स्थिति तथा अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित योजना की ऐसी रूपरेखा बनाई जाये जिसमें सामान्य रूप से सात घण्टा कार्य करने के पश्चात् योजनान्तर्गत् मज़दूरी प्राप्त हो सके।

**राज्य सरकार द्वारा यह अपेक्षित है कि :**

- एक विस्तृत तथा गहन सूची का निर्माण करे जो योजनान्तर्गत होने वाले सभी कार्य का विवरण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया हो;
- प्रत्येक कार्य को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जाय तथा किसी भी दो कार्यों को एक साथ न जोड़ा जाये (मिट्टी खोदना/मिट्टी उठाना)।
- प्रत्येक कार्य हेतु उत्पादकता संबंधी दिशा-निर्देश जिलास्तरीय रेट के हिसाब से तय किया जायेगा, ताकि सात घण्टों के कार्य के पश्चात् उचित दर पर मजदूरी मिल सके।
- सभी कार्यस्थलों पर निर्धारित मानकों के अनुसार मज़दूरी दर को क्षेत्रीय भाषा में प्रचारित तथा प्रसारित किया जाये जिससे सामान्य व्यक्ति भी ठीक ढंग से समझ सके।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा अन्य क्रियान्वयन संगठनों को संख्यांकित मस्टररोल दिया जायेगा जिसमें सभी तरह की सूचना व आँकड़े दर्ज किये जायेंगे।

# एनआरईजीए उद्देश्य की प्राप्ति के महत्वपूर्ण मुद्दे

एनआरईजीए उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब राज्य इनकों कानून में निर्देशित प्रक्रियाओं के अनुरूप लागू करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दु आते हैं :

**१. पंजीयन :** एनआरईजीए जिलों के सभी ग्रामीण परिवार अकुशल शारीरिक कामों के लिए पंजीयन के लिए आवेदन कर कते हैं।

**क्या किया जाना चाहिए?**

- पंजीयन के लिए आवेदन (लिखित या मौखिक) ग्रामीण परिवारों द्वारा ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए
- परिवार का पंजीयन होगा, परंतु उसके प्रत्येक वयस्क सदस्यों, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हों, उनका पंजीयन हो सकता है।

**क्या नही किया जाना चाहिए?**

- मौखिक आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

**२. आवेदन का सत्यापन**

स्थानीय अधिवासी ग्रामीण परिवार, जिनकी की अकुशल शारीरिक श्रम मांगने की संभावना है, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए

**क्या किया जाना चाहिए**

- योग्यता की सत्यापन केवल स्थानीय निवास और वयस्कता के संबंध में न कि आर्थिक स्तर के लिए। (एनआरईजीए केवल गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए सीमित नहीं है)
- पंजीयन के आवेदन के १५ दिनों के अन्दर सत्यापन पूरा हो जाना चाहिए।

**क्या नहीं किया जाना चाहिए**

- केवल गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का पंजीयन नहीं होना चाहिए।
- स्थानीय अधिवासी परंतु प्रवासी परिवारों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- लिंग, जाति और मत के आधार पर पंजीयन अस्वीकार करना।
- सत्यापन में अनुचित विलंब।

### ३. जॉब कार्डों को जेारी करना

जॉब कार्ड एक मूलभूत कानूनी दस्तावेज है जो पांच वर्षों के लिए वैध है जो पंजीकृत परिवार को सुनिश्चित रोजगार की मांग करने के योग्य बनाता है।

**क्या किया जाना चाहिए**

- एक संपूर्ण परिवार को एक जॉब कार्ड जारी किया जाना चाहिए।
- एक पारिवारिक जॉब कार्ड में उस परिवार के सभी पंजीकृत वयस्क सदस्यों का चित्र और नाम होगा।
- चित्र सहित जॉब कार्ड को खर्च कार्यक्रम द्वारा उठाया जाएगा।
- आवेदन के १५ दिनों के अंदर निश्चित रूप से जारी किया जाना चाहिए।
- जॉब कार्ड में महत्वपूर्ण आंकड़ों को नियमित भरने के लिए जगह होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत
  - ☐ अनोखी पंजीयन संख्या
  - ☐ मांगने गए कार्यदिवसों की संख्या
  - ☐ कार्य किए गये दिनों की संख्या
  - ☐ भुगतान की गई राशि
- जारी किए गए जॉब कार्डों का दाखिला ग्राम पंचायत के जॉब कार्ड रजिस्टर में किया जाएगा।

**क्या नहीं किया जाना चाहिए**

- पंजीयन और जॉब कार्ड जारी करने में अनुचित समय अंतराल नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति को जॉब कार्ड जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- जॉब कार्ड में अवयस्कों का नाम नहीं डालना चाहिए।
- जॉब कार्ड की कीमत नहीं लगाई जानी चाहिए।
- लाभार्थी से फोटो का शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए।
- कार्यस्थल पर जॉब कार्ड नहीं जारी किया जाना चाहिए।

### ४. रोजगार के लिए आवेदन

- दुर्बल मौसम में रोजगार के बारे में परिवारों की इच्छा और दृष्टिकोण जानने के लिए
- रोजगार के कानूनी अधिकार का निर्दिष्ट समय समय पंद्रह दिनों के अन्दर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए

- राज्य सरकार अभियंताओं का एक समूह जिला स्तर पर बना सकती है। जिलास्तर से विकास खण्ड स्तर पर भी इस तरह का समूह बन सकता है। यह दल आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत होने वाले कार्यों के मूल्यन तथा आगणन में कार्यदायी संगठनों की मदद करेगा। उक्त समूह जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजनाधिकारी तथा ग्राम पंचायतों को समयानुसार मदद दे सकता है। कार्यों के औचक निरीक्षण भी समूह के द्वारा कार्यो में सुधार हेतु किया जा सकता है जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्देशित करती रहेगी।

## नियोजन विधि

**वित्तीय व्यवस्था :**

केन्द्र सरकार नियमानुसार योजना का जो वित्तीय भार वहन करेगी उसमें:

- अकुशल श्रमिकों की मज़दूरी का भुगतान;
- परियोजना में प्रयुक्त ७५ प्रतिशत निर्माण सामान तथा कुशल व्यक्तियों की मज़दूरी का भुगतान;
- प्रशासनिक व्यय (केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित), जिसमें परियोजना अधिकारी का मासिक वेतन तथा अन्य स्टॉफ का व्यय भी शामिल होगा। कार्यस्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं का खर्च भी सरकार वहन करेगी।

**राज्य सरकार नियमानुसार योजना में वहन करेगी :**

- परियोजना में उपयोगी २५ प्रतिशत सामान तथा कुशल/प्रकुशल व्यक्तियों का भुगतान;
- बेरोजगारी भत्ते का पूर्ण भुगतान अगर राज्य सरकार काम देने में विफल रही;
- राज्य रोजगार गारण्टी परिषद का पूर्ण प्रशासनिक व्यय।

**रोजगार गारण्टी योजना निधि का प्रबंधन :**

**राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि :**

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी। उसका प्रबंधन अधिनियम उल्लिखत नियम के अनुसार किया जायेगा। सभी राज्यों तथा जिलों पर धन का आवण्टन योजना के क्रियान्वयन हेतु इसी निधि से किया जायेगा।

**राजकीय रोजगार गारण्टी निधि :**

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निधि की स्थापना कर सकती है। इसे राजकीय रोजगार गारण्टी निधि कहा जायेगा, जिसका प्रबंधन एवं विस्तार नियमानुसार होगा।

**बैंक खाता :**

प्रत्येक राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर पर पृथक बैंक खाता खोला जायेगा तो सतत् रूप से संचालित किया जायेगा खाता केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में ही खोला जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर तथा परियोजना अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर खाते को संयुक्त रूप से संचालित करेंगे।

## पंजीकरण की प्रक्रिया

**योग्यता :**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना का शुभारम्भ केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने परिवारों में किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में १०० दिन का गारण्टी रोजगार प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा। एक या एक से ज्यादा व्यक्ति किसी भी परिवार से कार्य कर सकता है। रोजगार हेतु आवेदन करने के लिए आवश्यक होगा कि-

- व्यक्ति स्थानीय ग्रामवासी हो;
- अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को तैयार हो;
- परिवार के रूप में अपने आपको पंजीकष्त करावें;
- ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों के आधार पर पंजीकरण की प्रक्रिया ''ग्राम विकास अधिकारी'' अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य किसी द्वारा सम्पन्न की जायेगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीयन रजिस्टर बनाने व जॉब कार्ड तैयार कर ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बाद वितरण का कार्य विभागीय तौर पर कराया जायेगा।
- परिवार का पंजीकरण निर्धारित पंजिका में किया जायेगा, जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयन रजिस्टर बनाया जायेगा।
- ऐसे परिवार जो समय पर पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र अथवा कोरे कागज पर हस्त लिखित कर अपनी ग्राम पंचायत के ग्राम विका अधिकारी/सचिव को देकर पंजीयन करा सकेंगे। आवेदन में परिवार के वयस्क दस्यों के नाम, उम्र, लिंग, जाति इत्यादि लिखने होंगे। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। परिस्थिति अनुसार आवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पंजीयन हेतु सादे कागज पर भी आवेदन कर सकते हैं।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम की शुरूआत वहाँ हों जहाँ और जब श्रम की जरूरत है न कि काम की मांग के आधार पर
- रोजगार की मांग को दर्ज करने और मॉनिटर करने के लिए

**क्या किया जाना चाहिए**

- जॉब कार्ड धारी द्वारा ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के पास एक लिखित आवेदन जमा किया जाना चाहिए
- रोजगार के आवेदन से १५ दिन की गिनती करने के लिए, जिसके अंदर रोजगार दिया जाना है, ग्राम पंचायत एक दिनांक सहित रसीद प्रदान करेगी
- रोजगार आवेदनों का दाखिला ग्राम पंचायत के रोजगार रजिस्टर में किया जाएगा।

**५. रोजगार का आवंटन**

रोजगार आवंटन की विधी का प्रेक्षण करने के लिए

**क्या किया जाना चाहिए**

- काम मांगने के १५ दिनों के अंदर काम का आवंटन किया जाना चाहिए। यदि आवेदक काम के लिए उपस्थित नहीं होता है तो कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, परंतु उसे पुनः आवेदन करने से बाधित नहीं किया जाएका।
- ग्राम पंचायत निश्चित तौर पर आवेदक को यह सूचना देगी की काम के लिए कहां उपस्थित होना है।
- कार्यस्थल, आवेदक के आवास से ५ कि.मी. के अंतर्गत होना चाहिए, अन्यथा मजदूरी का १० प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाएगा।

**क्या नहीं किया जाना चाहिए**

- रोजगार आवंटन में देरी नहीं की जानी चाहिए। यह राज्य सरकार पर बेरोजगारी भत्ता देने का भार बढ़ाएगा, जिसका कि भुगतान राज्य सरकार के अपने आर्थिक संसाधनों के लिए किया जाएगा।

**६. कामों का सुझाव**

अनुमति प्राप्त काम-जल संरक्षण, भूमि विकास, वृक्षा रोपण और जंगल बनाना, सड़क... काम प्राथमिकता में और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित जो मजदूर आधारित हों, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे। मजदूरी और सामग्री में ६०:४० का अनुपात रखा जाएगा।

**क्या किया जाना चाहिए**

- सभी अनुमोदित कामों की जानकारी धरातलीय/तकनीकी/आर्थिक विवरणों सहित सार्वजनिक दायरे (सूचना पटल/वेबसाईट) में
- ग्राम सभा द्वारा चिन्हित और अनुमोदित काम।
- माध्यमिक जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य सूची का ग्राम पंचायत में प्रदर्शन।
- ग्राम पंचायत के परिसंपत्ति रजिस्टर में हर काम का दाखिला अलग नंबर के साथ जिससे दोहराव से बचा सके।
- प्रत्येक जिले के लिए पांच वर्षों के लिए एक दृष्टिकोण योजना का निर्माण जिससे उपस्थित संसाधनों को पहचाना जा सके और दोहराव से बचा जा सके।
- सभी कार्यस्थलों पर तकनीकी जानकारी सरल स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रगति रिपोर्ट स्थानीय सतर्कता समिति को जमा करना।
- निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अनुसार एक वार्षिक लेबर बजट का निर्माण।

**ग्राम सभा** द्वारा एक योजना प्रक्रिया की पहल करना और जिला लेबर बजट के लिए काम और श्रम मांग के मौसम और संभावित परिमाण के संबंध में सिफारिश देना।

**ग्राम पंचायत** ग्राम सभा की सिफारिशो को एकत्रित करके उसे माध्यमिक पंचायत स्तर पर भेजेगी ग्राम पंचायत को निश्चित तौर पर यह भी बताना होगा कि वह कौन सा काम करवाने की इच्छुक है।

**माध्यमिक पंचायत** ग्राम पंचायत योजनाओ को एकत्रित करेगी और उन अतिरिक्त कामों के साथ जो सारे ग्राम पंचायतो में शामिल है, एक ब्लॉक योजना बनायेगी ; कार्यक्रम अधिकारी प्रशतावित कामो की साध्यता की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे संभावित रोजगार को पूरा करने योग्य है।

**जिला पंचायते** लेबर बजट को उन अतिरिक्त कामो के साथ जो सारे माध्यमिक पंचायत में शामिल है के साथ अनुमोदित करेगी।

जिला बजट में लागू करने के लिए हर स्तर की परियोजना अवधि आवश्यक अनुमोदन सहित होगी । जिला बजट निश्चित तौर पर प्रत्येक काम की संपादन एजेंसी का भी विवरण होगा।

- कीमत के कम से कम आधा काम ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाएंगे।
- आने वाले वर्ष का जिला लेबर बजट प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह तक तैयार हो जाना चाहिए।
- जिला लेबर बजट का अनुमोदन राज्य रोजगार गारंटी काउंसिल द्वारा किया जाएगा

- रोजगार हेतु लोगों के पलायन को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार की अधिकतम मांग को सृजित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि पंजीयन का कार्य कार्यालय समय में सम्पूर्ण वर्ष में किसी भी दिन किया जा सकता है।
- बी०पी०एल० सर्वे की सूची में दर्शाये गये परिवार के किसी सदस्य को एक अंश के रूप पृथक परिवार दर्शाया जाता है तो पृथक परिवार की पहचान एवं पृष्टि का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा, ग्राम पंचायत द्वारा पुष्टि के उपरांत ही विघटित परिवार का पृथक से पंजीयन किया जायेगा, जिसकी सूचना कार्यक्रम अधिकारी को यथा प्रेषित की जायेगी। यदि परिवार विघटित होता है तो पूर्व में परिवार के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यो का विभाजन किया जायेगा ताकि आगामी वित्तीय वर्ष के लेबर बजट में शामिल किया जा सके।
- यदि कोई परिवार १०० दिन के कार्यदिवस की अवधि के दौरान विघटित हो जाता है तो ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त संशोधित जॉब कार्ड जारी किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य के पूर्व में किये गये कार्यदिवसों की कुल संख्या को देखते हुये संशोधित जॉब कार्ड जारी किया जायेगा। यह परीक्षण कार्य दिवस से ज्यादा एक सप्ताह में पूर्ण किया जाये।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक पंजीयन क्रमांक किया जायेगा। इस पंजीयन क्रमांक के साथ बीपीएल सर्वे २००२ में परिवार को दिया गया क्रमांक भी दर्ज होगा।
- पंजीयन रजिस्टर की एक प्रति ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जायेगी ताकि उसे क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तरों पर भविष्य की योजना बनाने हेतु शामिल किया जा सके।
- पंजीयन न होने पर अथवा पंजीयन की प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर कोई भी आपत्तिकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है तथा ग्राम प्रधान द्वारा एक सप्ताह में आपत्ति का निराकरण करके आदेश पारित कर आपत्तिकर्ता को अवगत कराया जायेगा।
- ग्राम प्रधान के निर्णय से असंतुष्ट होने पर क्षेत्र परियोजना अधिकारी को १५ दिनों में आवत्रिकर्ताओं द्वारा अपील प्रस्तु करनी होगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यथोचित जांच के उपरान्त एक सप्ताह में अपील का उचित निराकरण करना होगा। परियोजना अधिकारी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

**जॉब कार्ड :**

१. पंजीकृत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) जारी किया जायेगा, जिसमें बालिग सदस्यों का पूर्ण विवरण होगा। यह रोजगार कार्ड जारी होने के दिनांक से ५ वर्ष के लिये वैद्य होगा तथा यह एक वैधानिक प्रपत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

२. रोजगार पत्र में दर्शाया गया वयस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का अधिकारी होगा।

३. जॉब कार्ड का स्वरूप एक पास बुक के रूप में होगा प्रथम पेज पर आवेदक की समस्त व्यक्तिगत जानकारी अंकित होगी, जैसे परिवार का पंजीयन क्रमांक, आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण, लिंग, आयु तथा कार्य हेतु इच्छुक व्यक्तियों के नाम।

४. जॉब कार्ड में पर्याप्त संख्या में अन्य खाली पेज होंगे जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये गये कार्य दिवसों का ब्यौरा तथा बेरोजगारी भत्ता का समय-समय पर विवरण अंकित किया जायेगा।

५. जॉब कार्ड में परिवार के वयस्क सदस्यों के फोटो लगाये जायेंगे। फोटो की लागत कार्यक्रम की राशि में समायोजित की जायेगी। जॉब कार्ड का वितरण आवेदक द्वारा पंजीयन कराये जाने के एक सप्ताह की समय-सीमा में किया जाना आवश्यक होगा। जॉब कार्ड जारी करने का एक रजिस्टर ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया जायेगा।

६. जॉब काड्ड में आवश्यकतानुसार वयस्क सदस्यों के नामों को जोड़ना अथवा हटाने की व्यवस्था रहेगी। जॉब कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु होन अथवा निवास पता में स्थायी रूप से परिवर्तन होने पर परिवार के मुखिया द्वारा सूचित किया जायेगा। तद्नुसार ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड में नाम हटाया जायेगा। इसी प्रकार वयस्क के नाम को जोड़ने की कार्यवाही भी ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। उक्त संशोधनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत द्वारा तैयार पंजीयन रजिस्टर में भी दर्ज की जायेगी।

७. पंजीयन रजिस्टर में दर्ज संशोधनों को ग्राम सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार संशोधित सूची की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

८. मूल जॉब कार्ड गुम हो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में जॉब कार्डधारक द्वारा डुप्लीकेट जॉब कार्ड के लिये आवेदन ग्राम पंचायत में देना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों की जांच के उपरान्त डुप्लीकेट जॉब कार्ड जारी किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार अभिलेख द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा

और उसे फंड जारी करने के लिए भारत सरकार के पास भेजा जाएगा।

**क्या नहीं किया जाना चाहिए**

- ठेकेदार आधारित काम नहीं किया जाना चाहिए।
- काम के झूठे रिकार्ड।
- ब्लॉक और जिला पंचायतें, ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं की अवहेलना नहीं करेंगी, यद्यपि वे ग्राम पंचायतों के बीच, ब्लॉकों के बीच या विभागीय कार्यों के बीच परियोजना की अवधि में जोड़े जा सकते हैं।
- मशीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
- सामग्री पक्ष ४० प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- कानून के शेड्यूल १ में निर्दिष्ट कामों के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्र इसके लिए पैसा नहीं देगा।

**७. कामों का संपादन**

**क्या किया जाना चाहिए**

- काम पर केवल जॉब कार्डधारी को लगाया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए नंबर लिए हुए मस्टर रोल जारी किए जाने चाहिए। (यह झूठे मस्टर रोलों के लिए जांच है)
- मस्टर रोलों में मजदूरों के जॉब कार्ड का नम्बर अवश्य होना चाहिए। (यह झूठे नामों और ठेकेदारों के लिए जांच है)
- मस्टर रोलों को रखरखाव संपादन एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।
- मस्टर रोलों को कार्यस्थल पर नियमित नापजोग के समय पढ़कर सुनाया जाना चाहिए जिससे झूठे रिकार्ड और निर्दिष्ट मजदूरी से कम मजदूरी देने से बचा जा सकता है।
- ग्रामीण दरों का शेड्यूल, यदि काम का भुगतान टास्क आधार पर किया गया है, तो अकुशल शारीरिक मजदूर की उत्पादन क्षमता को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए।
- कामों का समय पर नियमित नापजोग और निरीक्षण योग्य तकनीकी कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- अधिकृत नापजोग पुस्तिका में नापजोग का रिकार्ड रखें।
- नापजोग पुस्तिका का उचित रखरखाव होना चाहिए।
- मजदूरों का नापजोग विवरण पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।
- महिला और पुरुष मजदूरों के लिए कार्यस्थल पर उचित सुविधाओं का प्रावधान।

- स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण और रखरखाव जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता जल संरक्षण और पौध रोपण के कामों को दी जानी चाहिए।

**क्या नहीं किया जाना चाहिए**

- झूठे नामों से मस्टर रोल को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।
- काम न करने वाले व्यक्तियों या कुशल मजदूरों को अकुशल मजदूरों की तरह निधार्रित करें और उन्हें काम करने वाले व्यक्तियों की मजदूरी से एक हिस्सा प्रदान करें।
- नापजोग में विलंब नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में कोई कच्चा मस्टर रोल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- अवयस्कों को काम में नहीं लगाया जाना चाहिए।

**८. भुगतान**

राज्य कृषि मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, यदि केन्द्र एक मजदूरी की दर निर्धारित नहीं करता है।

**क्या किया जाना चाहिए**

- भुगतान निश्चित तौर पर एक सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए और किसी भी कारण से एक पखवाड़े से ज्यादा विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।
- भुगतान सार्वजनिक तौर पर सबको बता कर कराया जाना चाहिए।

**क्या नहीं किया जाना चाहिए**

- एक श्रमिक को उससे कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए, जो उसके लिए बनती हो।

**९. पारदर्शिता**

**क्या किया जाना चाहिए**

- उचित अंकेक्षण और मूल्यांकन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
- सामाजिक अंकेक्षण का उसके और निष्कर्षो का चौतरफा इस्तेमाल सुनिश्चित करना।
- गांव, ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करना।

**१०. एनआरईजीए लागू करने के लिए स्टाफ**

राज्यों को संबंधित कर्मियों को नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं जिसमें निम्नलिखित स्टाफ भी सम्मिलित हैं :

- फुलटाईम ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी

कि आवेदक को डुप्लीकेट जॉब कार्ड जारी करने के पूर्व कितने दिवस का रोजगार इत्यादि उपलब्ध कराया जा चुका है, इस आशय की प्रविष्टि डुप्लीकेट जॉब कार्ड में की जायेगी। जॉब कार्ड रजिस्टर में भी डुप्लीकेट जॉब कार्ड जारी करने का उल्लेख किया जायेगा।

९. डुप्लीकेट जॉब कार्ड के प्रत्येक पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में ''डुप्लीकेट'' शब्द अंकित किया जायेगा।

१०. नये जारी किये गये जॉब कार्ड एवं ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड में किये गये संशोधनों की जानकारी परियोजना अधिकारी को दी जायेगी। यदि खण्ड विकास अधिकारी किसी भी परिवर्तित प्रविष्टि को संदिग्ध मानते है तो जिला समन्वयक के समक्ष अंतिम आदेश हेतु प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक माह की समय-सीमा में निर्णय लिया जायेगा तथा वह अंतिम रूप से मान्य होगा।

**रोजगार हेतु आवेदन :**

१. अधिनियम की अनुसूची २ धारा-६ के अनुसार काम के लिये प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में दिया जायेगा। अकुशल श्रमिकों को अधिकार होगा कि वे परियोजना अधिकारी को भी आवेदन कर सकते हैं, किन्तु पंचायत स्तर पर सफलता न मिलने पर वे ऐसा कर सकते हैं।

२. ग्राम पंचायत द्वारा जिसके नाम से जॉब कार्ड जारी किया गया है पंजीकृत ऐसे प्रत्येक परिवार को योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम १०० दिन अकुशल मानव श्रम प्राप्त करने की हकदारी होगी।

३. प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है एवं अकुशल मानव श्रमक रने हेतु स्वेच्छा से तैयार है, वह अपना नाम, उम एवं पता सहित आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा। ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन का तत्काल पंजीयन किया जायेगा।

४. रोजगार हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को दिया जायेगा तथा ग्राम पंचायत द्वारा पत्र की पावती (संलग्न प्रपत्र) संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी। रोजगार हेतु समूह में भी आवेन पत्र ग्राम पंचायत को दिये जा सकते हैं जिसकी यथोचित पावती ग्राम पंचायत द्वारा दी जायेगी।

५. रोजगा हेतु आवेदन पर अग्रिम रूप से भी दिया जा सकता है, जिसमें आवेदक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग समय में कार्य करने वाले दिवसों का उल्लेख होगा।

६. रोजगार हेतु आवेदन पत्र कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्यक्रम अधिकारी आवेदन पत्र को विधिवत् पंजीकृत करने के उपरान्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत को अग्रसारित करेगा।

७. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की तिथि अथवा अग्रिम आवेदन देने की स्थिति में, रोजगार चाहने की तिथि से, जो भी तिथि बाद की हो, १५ दिनों के अन्दर अकुशल मानव श्रम के रूप में कार्य उपलब्ध हो जाये। बशर्ते, महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जायेगी कि एक तिहाई हितग्राही महिला हों, जिनके द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है एवं कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

८. ग्राम पंचायत आवेदक को रोजगार उपलब्ध करायेगी। यदि ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है तो वह आवेदक का आवेदन ३ दिनों में कार्यक्रम अधिकारी को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित करेगी (प्रपत्र संलग्न)। पत्र की एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी प्रेषित की जायेगी।

**रोजगार की उपलब्धता :**

१. एन.आर.ई.जी.ए. अनुसूची १ धारा १० यह कहता है कि परियोजना अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों को यह अधिकार है कि वह योजना के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए निर्देशित कर सकता है जो अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित है। हर तरह के काम का ब्यौरा जॉब कार्ड में दर्ज होगा।

२. अनुसूची-१ धारा-६ परियोजना अधिकारी को यह जिम्मेदारी देता है कि सभी पंजीकृत श्रमिकों को समय पर कार्य मिल सके। ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यदायी संगठनों से उचित समन्वय स्थापित कर यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सभी कार्य अधिनियम में निहित उद्देश्यों की पूर्ति करते हों तथा उसका दिशा-निर्देश उचित रूप से पालित हो सके।

३. ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत (सुनिश्चित होन के बाद आवेदक द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है) वह आवेदक को स्वीकृत कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेगा।

४. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा, रोजगार हेतु प्राप्त आवेदन एवं ग्रामीण क्षेत्र से अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, रोजगार की मांग का आंकलन किया जायेगा। ऐसे में पहले ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहले से जारी रोजगारमूलक कार्यों पर

- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक प्रशासकीय सहायक
- प्रत्येक १० पंचायत के लिए एक तकनीकी सहायक
- ब्लॉक स्तर पर तकनीकी सहायक और एकाउंट सहायक की व्यवस्था।

**११. निगहवानी (मॉनीटरिंग) और रिर्पोटिंग व्यवस्था :**

**क्या किया जाना चाहिए**

- एमआईएस को कार्यान्वित करेंः एनआईसी ने एक सामान्य सॉफ्टवेयर बनाया है जिसे यदि राज्य चाहें तो, उचित बदलाव के साथ एनआरईजीए के कामों के लिए गांव और परिवार स्तरीय आंकड़े एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- प्रगति रिर्पोट भी एकत्र किए जा सकते हैं।
- महत्वपूर्ण आंकड़ों को सार्वजनिक दायरे में उपलब्ध कराएं।
- स्थलीय मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंः लागू करने के प्रक्रियाओं और उचित सुधार लागू करने के लिए समवर्ती आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्यों को भी अपने स्तर पर नियमित फीडबेक और सत्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए।
  - ☐ २ प्रतिशत मॉनिटरिंग राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा
  - ☐ १० प्रतिशत मॉनिटरिंग जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा
  - ☐ १०० प्रतिशत मॉनिटरिंग ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा
- राज्यों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एनआईजीए की धारा ४ के अंतर्गत राज्य स्कीमों को जुलाई, २००६ तक अधिसूचित किया जाए।

**क्या नहीं किया जाना चाहिए**

- बिना सत्यापन के और अनाधिकृत जानकारियों को एकत्रित नहीं किया जाना चाहिए और न ही रिपोर्ट की जानी चाहिए।

**१२. फंड जारी करना और उपयोग**

प्रत्येक जिले के पास उचित फंड रखे गये हैं।

जिलों और राज्यों के फंड के सभी आग्रह निम्नलिखित बातों की जांच के बाद ही बढ़ाई जाती हैः

- रिपोर्ट किए गये रोजगार की मांग का जॉब कार्ड़ों से मिलान
- मांगे गए और जारी किए गए
- जितना रोजगार दिया गया और कार्यस्थल पर मजदूरों के आने का औसत (जैसा राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, और स्थल निरीक्षण में प्रेक्षण किया गया है)

● स्थल स्तर पर जॉब कार्ड पंजीकरण और रोजगार की मांग का निपटारा किस तरीके से किया गया है। (जैसा कि क्षेत्र अधिकारी और एनएलएम की रिपोर्ट में दिया गया है।)

● और फंड़ की उपलब्धता (जैसा राज्य द्वारा गणित और रिपोर्ट किया गया है।)

राज्य और जिले, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को फंड़ का हस्तांतरण रोजगार की मांग के आधार पर करें न कि काम की मांग के आधार पर।

❄❄❄❄❄

पंजीकृत परिवारों को 15 दिन के अन्दर रोजगार कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य मुद्रित रूप में होगा। जिस पर परिवार के वयस्क सदस्यों के प्रमाणित फोटो भी लगेंगे। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के पास भी उपलब्ध रहेगी। जॉब कार्ड की वैधता पांच वर्ष तक होगी।

कार्ड में से सदस्यों का नाम जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। जॉब कार्ड के खाने पर डुप्लीकेट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा सकता है। जॉब कार्ड जारी करने से सम्बन्धित किसी भी शिकायत का आवेदन विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत पी.ओ. को दे सकता है।

आवेदक को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा। पंचायत स्तर पर उपलब्ध 'शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट' से भी कार्य आरम्भ करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने अथवा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

५. रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ कराये जाने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया जायेगा। आवेदक श्रमिकों की संख्या कम होने की स्थिति में अनय पंजीकृत जॉब कार्डधारी श्रमिकों को भी कार्य पर लगाया जा सकेगा। चाहे उनके द्वारा रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत न किया गया हो। ऐसे श्रमिक, कार्य पर उपस्थित होते समय कार्यस्थल पर, क्रियान्वयन एजेंसी को भी आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिनकी सूचना क्रियान्वयन् एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी तथा जॉब कार्ड में उपलब्ध कराये गये रोजगार की प्रविष्टि की जायेगी।

६. चूंकि ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख संस्था है, अतः ग्राम पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह आवेदक को ऐसे कार्यो पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे जो वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकष्त है और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किये जाने है। अन्य क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत के उक्त निर्देश का पालन करने हेतु बाध्य होगी। उक्त आदेश की प्रति ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी जो कि आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। कार्यक्रम अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कार्यो हेतु धनराशि की उपलब्धता बनी रहे।

७. यह प्रयास किया जायेगा कि आवेदक द्वारा दर्शाये गये निवास से ५ किमी. की दूरी पर उसे रोजगार उपलब्ध हो। ऐसा न होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन पत्र को, विकास खण्ड स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष भेजा जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी विकास खण्ड क्षेत्रांतर्गत उपलब्ध निकटतम रोजगार कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचित करेगा। इस हेतु आवेदक को अतिरिक्त परिवहन एवं अन्य व्यय हेतु नयूनतम मजदूरी दर का १० प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वृद्धजन एवं महिलाओं को ५ किमी. के दायरे में कार्य उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाये। यदि विकलांग व्यक्ति द्वारा रोजगार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को योग्यता एवं पात्रता अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य योजना के अंतर्गत चयनित सेवाओं के रूप में भी किया जा सकता है।

८. यदि कार्यस्थल पर आवेदक द्वारा कार्य करने से मना किया जाता है अथवा क्रियान्वयन एजेंसी को ऐसा महसूस होता है कि आवेदक से कार्य कराया जाना संभव नहीं होगा तो वह आवेदक के पास उपलब्ध पत्र पर तर्कसंगत टिप्पणी अंकित कर पुनः कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के समक्ष भेजेगा। कार्यक्रम अधिकारी आवेदक को अन्य किसी कार्यस्थल पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करेगा।

९. जब किसी कार्यस्थल पर क्रियान्वयन अधिकारी यह पाता है कि जारी कार्य में कार्यरत श्रमिकों को एक निर्धारित अवधि के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वह १५ दिनों पूर्व जिला कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत को इस बाबत् तत्काल रिपोर्ट करेगा, जिसमें श्रमिकों की संख्या एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि उपरान्त रोजगार स्तर पर भी रोजगार की उपलब्धता का अभाव हो तो इस बाबत् कार्यक्रम अधिकारी ३ दिवस की समय-सीमा में जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनिवार्यतः अवगत करायेगा।

१०. यदि कार्यक्रम अधिकारी रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है तो वह ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के अधिकतम ७ दिनों के अन्दर उन सभी श्रमिकों को किसी अन्य कार्यस्थल पर उपस्थिति देने हेतु सूचना जारी करेगा।

११. ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि वह जारी किये गये जॉब कार्ड, पास बुक, परिवारों के सदस्यों तथा वयस्क व्यक्तियों के नाम, पता दर्शाने वाले रजिस्टर, वाउचर एवं अन्य दस्तावेजों को तैयार करे एवं सुरक्षा करें।

१२. ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्तानुसार सूचियों को कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक १५ दिनों पर प्रस्तुत करें।

१३. ग्राम पंचायत का दायित्व होगा कि वह रोजगार की उपलब्धता से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में कार्यक्रम अधिकारी को १५ दिनों पर उपलब्ध करायें (प्रपत्र संलग्न) जिन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा उनकी सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में आम जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जायेगी।

**मजदूरी का भुगतान :**

जब तक केन्द्र सरकार स्वयं अधिनियम की धारा-६(१) के तहत कोई दर घोषित न करे, तब तक प्रत्येक कार्य करने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी दर के हिसाब से निर्धारित मज़दूरी दर (न्यूनतम मज़दूरी दर अधिनियम १९४८) के तहत दी जायेगी।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत संपादित होने वाले कार्य :

- योजनान्तर्ग ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन, परिवारों के रजिस्ट्रेशन, जाब कार्डों का निर्गमन, रोज़गार उपलब्ध कराना एवं ५० प्रतिशत कार्यों को कराने हेतु उत्तरदायी होगी।
- अधिनियम के सेक्शन १६(४) के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्य कराने हेतु प्रस्ताव एवं योजना के प्रोजेक्ट कार्यक्रम अधिकारी को संशोधन एवं प्राथमिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।
- यदि कोई परिवार पंजीकरण कराना चाहता है तो ग्राम पंचायत को परिवार के इच्छुक सदस्यों को पंजीकरण कराना होगा, बशर्ते परिवार वहां का निवासी हो तथा मजदूरी का कार्य करता है।
- किसी भी परिवार में पिता, उनके बच्चे अथवा ऐसा कोई सदस्य जो उस परिवार पर पूर्ण रूप से आश्रित है । इन सभी को मिलाकर परिवार कहा जायेगा । किसी परिवार में अकेला सदस्य भी परिवार कहलायेगा।
- पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र सादे कागज में भी दिया जा सकता है जिसमें उसको अपने परिवार एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण देना होगा ।
- किसी व्यक्ति के मौखिक अनुरोध पर भी पंजीकरण किया जायेगा ।
- पंजीकरण का कार्य अनवरत वर्ष भर चलता रहेगा ।
- सत्यापनोपरान्त ग्राम पंचायत पंजीकरण पंजिका में उनका विवरण अंकित करेगी ।
- प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक अद्वितीय नम्बर आवण्टित किया जायेगा । वह नम्बर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बी०पी०एल० के २००२ के अनुरूप होगा।
- पंजीकरण की सूचना नियमित रूप से साप्ताहिक कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- ग्राम पंचायत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड निर्गत करेगी ।
- जॉब कार्ड सत्यापनोपरान्त तत्काल जारी किया जायेगा, किन्तु जॉब कार्ड पंजीकरण की तिथि से अनिवार्यतः एक पक्ष के अन्दर जारी हो जाए।

- जॉब कार्ड में एक फोटो भी चस्पा की जायेगी जिसकी लागत योजना से ही व्यय की जायेगी।
- जॉब कार्ड की एक प्रति ग्राम पंचायत पर भी रखी जायेगी ।
- जॉब कार्ड ५ वर्षों के लिए वैध होगा किन्तु उसमें से सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है।
- किसी भी जॉब कार्ड धारक का जॉब कार्ड खोने अथवा नष्ट हो जाने पर उनके द्वारा यदि कार्ड की द्वितीय प्रति निर्गत करने का अनुरोध किया जाता है, तो उनसे नया प्रार्थना पत्र लेकर पुनः जॉब कार्ड जारी किया जा सकता है।
- कार्य हेतु मांग पत्र ग्राम पंचायतों में प्रस्तुत किया जायेगा ।
- कार्य की मांग पत्र रजिस्ट्रेशन नं० के साथ सादे कागज पर देना होगा जिस पर तारीख भी अंकित करनी होगी और उसको यह भी अवगत होगा कि उसे कितने दिवसों का रोज़गार चाहिए ।
- कार्य की मांग हेतु जितने नये प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उसकी साप्ताहिक सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित करनी होगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत सप्ताह के एक निश्चित दिन को ''रोज़गार गारण्टी दिवस'' के रूप में घोषित करेगी जिसमें योजना से संबंधित क्रियाकलापों पर कार्य किया जायेगा । यथा कार्य का आवण्टन, मजदूरी का विवरण एवं मजदूरी भत्ता आदि का विवरण किया जायेगा ।
- कुल उपलब्ध कराये गये रोजगारों पर महिलाओं को कार्य की प्राथमिकता प्रदान की जायेगी एवं कम से कम एक तिहाई महिलाओं को अनिवार्यतः रोज़गार प्रदान कराया जायेगा।
- यदि कोई ग्रामीण असहाय व्यक्ति कार्य हेतु आवेदन करता है तो उसकी स्थिति एवं योग्यतानुसार कार्य प्रदान किया जायेगा। इसके लिये योजना में ऐसे कार्यों को चिन्हीकरण भी कर लिया जाए।
- ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी प्रार्थी से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से १५ दिन के अन्दर कार्य उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे ।
- यदि ग्राम पंचायत १५ दिन के अन्दर कार्य उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो यह जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी।
- यदि कार्यदायी संस्था समय से कार्य प्रारम्भ कराती है तो कार्यक्रम अधिकारी उन मजदूरों

१. महिला एवं पुरुषों को मज़दूरी का भुगतान समान दर पर किया जायेगा।
२. राज्य सरकार मज़दूरी का भुगतान यद्यपि साप्ताहिक आधार पर करेगी, किन्तु दैनिक मजदूरों की स्थिति देखते हुए प्रतिदिन मज़दूरी के कुछ अंश का भुगतान अवश्य किया जायेगा।
३. मज़दूरों को भुगतान में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से भुगतान सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने किया जायेगा।
४. मज़दूरी के भुगतान में १५ दिन से अधिक देर नहीं होनी चाहिये। ऐसा न होने पर मज़दूरों को मज़दूरी भुगतान अधिनियम १९३६ के प्राविधानों के तहत हर्ज़ाना मांगने का हक होगा।
५. अगर मज़दूर समझता हो कि उसको अन्य सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाए तो वह उसके भुगतान का कुछ अंश स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा अनय के हेतु ले सकता है तथा उसके समकक्ष राज्य सरकारें भी अपना अंशदान उक्त कार्य हेतु करेंगी।

**कार्यस्थल पर देय सुविधायें :**

१. इस योजना की राशि में से कार्यस्थल पर देय सुविधाओं की व्यवस्था क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
२. आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, ६ वर्ष से कम आयु के ५ से अधिक बच्चों पर झूलादार की व्यवस्था प्रदान की जायेगी।
३. किसी कार्यस्थल पर यदि ६ वर्ष से कम उम्र के ५ से अधिक बच्चे हो, तो पृथक से एक महिला को बच्चों की देखरेख हेतु नियुक्त किया जायेगा।
४. बच्चों की देखरेख करने हेतु नामांकित मलिा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रमिक के रूप में पारिश्रमिक हेतु मान्य होगा।
५. कार्यस्थल पर देय सुविधाऐं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के एक हिस्से के रूप में मान्य होंगी, इस हेतु प्रत्येक प्रोजेक्ट में इनकी लागत भी शामिल की जायेगी।

**क्षतिपूर्ति :**

१. यदि किसी व्यक्ति को कार्यस्थल पर कार्य करते हुए चोट लगती है तो उसका योजना के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क इलाज होगा।
२. यदि दुर्घटना के फलस्वरूप कार्यरत व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति आती है तो राज्य शासन का यह दायित्व होगा कि वह उपयुक्त व्यवस्था, जैसे दवा, चिकित्सक

की व्यवस्था करेगा एवं दैनिक भत्ते के रूप में राशि प्रदान करेगा जो कि न्यूनतम मज़दूरी दर के आधे से कम नहीं होगी।

३. यदि कार्यरत व्यक्ति चोट इत्यादि से पीड़ित होता है तो उसे योजनांतर्गत एत्रं पात्रतानुसार निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।

४. मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा :-

- योजना के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर - रु. २५,०००/-
- योजना के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना में स्थायी, पूर्ण अपंगता होने पर - रु. २५,०००/-
- योजना के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना में दो आँख या दो हाथ-पांव अक्षम होने पर - रु. १५,०००/-
- योजना के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना में एक आँख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर - रु. १०,०००/-
- योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उक्त राशि वैधानिक उत्तराधिकारियों को देय होगी तथा स्थायी/अस्थायी अपंगता की स्थिति में व्यक्ति को स्वयं देय होगी।

**बेरोजगारी भत्ता :**

१. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम २००५ के अनुसार रोजगार की मांग करने वाले आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के १५ दिवसों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ऐसा न हो पाने पर वह आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

२. ग्राम पंचायत को रोजगार उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थता होने पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में वस्तुस्थिति से ३ दिनों में कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराकर उसकी प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम समन्वयक को देंगे। यदि कार्यक्रम अधिकारी भी रोजगार उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो वे ३ दिवस की समय-सीमा में जिला कार्यक्रम अधिकारी को अनिवार्यतः सूचित करेंगे।
को अन्य कहीं रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत/कार्यदायी संस्था श्रमिकों को दिये गये मजदूरों का अंकल अनिवार्य रूप से उनके जाब कार्ड पर अंकित करेगी।
- कार्यक्रम अधिकारी अथवा अन्य कार्यदायी विभाग द्वारा कराये गये कार्यों पर प्रयुक्त मस्टर रोल की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जायेगा, जहाँ के मजदूरों ने कार्य किया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत मात्र निम्न कार्य प्राथमिकतानुसार कराये जा सकते हैं :
  - जल संरक्षण के कार्य
  - भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण
  - सिंचाई कार्य हेतु नहरें तथा अन्य लघु सिंचाई कार्य
  - एस०सी०/एस०टी०, इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों तथा भूमि सुधार कार्यक्रम के लाभार्थियों के व्यक्तिगत सिंचाई सुविधा के कार्य।
  - पुराने तालाबों का पुनरूद्धार तथा सिल्ट सफाई कार्य।
  - भूमि विकास
  - बाढ़ नियंत्रण के कार्य तथा निकासी नालों का कार्य।
  - सर्वऋतुगामी मार्गों का निर्माण।
- प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
- मस्टर रोल कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे जिनमें एक अद्वितीय नम्बर अंकित किया जायेगा। उक्त सभी मस्टर रोलों का अंकन मस्टर रोल रजिस्टर में किया जायेगा।
- कार्य के दौरान मजदूरी लागत एवं सामग्री लागत का अनुपात किसी भी दशा में ६०:४० से कम नहीं होना चाहिए।
- कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा, पेयजल, छाया एवं छोटे बच्चों की देखभाल आदि सुविधायें उपलब्ध कराना कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी ।
- यदि ६ वर्ष से कम ५ या ५ वर्ष से अधिक बच्चे कार्यस्थल पर मजदूरों द्वारा लाये जाते हैं तो एक व्यक्ति यथासम्भव महिला, उनकी देखभाल के लिये नामित करना होगा।
- कार्य के दौरान प्रत्येक श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी रु० ६०.०० प्रतिदिन देय होगी, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में कार्य करना होगा।

- किसी भी मजदूर को उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी से कम किसी भी दशा में नहीं दिया जायेगा।
- महिला एवं पुरुषों को समान मजदूरी देय होगी ।
- मजदूरों को साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जायेगा।
- यदि किसी मजदूरी को १५ दिन के अन्दर नहीं उपलब्ध कराया जाता तो उसको मजदूरी भत्ता प्रदान किया जायेगा, जिसके लिये ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- समस्त ग्राम पंचायते योजनान्तर्गत एग अलग खाता खालेंगी जिनका संचालन प्रधान एवं ग्रा०पं०वि०अ० द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा ।
- धनराशि केवल उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी जिन कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान कर दी गई है।
- योजना की धनराशि किसी भी दशा में अन्य कार्यों अथवा अन्य प्रयोजनों पर नहीं व्यय की जायेगी। यदि इस प्रकार का कोई भी दुरुपयोग होता है तो उसके लिये सीधे तौर पर ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०वि०अ० उत्तरदायी होंगे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों का रख-रखाव किया जायेगा -
    - आवेदन पत्र रजिस्टर
    - जाब कार्ड रजिस्टर
    - रोज़गार रजिस्टर
    - मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर
    - शिकायत रजिस्टर
    - कैश बुक
- ऐसे मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्गत नहीं किये गये है वे किसी भी दशा में मान्य नहीं हैं।
- योजना के स्वीकृति/कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की निगरानी हेतु ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति एवं महिला आदि की भी सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम अधिकारी उक्त समितियों के गठन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- योजनान्तर्गत ट्रैक्टरों/मशीनों से कार्य कराना किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है ।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर योजना के बोर्ड का लेखन कार्य

३. बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम ३० दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नही होगी तथा शेष अवधि के लिये न्यूनतम मजदूरी दर से आधी से कम नहीं होगी।

४. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष ऐसे भुगतान कि कुल राशि का योग वित्तीय वर्ष में किसी परिवार को न्यूनतम दर पर प्रदान की गई मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्राप्त की गई कुल राशि का योग १०० दिवस की न्यूनतम मजदूरी के योग से ज्यादा नहीं होगा।

**बेरोजगारी भत्ता की पात्रता :**

प्रत्येक व्यक्ति जो कि पंजीकृत है और रोजगार हेतु आवेदक है कि निम्न परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा :-

- किसी आवेदक को १५ दिनों में रोजगार प्राप्त न होने पर (ऐसी परिस्थिति में आवेदक द्वारा रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के दिनांक से १५ दिनों के बाद से ऐसी समयावधि तक जब तक कि उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता)।
- आवेदक को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पर नहीं लिये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्र जारी होने के ७ दिनों में कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति दे चुका हो (ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा आवेदन के १५ दिनों बाद तब तक ऐसी समयावधि हेतु बेरोजगारी भत्ता होगा जब तक उसे रोजगार उपलब्ध कराने बाबत् दूसरा पत्र जारी नहीं किया जाता)।

**निम्न परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी -**

- प्राकृतिक आपदायें जैसे अतिवृष्टि, बाढ़ बलवा इत्यादि की घटनायें घटित हो जाये जिस पर सामान्य मनुष्य का कोई नियंत्रण न हो, तब राज्य शासन व रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं होगी। (अर्थात ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराये जाने बाबत् पत्र जारी न कर सके, क्रियान्वयन एजेंसी उस व्यक्ति को कार्य पर न ले सके) ऐसी परिस्थिति में राज्य शासन बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने हेतु बाध्य नहीं होगा।
- यदि आवेदक सूचना प्राप्ति के ७ दिनों के भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता। क्रियान्वयन एजेंसी की अनुमति बिना वह लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है; या वह किसी माह एक सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो वह ३ माह तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अतः यदि कोई आवेदक बेरोजगारी भत्ता हेतु दावा करता है तो यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि

आवेदन की तारीख से पिछले ३ माह में भत्ता प्राप्त करने हेतु अपात्र घोषित तो नहीं हुआ है।

- यदि आवेदक को रोजगार प्राप्त है और उसने बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन दिया है। ऐसे में यदि बेरोजगारी भत्ता स्वीकार कर लेता है, तो वह बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन के दिनांक से, अथवा भत्ता स्वीकार कर लेने के दिनांक से ६ माह तक बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र होगा।

**बेरोजगारी भत्ता भुगतान करने की प्रक्रिया -**

- प्रत्येक आवेदक जो बेरोजगारी भत्ते का दावा करता है उसे निर्धारित प्रारूप (शासन द्वारा निर्धारित) में कार्यक्रम अधिकारी को ऐसी समयावधि जिसके लिये वह बेरोजगारी भत्ता का दावा करता है, के अंतिम दिन से ७ दिवस के अंदर आवेदन करना होगा। विभिन्न अवधि के लिये बेरोजगारी भत्ता हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। बेरोजगारी भत्ता हेतु स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के दिनांक के बाद की समयावधि हेतु किसी भी प्रकार के भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता।
- रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य प्रस्तुत आवेदन पत्र की पावती को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि कोई आवेदक बेरोजगारी भत्ता हेतु इस आधार पर दावा करता है कि उसे ग्राम पंचायत द्वारा निर्देशित स्थार पर कार्य हेतु स्वीकार नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में उसे ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र एवं क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जारी अस्वीकृति पत्र की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक हागा। यदि बेरोजगारी भत्ता प्रारूप करने हेतु प्रस्तु आवेदन पत्र में उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र निरस्त योग्य होगा।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रापत ऐसे आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत यदि वह संतुष्ट होता है कि आवेदक विधिवत् रूप से पंजीकृत है और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार है तो वह पंजीकरण अधिकारी को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने हेतु निर्देशित करेगा। यदि कार्यक्रम अधिकारी आवेदक के आवेदन पत्र को निरस्त करता है तो उसे कारण सहित आवेदक को सूचित करना होगा। ऐसे में कार्यक्रम अधिकारी को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने के आवेदन दिनांक से १० दिवस के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आदेश की प्रति आनिवार्यतः जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

कराया जायेगा जिसमें योजना की मुख्य-मुख्य बातों के अलावा यह अनिवार्य रूप से अंकित हो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उक्त ग्राम में किस-किस तिथि/दिवस को उपस्थित रहेगा।

❇❇❇❇❇

*इस योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को यदि कार्य के दौरान दुर्घटना होती हैं तो उसका मुफ्त इलाज कराया जाएगा जिसका समस्त व्यय-भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और दैनिक भत्ता भी देना होगा।*

*यदि कार्य के दौरान मृत्यु या स्थाई अपंगता होती हैं तो परिवार को कम से कम 25000-00 (पच्चीस हजार रुपया) प्रदान किया जाएगा। इस योजना में स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, उत्तर जीविता बीमा, मातृत्व लाभ आदि का भी प्राविधान हैं। कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल बच्चों के लिए शेड, आराम करने की जगह एवं प्राथमिक उपचार बाक्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कार्य करने वाली महिला के साथ 5 वर्ष से कम उम्र के कम से कम 5 बच्चे हों तो बच्चों की देखभाल हेतु एक महिला की नियुक्ति का भी प्राविधान हैं।*

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

१. **इस कानून के अन्तर्गत कौन रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है?**
ग्रामीण परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है। यदि एक व्यक्ति आगे से काम में लगा हुआ है, तब भी उसके पास इस कानून के अंतर्गत अकुशल शारीरिक मजदूर के रूप में रोजगार मांगने का अधिकार है।

२. **क्या काम के लिए व्यक्तिगत आवेदन दिया जा सकता है?**
हां । रोजगार मांगने वालों का पंजीकरण परिवार के आधार पर किया जाता है। परन्तु पंजीकृत परिवार के हकदारी के अंतर्गत - एक वर्ष में १०० दिन के रोजगार के लिए - परिवार का एक व्यक्तिगत सदस्य भी काम के लिए आवेदन कर सकता है।

३. **कोई काम के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?**
रोजगार पाने के लिए जॉब कार्डधारी पंजीकृत वयस्क को ग्राम पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी। ब्लाक स्तर पर। पी०आ०के पास सादे कागज में काम मांगते हुए आवेदन देना चाहिए और उसकी एक दिनांक सहित रसीद मांगनी चाहिए।

४. **किसी को एक वर्ष में कितने दिन यह रोजगार प्राप्त होगा?**
एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में १०० दिन के काम की हकदारी है; और इसको परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच विभाजित किया जा सकता है।

५. **किसी को रोजगार की प्राप्ति कब होगी ?**
आवेदक को रोजगार, आवेदन जमा करने की १५ दिन के अन्दर या जिस दिन से काम की मांग की गई है, तब से प्रदान किया जाएगा।

६. **रोजगार कौन आवंटित करेगा ?**
ग्राम पंचायत या प्रोग्राम ऑफिसर, जिस किसी से भी आग्रह किया गया हो।

७. **किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे रोजगार दिया गया है?**
१५ दिनों के अंदर ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी एक पत्र के द्वारा आवेदक को

- प्रत्येक प्रकरण में जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है अथवा दिया जाना है, कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक को लिखित में कारण दर्शायेगा कि संबंधित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा सका। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की संकलित जानकारी पाक्षिक रूप से भी`जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजी जायेगी।
- जिला कार्यक्रम समन्वयक राज्य परिषद को वार्षिक रिपोर्ट में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान एवं रोजगार अनुपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

## आँकड़ों तथा अभिलेखों का प्रबंधन

**आँकड़ों का प्रबंधन :**

अधिनियम में इंगित सुविधायें कानूनी रूप में न्यायसंगत है। अतः यह जरूरी है कि सभी स्तर पर क्रियान्वयन के अभिलेख व आँकड़े सदा तैयार रखे जाए। सूचना के अधिकार के तहत यह सभी जरूरी होगा। सभी प्रकार के दस्तोवेजीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पहले से प्रारूप बना दिये गये हैं। कम्प्यूटरीकृत एम.आई.एस. को भी तैयार कर आँकड़ों की समीक्षा तथा उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। मुख्य एम.आई.एस. केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जायेगा जिसे राज्य सरकारें संशोधित कर सकती हैं।

**दस्तोवेजों का निर्माण :**

१. **पंजीकरण/जॉब कार्ड रजिस्टर**
प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयन/जॉब कार्ड रजिस्टर राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जायेगा तथा इसकी जानकारी कम्प्यूटरीराईज्ड पत्रक में विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी।

२. **जॉब कार्ड रजिस्टर**
प्रत्येक ग्राम पंचायतें एक जाब कार्ड रजिस्टर बनायेंगी तथा उसका डुप्लीकेट प्रारूप (कम्प्यूटरीकृत रूप में) परियोजना अधिकारी के पास उपलब्ध होगा।

३. **रोजगार की मांग का रजिस्टर**
प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक रजिस्टर राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जायेगा जिसमें रोजगार की मांग करने वाले आवेदनों का पंजीकरण होगा।

४. **रोजगार रजिस्टर**

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक रजिस्टर राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जायेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को संस्थावार रोजगार उपलब्ध कराये जाने की जानकारी होगी। उक्त जानकारी कार्यक्रम अधिकारी को को भी दी जायेगी ताकि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विकास खण्ड की संकलित जानकारी जिला स्तर पर प्रेषित की जा सके क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा मस्टर रोल की एक प्रति मजदूरी भुगतान के ३ दिवस में ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड पंचायत को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

**५. परिसम्पत्ति रजिस्टर**

ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर तैयार किये जाने वाले परिसम्पत्ति रजिस्टर समस्त स्वीकृत कार्य, क्रियान्वित एवं पूर्ण कार्यों का विस्तृत विवरण परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार रजिस्टर की एक ऐसी प्रति ग्राम पंचायत को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

**६. मस्टर रोल**

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं पंजीयन क्रमांक दर्ज करने के उपरांत ग्राम पंचायतों एवं क्रियान्वयन एजेंसी का मस्टर रोल जारी किये जायेंगे। ऐसा मस्टर रोल अनधिकृत माना जायेगा जो कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न किया हो। ग्राम पंचायत एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसी प्राप्त मस्टर रोल को तैयार करेगी तथा उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, जॉब कार्ड क्रमांक, उपस्थिति/अनुपस्थिति के दिवस, भुगतान की गई राशि का विवरण होगा। भुगतान की गई राशि और कार्य किये जाने वाले दिवसों की संख्या समानांतर रूप से जॉब कार्ड में भी इंद्राज की जायेगी। राशि का भुगतान करते समय प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी मस्टर रोल पर प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

७. क्रियान्वयन एजेंसी के लिये मस्टर रोल की मूल प्रति व्यय अभिलेख का एक हिस्सा होगी। मस्टर रोल की एक प्रति आम जनता के अवलोकनार्थ ग्राम पंचायत कार्यालय एवं कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में स्थायी अभिलेख के रूप में तैयार की जायेगी।

**शिकायत पुस्तिका**

प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में एक शिकायत पुस्तिका तैयार की जायेगी जिसमें योजना से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जायेगा। शिकायतों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि में किया जायेगा।

काम के लिए कब और कहां उपस्थित होना है सूचित करेगा। ग्राम पंचायत के सूचना पटल और ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर भी एक सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की जाएगी जिसमें काम के स्थान, दिनांक और उन लोगों के नाम की सूचना रहेगी जिन्हें रोजगार दिया गया है।

**८. रोजगार पत्र प्राप्त होने के बाद आवेदक को क्या करना चाहिए?**

जॉब कार्ड के साथ दिये गये दिनांक में जिस स्थान पर काम आवंटित किया गया है अपनी उपस्थिति दर्ज कराए।

**९. क्या होगा यदि वह काम के लिए उपस्थिति दर्ज नहीं कराता/कराती है?**

यदि ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा काम उपलब्ध होने की सूचना मिलने के बाद भी व्यक्ति काम के लिए उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं होगा।

**१०. क्या वह काम के लिए पुनः आवेदन कर सकता/सकती है?**

हां ।

**११. उसे कितनी मजदूरी मिलेगी ?**

कृषि मजदूरों पर लागू होने वाली स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी की दर से मिलेगी।

**१२. भुगतान की विधि क्या होगी? दैनिक मजदूरी या पीस-रेट पर आधारित दर?**

कानून में दोनों ही पद्धतियों की अनुमति है। यदि मजदूरी पीस-रेट के आधार पर दी जाती है, तो रेट की दर इस तरह से होनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति सात घंटों तक काम करता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए।

**१३. मजदूरी का भुगतान कब होगा ?**

मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह होगा, और किसी भी हालत में उस दिन वह काम किया गया था उससे एक पखवाड़े के पहले ही। मजदूरी के एक हिस्से का भुगतान नकद के रूप में प्रतिदिन किया जाएगा।

**१४. मजदूरों को क्या सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए?**

सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छायादार स्थान, विश्राम का समय और प्राथमिक उपचार के साथ छोटी चोटों और काम के संबंधित अन्य स्वास्थ्य खतरों के उपचार

के लिए समुचित सामानों की व्यवस्था।

**१५. काम कहां उपलब्ध करवाया जाएगा?**

आवेदक जहां रहता हो, उसके ५ कि.मी. दूरी के अंदर। यदि आवेदक को उसके आवास से ५ कि.मी. की परिधि से दूर रोजगार दिया जाता है तो वह यातायात और निर्वाह भत्ते के रूप में १० प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का हकदार होगा। यदि व्यक्तियों को ५ कि.मी. से दूर काम दिया जाता है तो जो व्यक्ति उम्र में बूढ़े हैं और महिलाओं को उन कार्यस्थलों में जो गांव के पास मे ंहो काम देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

**१६. मजदूरों के लिए क्या प्रावधान हैं?**

**(क) दुर्घटना की स्थिति में :** यदि कार्यस्थल पर रोजगार के दौरान किसी मजदूर को शारीरिक चोंट पहुंचती है, तो वह राज्य सरकार से मुफ्त चिकित्सा उपचार पाने का हकदार है।

**(ख) चोटग्रस्त मजदूर के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में :** संबंधित राज्य सरकार उसे बिना किसी शुल्क के पूरा उपचार, दवाईयां, अस्पताल में स्थान दिलाएगी और चोटग्रस्त व्यक्ति दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो कि प्रभावी मजदूरी की दर से ५० प्रशित से कम नहीं होना चाहिए।

**(ग) कार्यस्थल पर दुर्घटना होेने पर पंजीकृत मजदूर की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होेने पर :** ऐसी स्थिति में २५,००० रुपये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान या ऐसी राशि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो, मृतक के कानूनी वारिस या विकलांगता की स्थिति में विकलांग को, जैसी भी स्थिति हो, भुगतान की जाएगी।

**१७. योग्य आवेदक को रोजगार प्रदान नहीं करने पर क्या होता है?**

यदि योग्य आवेदक को काम मांगने के १५ दिनों के अन्दर या उस दिन से जिस दिन उसने काम की इच्छा जताई (आवेदन जमा करने की तिथि) रोजगार नहीं दिया जाता है तो निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

**१८. किस प्रकार का काम दिया जाएगा ?**

**(अ) स्थाई परिसंपत्तियां :** इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए और ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका

## योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

१. अधिनियम में अनुसूची १ (२) के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य परिसंपत्तियों का निर्माण एवं ग्रामीण परिवारों की आजीविका के स्रोतों को सुदृढ़ता प्रदान करना है। इस हेतु ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को परिणाममूलक बनाया जाना आवश्यक होगा। रोजगार गारंटी योजना के तहत द्रुतगामी परिणामों का आंकलन करने हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। योजनांतर्गत व्यय की जाने वाली राशि से रोजगार के अवसरों का सृजन, सशक्तीकरण, महिला श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्तर की संरचना को उपयोगी एवं दीर्घकालीक परिसम्पत्तियों से सशक्त करना, ऐसी प्राकृतिक परिसम्पत्तियों को विकसित करना जो ग्रामीण आजीविका के स्रोत के रूप में स्थानीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ कर, उत्पादकता में वृद्धि तथा रोजगार हेतु पलायन की सख्ती से रोक सके।

२. उक्त परिणामें को प्राप्त करने हेतु सतत् निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना होगा। यह प्रक्रिया आंतरिक, बाह्य सहित सभी स्तरों से किया जाना आवश्यक होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक कार्य की निगरानी की जायेगी। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को जाब कार्ड उपलब्ध हो सके तथा जॉब कार्ड के आधार पर रोजगार की मांग करने वाले आवेदकों को रोजगार प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके। ग्राम सभा द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया जॉब कार्ड का वितरण तथा मजदूरी की निर्धारित समय पर भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा भी की जायेगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की सतत निगरानी की जायेगी। ऐसे में कार्यस्थल पर मस्टर रोल्स का संधारण एवं मजदूरी भुगतान का भी आंकलन होगा। क्षेत्र पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भी पंजीकरण की प्रक्रिया, रोजगार की उपलब्धता, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान, सामाजिक अर्केक्षण, आवंटन व्यवस्था, मजदूरी का निर्धारित समय एवं राशि का भुकतान, प्रगतिरत् कार्यो की गुणवत्ता सहित सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

३. कार्यक्रम अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत से संबंधित समस्त जानकारियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्धारित समय-सीमा में भेजते रहें ताकि उन्हें तद्नुसार राज्य शासन एवं केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा सके। जिला पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के क्रियान्वयन के लिये समस्त

बिन्दुओं पर समीक्षा करेंगे जैसे, पंजीकरण की प्रक्रिया, रोजगार उपलब्धता, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण, आवंटन व्यवस्था, गुणवत्ता सहित कार्यों की प्रगति, समय सीमा में गुणवत्ता सहित कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित समय पर सही मजदूरी का भुगतान एवं समय सीमा में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान आदि।

४. प्रत्येक जिले के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के गुणात्मक पहलुओं पर ''राष्ट्रीय निगारानी व्यवस्था'', उत्तर प्रदेश रोजगार गारंटी योजना के दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य शासन द्वारा आंकलन किया जायेगा।

५. राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले से प्राप्त रिपोर्टों का संकलन एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी केन्द्रीय शासन को प्रेषित की जायेगी।

६. शासन द्वारा विस्तृत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एक प्रबंध सूचना तकनीक का सृजन किया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक कार्य की निगरानी हेतु राज्य स्तर पर सूचकांको के माध्यम से निगरानी का कार्य सम्पादित किया जायेगा और योजना से संबंधित प्रत्येक एजेंसियों यथा कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य शासन द्वारा इस तकनीक के माध्यम से सूचनायें प्रेषित की जायेगी।

७. योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिये आंतरिक एवं बाह्य स्तर से समग्र रूप में सतत् निरीक्षण, दौरा कार्यक्रम एवं नमूना परीक्षण (Sample Check) की व्यवस्था की जायेगी।

उपरोक्त क अतिरिक्त एक केन्द्रीय निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था ''केन्द्रीय रोजगार गारण्टी परिषद'' गठित करेगी, जो समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करती रहेगी। जिला पंचायत भी अपने स्तर से उक्त योजना का अनुश्रवण कर रिपोर्ट जिलास्तरीय अधिकारी को प्रेषित करेगी।

## पाददर्शिता एवं जवाबदेही

अधिनियम का खण्ड २३ यह इंगित करता है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु योजना में प्राविधान किया जाय। अधिनियम में तत्संबंधी कुछ मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई है।

**लेखा परीक्षण :**

१. **वित्तीय लेखा परीक्षण अनिवार्यता :** प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा परीक्षण (ऑडिट) कराना अनिवार्य होगा। यह परीक्षण स्थानीय लेखा परीक्षक अथवा राज्य

संसाधनों को आधार को मजबूत किया जाए।

**(ब) ठेकेदारों द्वारा काम करवाए जाने की अनुमति नहीं है**

**(स) कार्यक्रम और प्राथमिकता के आधार पर निम्न प्रकार के कामों की अनुमति है :**

- जल संरक्षण और जल संग्रहण;
- सूखा बचाव, जंगल बनाना और वृक्ष रोपण;
- सूक्ष्म और वृहद सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहर;
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की स्वामित्व की जमीनों या भूमि सुधारों के लाभार्थी या भारत सरकार के इंदिरा आवास योजना के लोगों के लिए सिंचाई की सुविधाएं
- पारंपरिक जल स्रोतों का उद्धार, तालाबों की सफाई भी
- भूमि विकास
- बाढ़ नियंत्रण और जल पूरित क्षेत्रों से जल निकासी सहित बचाव कार्य;
- ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में पहुँचने योग्य ग्रामीण सम्पर्क सड़क निर्माण में जहां पर आवश्यक हो कलवर्ट निर्माण भी शामिल है, गांव के अंदर कलवर्ट निर्माण नाला निर्माण के साथ किया जाएगा;
- ऐसा कोई भी कार्य जो केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से परामर्श द्वारा अधिसूचित करें।

१९. **कार्यक्रम कर्मी अपने कार्यों के लिए कैसे जवाबदेह हैं?**

वे, आंतरिक के साथ साथ बाहरी अंकेक्षणकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम के निरंतर और समवर्ती जाँच और अंकेक्षण द्वारा जवाबदेह हैं। सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, ग्राम सभा प्रत्येक कार्य के निरीक्षण के लिए एक गांव स्तरीय विजिलेंस कमेटी का निर्माण करेगी। इसके अतिरिक्त, कानून का कोई भी उल्लंघन, साबित होने पर, जुर्माने के योग्य होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है। एक शिकायत निवारण व्यवस्था भी होगी जो प्रत्येक जिले में स्थापित की जाएगी।

❄❄❄❄❄

मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाएगा। मजदूरी की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परन्तु यह दर 58 रुपया प्रतिदिन से कम नहीं होगा। मजदूरी का भुगतान पूर्णतया नगद या नगद/खाद्यान्न के रूप में किया जा सकता है, परन्तु कम से कम 25 प्रतिशत नगद अवश्य होना चाहिए। पुरुष एवं महिलाओं को बराबर मजदूरी देना होगा। सही एवं समय मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी पी.ओ. की होगी।

सरकार से नामित अंकेक्षक द्वारा होगा। लेखा परीक्षण कर सकता है। लेखा परीक्षण रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

२. महालेखाकार द्वारा भी एन.आर.ई.जी.ए. को लेकर लेखा परीक्षण होगा जिसको पूर्व में किये गये लेखा परीक्षण की प्रति दी जायेगी।

३. लेखा परीक्षण की प्रति तथा विगत् वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिला परियोजना अधिकारी द्वारा जमा कराया जायेगा। किन्हीं परिस्थितियों में वित्तीय अनियमितताओं के कारण अथवा मंत्रालय की स्वीकृति न होने पर योजना में बेरोजगारी भत्ता देने की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उदाहरणार्थ २००५-२००६ की लेखा रिपोर्ट ३० सितम्बर, २००६ तक अवश्य जमा हो जानी चाहिए।

**४. ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का संकलन :** ''जिला स्तरीय निगरानी समिति'' जो जिला परियोजना समन्वयक के यहाँ कार्यरत होगी ग्राम सभा द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करेगी। यह समिति जरूरत पड़ने पर तथ्यों की जाँच हेतु पुनः जाँच कर सकती है। उक्त रिपोर्ट जिला एवं राज्य स्तरीय समन्वयक को प्रेषित होगी, जो अगली कार्यवाही करेंगे।

५. यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जिले को राशि प्राप्त होने की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये। कितना-कितना वित्तीय आवण्टन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत को दिया गया है, यह भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

६. योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण, लागत एजेंसी का नाम, कार्य पूर्ण होने की अवधि की जानकारी भी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाये।

७. क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा योजनांतर्गत निगरानी समितियों तथा संबंधित ग्राम पंचायतों को आरंभ किये गये कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी अनिवार्यतः दी जाये। जिस बैठक में यह जानकारी दी जायेगी उस बैठक का कार्यवाही विवरण एजेंसी के पास उपलब्ध होना चाहिए।

८. 'ग्राम स्तरीय निगरानी समिति' द्वारा कार्य पूर्ण होने का प्रतिवेदन ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम सभा में कार्य पूर्णता का विवरण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेंसी का होगा। ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के पश्चात् ही कार्य पूर्ण माना जायेगा। ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण एजेंसी के पास उपलब्ध रहना चाहिए।

९. कार्य स्थल पर अवलोकन हेतु मस्टर रोल अवश्य उपलब्ध रहना चाहिए।

१०. राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारुपों में ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत स्तर पर यथा निर्देशानुसार आवश्यक अभिलेख तैयार कर उनका रख-रखाव किया जायेगा तथा आम जनता की मांग अनुसार उसके अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

११. सूचना के अधिकार के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिलेख अवलोकन तथा नकलें प्राप्त करने की सशुल्क सुविधा की जायेगी।

**शिकायत निवारण व्यवस्था :**

- शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में खण्ड स्तर पर परियोजना अधिकारी को तथा जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम संयोजक को नामित किया गया है।
- प्रत्येक ग्राम सभा जनसमुदाय की शिकायत हेतु उचित मंच प्रदान करेगी जिसमें शिकायत का निस्तारण उचित ढंग से हो सके।
- प्रत्येक स्तर पर अपील हेतु निम्नलिखित लोग लोग नामित किये गये हैं -
    - ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना अधिकारी को;
    - परियोजना अधिकारी स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक को;
    - जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नामित उचित व्यक्ति को;
    - राज्य सरकार एक स्वायत्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बना कसती है, जो खण्ड जिला तथा स्तर पर निगरानी कर सकता है।
    - एक हेल्पलाईन की भी सरकार शुरूआत कर सकती है जो शिकायत निवारण में सहायक होगी।

**वार्षिक रिपोर्ट :**

- प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परिषद द्वारा वार्षिक रिपोर्ट बनाकर संसद के समक्ष केन्द्र सरकार द्वारा रखेगा जिसमें किये गये कार्य के संबंध में समीक्षा होगी।
- राजकीय रोजगार ग्रामीण परिषद प्रतिवर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट बनाकर विधान सभा के समक्ष राज्य सरकार के माध्यम से रखेगा जिसमें किये गये कार्य के संबंध में समीक्षा होगी।

अब गाँव में ही काम मिलेगा ।
काम का पूरा दाम मिलेगा ।।

**रोज़गार भीख नहीं अधिकार है। अपने हक़ के लिए रोना, गिड़गिड़ाना छोड़िए**

प्रेषक,

केoकेo सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उoप्रo शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी,
आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, संतरविदास नगर (चन्दौली), चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, महोबा, मीरजापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

ग्राम विकास अनुभाग-४ लखनऊः दिनांक : ११ जनवरी, २००६.

विषय - **<u>राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।</u>**

महोदय,

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के इच्छुक परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम १०० दिन के श्रमपरक रोजगार की गारण्टी प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत रोजगार के इच्छुक श्रमिक द्वारा मांगे जाने पर १५ दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराना है। रोजगार न दे पाने के स्थिति में श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता देय होगा। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिनियम की प्रति आपकों पूर्व से ही उपलब्ध करा दी गयी है।

२- योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाये :-

१. रोजगार पंजीकरण का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये। रोजगार पंजीकरण प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्न है। रोजगार पंजीकरण प्रार्थना-पत्र का छपाई कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये। इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रथम दो माह की आवश्यकता का आंकलन करते हुये उतनी मात्रा का प्रार्थना पत्र तत्काल छपवा लिया जाये, पुनः आगे की आवश्यकता हेतु प्रार्थना-पत्र छपवाये जायेंगे। रोजगार प्रार्थना पत्र प्रिटिंग की प्रक्रिया पारदर्शी तथा प्रिटिंग हेतु निर्गत सुसंगत नियमों के अन्तर्गत होनी चाहिए।

२. रोजगार प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही सत्यापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये रोजगार पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रोजगार के इच्छुक लोगों के पंजीकरण हेतु दरवाजें पर पहुँच कर सर्वेक्षण करना भी अनिवार्य है। रोजगार रजिस्ट्रेशन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण की जायेगी।

३. रोजगार प्रार्थना-पत्रों के सत्यापन के पश्चात ग्राम पंचायत के पंजीकरण रजिस्टर में सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक पंजीकरण नम्बर आवंटित किया जायेगा।

४. ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक जाब कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। जाब कार्ड का प्रारूप संलग्न है। वयस्क आवेदक सदस्यों के फोटों ग्राम जाब कार्ड पर लगाये जायेंगे। रोजगार पंजीकरण के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर जाब कार्ड प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा। जाब कार्ड की एक प्रति ग्राम पंचायत के पास रखी जायेगी। जाब कार्ड, सत्यापन आदि की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख मार्ग-निर्देशों में किया गया है।

५. जाब कार्ड बनाने में पारदर्शिता का पालन किया जायेगा। जाब कार्ड निर्गत करने के पूर्व भलीभांति स्कूटनी (संन्निरीक्षा) की जाये, ताकि कोई तथ्यात्मक त्रुटि न हो।

३- भारत सरकार ने पत्र संख्या-वी०२४०११/४७/०५-एनआरईजीए-एसएलनं०-९६, दिनांक ३०.१२.०५ द्वारा योजना में चयनित ०७ जनपदों के पर्सपेक्टिव प्लान बनाने हेतु रु० १०.०० लाख प्रति जनपद तथा इन्हीं ०७ जनपदों में रोजगार सृजन कार्यों के शुरू करने हेतु प्रति जनपद रु० ५००.०० लाख तथा प्रदेश के २२ जनपदों में जाबकार्ड प्रन्टिग, रोजगार रजिस्टर एवं फोटोग्राफी हेतु रुपये २५.०० लाख प्रति जनपद सीधे ग्राम विकास अभिकरणों को अवमुक्त कर दिया गया है। योजना प्रारम्भ करने हेतु यह आवश्यक है कि उक्त कार्यवाहियां तत्काल पूर्ण कर ली जाये।

४- यह योजना मांग आधारित योजना है। रोजगार के इच्छुक परिवारों को पूरी प्रक्रिया के ज्ञान हेतु यह आवश्यक होगा कि अधिनियम के प्राविधानों से परिचित कराते हुए रोजगार हेतु जागरूकता पैदा की जाये। सभी संबंधित अधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं को भी इसकी समुचित जानकारी दी जाये।

५- योजनान्तर्गत नेशनल फूड फार वर्क योजना से आच्छादित १५ जनपदों में सेल्फ आफ प्रोजेक्ट से तथा शेष ०७ जनपदों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की कार्ययोजना की कार्ययोजना

# बेकारी का हो रहा अब तो समाधान ।
# दलालों से रहना होगा भइया सावधान ।।

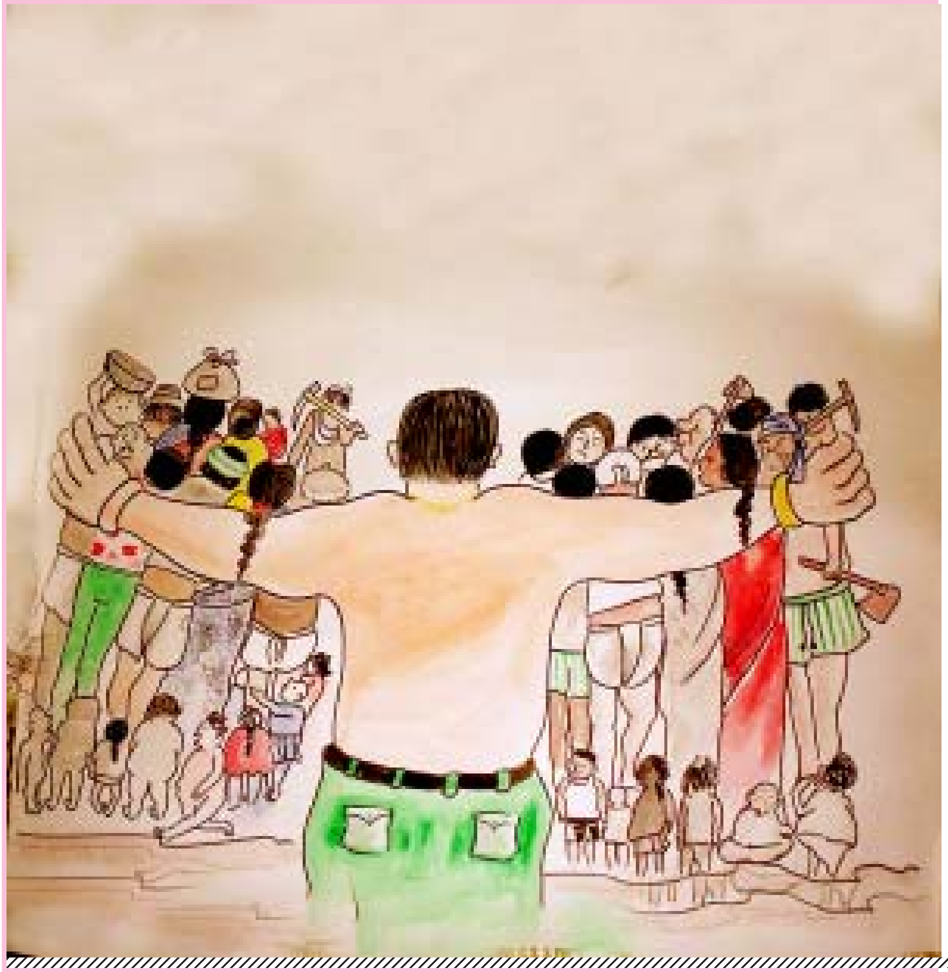

में से ही चालू वित्तीय वर्ष में कार्य कराये जाने  है। इस वित्तीय वर्ष की आवश्यकता को देखते हुए नेशनल फूड फार वर्क के सेल्फ आफ प्रोजेक्ट में कुछ प्रस्ताव तथा एस०जी०आर०वाई० की कार्ययोजना में से कुछ प्रस्तावों पर ग्राम पंचायतों का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे। कार्यों की प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

६- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी एक्ट-२००५ के प्राविधानों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। इस अधिनियम का विचलन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

७- इस संबंध में मुझे वह कहने का निदेश हुआ है कि कष्पया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

(के०के० सिन्हा)
प्रमुख सचिव

❄❄❄❄❄

**साथ बैठिये।**

- रोजगार गारण्टी कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए।
- पंचायत में अपनी सशक्त भागीदारी के लिए।
- गाँव के सम्पूर्ण विकास के लिए।
- गाँव के विकास कार्यो के नियोजन के लिए।
- रोजगार के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में ग्राम पंचायतों के संवेदीकरण हेतु।
- हर हाथ को काम दिलाने के लिए।
- काम का पूरा दाम दिलाने के लिए।
- कार्यो के सही सम्पादन एवं पारदर्शिता के लिए।
- स्थायी आजीवका एवं टिकाऊ विकास के लिए।

**साथ उठिये।**

- अपने अधिकारों से वंचित होने के खिलाफ।
- रोजगार गारण्टी में होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ।
- पंजीकरण न किये जाने, जॉब कार्ड, काम, पूरी मजदूरी, समस्त सुविधाएँ अथवा भत्ता न दिये जाने के खिलाफ।
- रोजगार कारण्टी कानून में अनुश्रवण एवं सहयोग के लिए।
- ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाये गये कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु।

# अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, उ०प्र० के बारे में...

अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान लोक कल्याणकारी, अराजनैतिक एक स्वयं सेवी संस्था है। वर्ष १९७० से समाज रचना के पुनीत कार्य में सक्रिय है। 'अन्त्योदय' हमारा दर्शन है। 'रचना' और 'संघर्ष' हमारे कार्य आधार हैं। लोकनायक राम ने जिन कोल आदिवासी जनों के साथ अपने वनवासी जीवन के साढ़े ग्यारह वर्ष बिताये थे; उन्ही कोल आदिवासी समूह को अपना अराध्य मानकर संस्थान ने अपनी यात्रा प्रारम्भ की है। ...वनवासी, आदिवासी कोल ही क्यों?...क्योंकि यह समूह सदियों से दासता एवं बंधुआपन का जीवन जी रहा था। मानवाधिकारों की इस क्षेत्र में धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। मातृशक्ति गिरवी थी। सम्मान, स्वाभिमान से शून्य कोल समुदाय जीवन जीने को अभिशप्त था। घोर ग़रीबी, शोषण, अत्याचार का नंगानाच था। इन दुखद दृश्यों के विरुद्ध कार्य करने का हमे सौभाग्य प्राप्त हुआ। रचना तथा संघर्ष का मार्ग अपनाकर हमारे ध्येयवादी, साहसी साथी आगे बढ़े और उन्हीं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज चित्रकूट के पठारी क्षेत्र का आदिवासी कोल समुदाय सम्मान, स्वाभिमान का जीवन पा सका है। जल, जंगल ज़मीन तथा जन के तमाम मुद्दों पर संस्थान ने ऐतिहासिक हस्ताक्षेप किया है। परिणाम स्वरूप समाधान मिला है। शिक्षा, चेतना के स्वर गूँजने लगे हैं। ग़रीब हितों पर चोट करने वालों को उत्तर मिलने लगा है। आदिवासी कोल कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं का नेतृत्व आगे आया है। अपनी लड़ाई अब वे स्वयं अपनी अगुवाई में लड़ रहे हैं । जिस क्षेत्र से संस्थान का कार्य प्रारम्भ हुआ था, अब वहाँ संस्थान के विकल्प स्थापित हो चुके हैं, हो रहे हैं। संस्थान के गर्भ से उत्पन्न अन्य कई संगठन अपनी गति से हस्ताक्षेप का कार्य कर रहे हैं।

अब बुन्देलखण्ड के सामंतवाद गढ़ों को तोड़ने की पहल प्रारंभ हुई है, टूट भी रहे हैं। चित्रकूट की सीमा से निकलकर संस्थान के अनुभवी तथा क्षमतावान साथी ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, रीवां, सोनभद्र, सरगुजा, सतना आदि में अन्त्योदय के लिए रचना एवं संघर्ष के मिशन के साथ अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। संगठन, रचना, सेवा तथा संघर्ष क्षेत्र का गुणात्मक विस्तार हुआ है।

जलागम, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, संगठन, जनपैरवी, सामाजिक सौहार्द जल, जंगल, ज़मीन, महिला सशक्तिकरण तथा जन एवं जानवरों से सम्बन्धित प्रकल्प संस्थान द्वारा संचालित हैं।

लोक संस्कृति उन्नयन, मातृशक्ति सशक्तिकरण, मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका संवर्द्धन, प्रकृति संरक्षण एवं संवर्द्धन, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन, जनाधिकारों हेतु पहल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरागत श्रेष्ठ रीतियों, उत्सवों, त्यौहारों एवं अन्य पर्वों का सम्मान आदि हमारी चिंताए हैं। पारदर्शिता, जन सहभागिता, नागर समाज संगठनों में शुचिता, ईमानदारी, गुणवत्ता एवं आपसी विश्वास हमारे मूल्य हैं। रूढ़ियों, कुरीतियों, जातिप्रथा, दहेज-दानव, ऊँच-नीच, अस्पृश्यता का उन्मूलन हमारे प्रयास में शामिल हैं। अनेक व्यावहारिक सुखद उदाहरण भी साथ-साथ चल रहे हैं।

सौ से अधिक पेयजल कूप, ३० तालाब, ३५ चेकडैम, सैकड़ो एकड़ में सघन वनीकरण, वनौषधि उद्यान, औषधि निर्माण, वस्त्र निर्माण, भूमि सुधार आदि जनोपयोगी कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। लगभग ५ हज़ार हेक्टेयर में जल संरक्षण के कार्यों द्वारा उत्पादन एवं आजीविका संवर्द्धन विकसित कर हज़ारों परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में संस्थान सफल रहा है। लगभग ५ हज़ार परिवारों को १२ हज़ार एकड़ हेक्टेयर में भूमि हकदारी सुनिश्चित करवाने में संस्थान सफल रहा है। वर्तमान में साढ़े बारह हज़ार हेक्टेयर में जलागम कार्यक्रम संचालित है। कार्यकर्ता एवं व्यक्ति निर्माण का कार्य अहर्निश अबाध गति से अदृश्य रीति से चल रहा है। कार्यकर्ताओं का व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव उनके कार्यक्षेत्र में दृष्टिगोचर हो रहा है।

आह्वान : उपरोक्त अकिंचन प्रयास के अवलोकनार्थ आप सादर आमंत्रित हैं?... क्योंकि पढ़ना, सुनना उतना प्रभावकारी नहीं होता जितना प्रत्यक्ष देखकर विश्वास स्थापित होता है। 'अन्त्योदय' के इस पुनीत महायज्ञ में आपका सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता आपको और हमें धन्यता प्रदान करेगी। कृपया विचार करें, सहयोग करें। आगे आवें। समाज की ग़रीबी, बेकारी, लाचारी, बेबसी, भुखमरी, चुप्पी संस्कृति, भ्रष्टाचार, शोषण, उत्पीड़न, बंधुआपन, जन-जड़ता तोड़कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने की समिधा का अंग बनें, यज्ञ की प्राप्ति होगी।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट-www.absss.org.in देखें।

**अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान**

भारत जननी परिसर, रानीपुर भट्ट, पोस्ट-सीतापुर, चित्रकूट-210204 (उ.प्र.) : 05198-224332

absschitrakoot@rediffmail.com ■ absss@sancharnet.in